



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224572
CG-DL-E-20012021-224572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942

No. 23]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

मामला संख्या: एडी-एसएसआर 08/2020

विषय: चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई और गैर-अधिकृत उपयोग के 1250 एमएम से अधिक के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/18/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टेनलेस (हिसार) और मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे आवेदक अथवा घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) (जिन्हें यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई और गैर-अधिकृत उपयोग के 1250 एमएम से अधिक के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां नियमावली अथवा पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया था।
2. आवेदकों ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।
3. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत सिद्ध अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
4. घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन एवं क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ सिद्ध आवेदन पत्र के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 30 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/18/2020-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
5. पूर्व में, 25 नवंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/06/2008-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। दिनांक 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/06/2008-डीजीएडी द्वारा अनंतिम शुल्कों की सिफारिश की गई थी जो वित्त मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना द्वारा लगाए गए थे। प्राधिकारी द्वारा 24 नवंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/6/2008-डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश की गई थी और वित्त मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/2010-सीमा शुल्क द्वारा शुल्क लगाए।
6. प्राधिकारी द्वारा एक मध्यावधि समीक्षा जांच की गई थी और उसके 08 जून, 2011 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में, मिल ऐज के लिए +30 एमएम और ट्रिम ऐज के लिए 4 एमएम की टोलरेंस संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 600 एमएम से 1250 एमएम के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद के लिए

निर्धारित की गई थी। ये स्पष्टीकरण स्वीकार किए गए थे और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.09.2011 की अधिसूचना संख्या 86/2011 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

7. बाद में, संबद्ध देशों के 600 एमएम से 1250 एमएम तक के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 61/2015 द्वारा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए गए थे।
8. प्राधिकारी द्वारा 600 एमएम से 1250 एमएम के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयातों के संबंध में एक प्रवंचनारोधी जांच भी की गई थी और प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/1/2014-डीजीएडी द्वारा 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी। यह शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा 24 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 52/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था।
9. इसके अतिरिक्त, चूंकि पाटनरोधी शुल्क उसी तारीख से लगाए गए थे, अतः आवेदक सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सेसटेट) में गए और पूर्व की तारीख से शुल्क लगाए जाने के लिए अनुरोध किया। सेसटेट ने 12 सितंबर, 2019 के आदेश संख्या 51204-51205/2019 द्वारा केवल यह निर्णय लेने के लिए यह मामला वापस भेजा कि क्या शुल्क पूर्व की तारीख से लगाया जा सकता है। प्राधिकारी ने दिनांक 28 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 14/01/2014-डीजीएडी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम के पैरा 111 में उल्लिखितानुसार उसी तारीख से पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की सिफारिश वाले दिनांक 18 अगस्त, 2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम की पुष्टि की।

ख. जांच में अपनाई गई प्रक्रिया

10. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, वर्तमान जांच शुरू करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 30 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 7/18/2020-डीजीटीआर जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएशनों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें नियमावली के अनुसार लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया।
- घ. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के सभी ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें नियमावली के अनुसार लिखित में अपने ज्ञात विचार देने की सलाह दी।
- ङ. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों तथा ज्ञात निर्यातकों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति भेजी। आवेदन पत्र की एक प्रति, जहां अनुरोध किया गया था, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- च. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के सभी ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें निर्धारित सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने की सलाह दी।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संगत सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को प्रश्नावली भेजी:

- (i) मैसर्स नानटोंग जिंदी फास्टनर कंपनी लिमिटेड
- (ii) मैसर्स डीके कारपोरेशन

- (iii) मैसर्स एलीट ऑप्टेल्स (एच. के.) लिमिटेड
- (iv) मैसर्स एवरशाइनिंग इंटरनेशनल (एच. के.) लि.
- (v) मैसर्स निंगबो यिंझोउ गौधी मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
- (vi) मैसर्स एक्सेलवांटेज ग्लोबल लिमिटेड
- (vii) मैसर्स ओक स्टील लिमिटेड
- (viii) मैसर्स फाइव स्टार इंटल ग्रुप लि
- (ix) मैसर्स फोशान चौंगशेंगडियन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड
- (x) मैसर्स पॉस्को देवू कारपोरेशन
- (xi) मैसर्स फोशान शुनहेंगली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड
- (xii) मैसर्स सैमसंग सी एंड टी कारपोरेशन
- (xiii) मैसर्स फोशान टीहू स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड
- (xiv) मैसर्स शेडोंग मेंगयिन हॉरून इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लिमिटेड
- (xv) मैसर्स फोशान यिंगफा स्टेनलेस स्टील कंपनी
- (xvi) मैसर्स शेडोंग मेंगविन हॉरून इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
- (xvii) मैसर्स ग्लोबल स्टील
- (xviii) मैसर्स गुआंगझोऊ एवरसनी ट्रेडिंग कं लिमिटेड
- (xix) मैसर्स टॉपिंग इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड
- (xx) मैसर्स हांगकांग विनर स्टील कंपनी लिमिटेड
- (xxi) मैसर्स वालसिन लिहवा कारपोरेशन
- (xxii) मैसर्स हुंडई कारपोरेशन
- (xxiii) मैसर्स जियांग डी बाओ मिंग स्टेनलेस कंपनी लिमिटेड
- (xxiv) मैसर्स यिसिलनोक्स कं. लि.
- (xxv) मैसर्स जीन मेटल कोरिया कंपनी लिमिटेड
- (xxvi) मैसर्स येह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन
- (xxvii) मैसर्स जीन यांग मेटल कंपनी लिमिटेड
- (xxviii) मैसर्स यू स्टील कंपनी लिमिटेड
- (xxix) मैसर्स कार्ल स्टील इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
- (xxx) मैसर्स युआन लांग स्टेनलेस स्टील कारपोरेशन
- (xxxii) मैसर्स झेजियांग झोंगदा युआनटोंग इंडस्ट्रियल कारपोरेशन
- (xxxiii) मैसर्स अहम्सा - अल्टोस हॉर्नोस डी मेक्सिको

- (xxxiii) मैसर्स टाटा स्टील (थाईलैंड) पब्लिक कं, लिमिटेड
- (xxxiv) मैसर्स थाई कोटेड स्टील शीट कं. लिमिटेड
- (xxxv) मैसर्स थाइसेन क्रूप एशियाई स्पेशियली टर्नी एस.पी.ए. वी. ली. वी. ब्रिन
- (xxxvi) मैसर्स आर्सेलरमिस्तल जर्मनी होल्लिंग जीएमबीएच
- (xxxvii) मैसर्स आउटोकंपु स्टील कंपनी
- (xxxviii) मैसर्स जर्मनी – एसरिनॉक्स डचलैंड जीएमबीएच
- (xxxix) मैसर्स एसरिनॉक्स यूरोपा साउ
- (xl) मैसर्स एसरिनॉक्स सा. इटली
- (xli) मैसर्स थाइसेनकुरूप निरोस्ता जीएमबीएच
- (xlii) मैसर्स आउटोकंपु स्टेनलेस एबी.
- (xliii) मैसर्स ए. के. स्टील कारपोरेशन
- (xliv) मैसर्स एलेघेनी लुडलुम
- (xlv) मैसर्स नॉर्थ अमेरिकन स्टेनलेस
- (xlvi) मैसर्स जे एंड एल स्पेशियलिटी स्टील, इंक
- (xlvii) मैसर्स यीह यूनाइटेड स्टील कारपोरेशन (युस्को)
- (xlviii) मैसर्स पॉस्को-थिनॉक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

ज. जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिए हैं:

- (i) हुंडई कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
- (ii) पोस्को एशिया कंपनी लिमिटेड, हांग कांग
- (iii) पोस्को इंटरनेशनल, कोरिया गणराज्य
- (iv) पोस्को-थेनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- (v) सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
- (vi) कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका
- (vii) पोस्को, कोरिया

झ. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	एक्युरेट स्टील	2	होम ज़ोन स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड

3	मूनलाइट ट्यूब इंडस्ट्रीज	4	शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड
5	अमानत स्टील प्रा. लिमिटेड	6	होरीजन च्यूट्स प्रा.
7	नमन स्टील	8	श्री आशापुरा स्टील सेंटर
9	एमिनॉक्स इंटरनेशनल	10	मिलन स्टील
11	नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड	12	श्री महावीर स्टील
13	अंकुर एक्सपोर्ट्स	14	आईजीपी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	नवग्रह फास्टनर्स प्रा. लि.	16	श्री रामदेव मेटल मार्ट
17	अनुपम इम्पेक्स	18	इन्को स्टील
19	विक्रम मेटल [भारत]	20	होम ज़ोन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
21	मोटैक्स स्टेनलेस और अलॉयज़ एलएलपी	22	आयनॉक्स स्टेनलेस
23	नवपद स्टील सेंटर	24	श्री स्वांगिया मेटल इंडस्ट्रीज
25	सेठ आयरन एंड स्टील प्रा. लिमिटेड	26	जे. वाई. इंटरनेशनल
27	नवयुग मेटल कारपोरेशन	28	श्री ट्यूब मैनु. कं. प्रा. लि.
29	अश्विन इंपेक्स	30	जगदंबा कटलरी प्राइवेट लिमिटेड
31	मेटल वन कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	32	श्री वल्लभ मेटल्स
33	बी. बी. एस. ओवरसीज	34	जयमन मेटलॉयज़ एलएलपी
35	नेपच्यून स्टील इंपेक्स	36	श्रीराम हैंडल्स
37	बालाजी इंपेक्स	38	जैनेक्स स्टील एंड मेटल
39	एनजी इंडस्ट्रीज	40	सिद्धान्त स्टील
41	बालाजी निरयत प्राइवेट लिमिटेड	42	हिंदुस्तान सीरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड
43	निकल इम्पेक्स एलएलपी	44	सिद्धिविनायक स्टील
45	भालारिया मेटल क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	46	जयना स्टील इंडिया
47	न्यूमैक्स स्टील्स	48	सिल्वर स्टील
49	भारत एक्सपोर्ट्स	50	विक्टोरा ऑटो प्रा. लिमिटेड
51	ओहसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	52	स्टेनोक्स अलॉयज़ प्रा. लि.

53	भव्यदीप इम्पैक्स	54	जेएफई शूजी ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
55	ओम गुरुदेव मेटल	56	स्टील इंटरनेशनल महावीर दर्शन
57	चंचल मेटल एंड ट्यूब	58	कमल मेटल कारपोरेशन
59	पी. पी. इम्पेक्स (इंडिया)	60	स्टील लाइन (भारत)
61	चिराग उद्योग	62	केशो राम इंडस्ट्रीज
63	पेसिफिक मेटल ट्रेडिंग कंपनी	64	स्टील यार्ड ओवरसीज
65	देवदीप स्टील अलॉयज़	66	कियुर किचनवेयर
67	परम इंडस्ट्रीज	68	स्ट्राइड इंडस्ट्रीज एलएलपी
69	सरस्वती स्टील इंडिया	70	किचन एसेनसियल्स
71	पारस इम्पोकस्पो प्रा. लि.	72	सुचि फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
73	धानेरा मेटल सप्लाय कारपोरेशन	74	क्राफ्टेश्वर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।
75	मेफेयर इंटरनेशनल	76	सुमन मेटल
77	मिनॉक्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड	78	कुणाल हाउसवेयर्स प्रा. लि.
79	पॉस्को-इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लिमिटेड	80	सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड
81	डिवाइन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	82	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड
83	राजेश स्टील	84	सनसिटी स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
85	फ्लैज फोर्ज इंडिया	86	लुबी इंडस्ट्रीज एलएलपी
87	राजगुरु इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड	88	सुंदर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
89	फोर्ट इंपेक्स प्रा. लिमिटेड	90	एम. पी. स्टील सेंटर
91	रमानी स्टील हाउस	92	सुपर इम्पेक्स
93	गोदरेज एंड बॉयस मैनु. कं. लि.	94	मैगपाई इंटरनेशनल लिमिटेड
95	रेंडन इंजीनियरिंग प्रा. लि.	96	स्वास्तिक इंडस्ट्रीज
97	गुडलक मेटल कारपोरेशन	98	महावीर स्टेनलेस स्टील
99	रिद्धि सिद्धि इम्पैक्स	100	ट्राइडेंट स्टील
101	गुडलक स्टील	102	मार्स हाउसवेयर्स
103	वेलिकन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	104	उत्तम स्टील अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड

105	एच. के. इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड	106	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
107	हिंदुस्तान आईनॉक्स लिमिटेड	108	विशाल स्टील्स
109	वीणा स्टील इंडस्ट्रीज	110	मैक्सिम ट्यूब्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

- ज. प्रत्युत्तर में, वर्तमान जांच में निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किये हैं:
- पोस्को इंडिया प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
 - पोस्को इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
- ट. निम्नलिखित निर्यातक ने केवल कानूनी अनुरोध दायर किया है:
- एक्रिनोक्स यूरोप एस. ए., स्पेन (यूरोपीय संघ)
- ठ. निम्नलिखित दूतावास/आयातकों/व्यापारियों ने केवल कानूनी अनुरोध दायर किये हैं:
- ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, ताइवान
 - श्री रामदेव मेटलेक्स एलएलपी, इंडिया
 - सरस्वती स्टील (इंडिया)
 - नवनिधि स्टील एंड इंजीनियरिंग कं. प्रा. लि.
- ड. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया था कि वे अपने अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराएं।
- ढ. प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, जांच के बाद गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और प्राधिकारी द्वारा वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं जो सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था।
- ण. इसके अतिरिक्त, आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- त. इस जांच में पीसीएन दिनांक 11 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/18/2020-डीजीटीआर द्वारा अनुमोदित किए गए थे।
- थ. जांच अप्रैल, 2016- मार्च, 2017, अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018- मार्च, 2019 तथा जांच की अवधि को शामिल करते हुए क्षति विश्लेषण के साथ 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (जिसे यहां बाद में "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) की अवधि के लिए की गई है।
- द. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के व्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था और डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त उपर्युक्त सूचना को वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए अपनाया गया है।

- ध. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत निकालने के लिए नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर यथासंभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- न. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 14 दिसंबर, 2020 को आयोजित मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जिस सुनवाई में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने विचार पुनः देते हुए लिखित अनुरोध दायर करें ताकि विरोधी हितबद्ध पक्षकार प्रत्युत्तर दायर कर सकें।
- प. इस जांच के सभी अनिवार्य तथ्यों युक्त एक प्रकटन विवरण, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनेगा दिनांक 11.01.2021 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- फ. इस जांच प्रक्रिया के दौरान, जहां भी संगत पाया गया, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में हल किया गया है।
- म. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- य. संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद वह होना चाहिए जिस पर वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। अतः वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है:

"600 एमएम से 1250 एमएम (मिस ऐज के लिए +30 एमएम और ट्रिम्ड ऐज के लिए +4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस तथा निम्नलिखित को छोड़कर 4 एमएम तक की चौड़ाई के साथ कोल्ड रोलड (कोल्ड रेड्यूस्ड) के बजाए आगे न की गई सभी सीरीज के गैर-अधिकृत प्रयोगों के लिए 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लेट उत्पाद"

क. ग्रेड 420 हाई कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509

ख. क्रोमियम-निकिल मैंगनीज-कॉपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से युक्त लौह निकिल वाले सामानों के संबंध में भारतीय पेटेंट संख्या 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद तथा चीनी तैपई (ताइवान) के मैसर्स यीह युनाइटेड स्टील कारपो. (युस्को) द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए वाईयू 1 और वाईयू 4 ग्रेड का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पाद।

ग. इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- (i) वह आयातक जो बिना स्लिटिंग के उसी रूप में अंतिम प्रयोग के लिए संबद्ध सामानों का आयात करता है; अथवा

- (ii) दो या अधिक संबद्ध सामानों में उसे स्लिट किया हो अर्थात् 1250 एमएम से अधिक के आकार में (उदाहरण के लिए 2600 एमएम के पीस को 1300 एमएम आकार के दो पीसों में स्लिट किया गया।

बशर्ते कि आयातक ने सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर सामानों का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई हो।

- (ii) विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क उप-शीर्ष 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
- (iii) संबद्ध सामानों का प्रयोग सफेद सामानों, प्रसंस्कृत उपस्करों, डेयरी उपस्करों, ऑटोमोटिव संघटकों, रेल कार्टों, मैट्रो कोचों, आर्किटेक्चर, भवन एवं निर्माण आदि के विनिर्माण के लिए किया जाता है।
- (iv) प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन के संबंध में टिप्पणी करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। पीसीएन दिनांक 11 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/18/2020-डीजीटीआर के माध्यम से अनुमोदित किए गए थे। पीसीएन के संबंध में कोई भी टिप्पणी उस समय सीमा के अंतर्गत दायर की जानी थी। प्राधिकारी ने केवल अन्य पक्षकारों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद पीसीएन अनुमोदित किया। यह प्राधिकारी द्वारा दिए गए पीसीएन में संशोधन के लिए कहे जाने और पीसीएन के संबंध में टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है।
- (v) वर्तमान जांच में अपनाया गया पीसीएन समानांतर जांच में अंतिम रूप दिए गए पीसीएन पर विचार करने के बाद है जिनमें कोल्ड रोलड उत्पाद भी शामिल हैं और जिनमें पीसीएन को पोस्को सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था। इस प्रकार, इसका कोई कारण नहीं है कि यह पीसीएन वर्तमान जांच में क्यों नहीं अपनाया जा सकता। कीमत के अलावा, लागत, तकनीकी मानदंड आदि पर पीसीएन तैयार करते समय विचार किया जाना होता है। अकेले किसी निर्यातक द्वारा अपनाई गई कीमत संबंधी नीति पीसीएन में संशोधन करने के लिए मानदंड नहीं हो सकता।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) प्राधिकारी घरेलू बाजार में जेएसएसएल द्वारा बेचे गए उत्पादों के रूप में विचाराधीन उत्पाद को पुनः परिभाषित करेंगे, क्या उन्हें भी संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा और क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।
- (ii) इस कारण जांच की शुरुआत की अधिसूचना में संबद्ध सामानों की सूची से अलग किए गए उत्पादों की सूची, कि वे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किए जा रहे हैं, अंतिम जांच परिणाम में संबद्ध सामानों के क्षेत्र से अलग की जाएगी।
- (iii) डीजीटीआर को मूल जांच में स्वीकार की गई मोटाई की रेंज पुनः वर्गीकृत करनी चाहिए क्योंकि परिपत्र पोस्को की कीमत संबंधी नीति को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता।
- (iv) प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में जेएसएसएल को जांच के क्षेत्र से अलग किया है। ऐसी परिस्थितियों में विचाराधीन उत्पाद को पुनः परिभाषित करना अनिवार्य होगा क्योंकि जेएसएसएल द्वारा घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पाद संबद्ध जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा और क्षेत्र से अलग किए जाने चाहिए।
- (v) दी गई योग्यता अर्थात् 16500 एमएम से अधिक के रूप में अधिकृत प्रयोग के 1650 एमएम से अधिक के विचाराधीन उत्पाद को हटाने से उन आयातकों के लिए कठिनाई पैदा होती है जो उसका आयात करने में उत्पाद के व्यापारी हैं, न कि अंतिम प्रयोक्ता।

- (vi) संबद्ध सामानों की मोटाई की रेंज निर्यात बिक्री और घरेलू बिक्री के लिए बिक्री कीमत निर्धारित करती है। तथापि, मोटाई की रेंज के संबंध में वर्तमान सूचना पोस्को की कीमत संबंधी नीति को उपयुक्त रूप से नहीं दर्शाती है। अनुपयुक्त पीसीएन ढांचा अधिसूचित किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखितानुसार था:

क. 4 एमएम तक की मोटाई से युक्त कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रेड्यूस्ड) के बजाए आगे तैयार की गई सभी सीरीज के 600 एमएम से 1250 एमएम तक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद।

ख. संबद्ध सामानों में ऊपर बताए गए आधार पर उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित अलग रहेंगे

- मैसर्स थाइसैनक्रुप स्टेनलेस इंटरनेशनल, जर्मनी द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन (0.28%-0.40%), ग्रेड 420, ग्रेड 430 बीए, ग्रेड एआईएसआई 441 और ग्रेड एआईएसआई 443।
- डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील ग्रेड 2205 (एस31803), 2304 (एस32304), ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 और 1.4833 तथा फेरिटिक ग्रेड ईएन 1.4509 और 1.4512.
- क्रोमियम-निकिल मैंगनीज-कॉपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से युक्त लौह निकिल वाले सामानों के संबंध में भारतीय पेटेंट संख्या 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद तथा चीनी तैपई (ताइवान) के मैसर्स यीह युनाइटेड स्टील कारपो. (युस्को) द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए वाईयू 1 और वाईयू 4 ग्रेड का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पाद।

14. मध्यावधि समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संशोधन किया गया था ताकि निम्नलिखित को शामिल किया जा सके:

क. (+)30 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस मिल ऐज्ड, 1000 एमएम अथवा उससे अधिक की निर्धारित चौड़ाई रेंज परंतु 1250 एमएम से अधिक नहीं, के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों पर लागू होगी।

ख. (+)4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस, 1000 एमएम से अधिक की निर्धारित चौड़ाई रेंज, परंतु 1250 एमएम से अधिक नहीं, के स्टेनलेस स्टील के ट्रिम्ड ऐज्ड कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पादों पर लागू होगी।

15. घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए जा रहे उत्पादों की कुछ किस्मों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने का अनुरोध करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने 08 अक्तूबर, 2010 को एक आदेश पारित किया तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उस आदेश के अनुपालन में 05 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या 18/11/2010-डीजीएडी जारी की।

16. प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में उत्पाद क्षेत्र निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया था:

क. निम्नलिखित को छोड़कर, 4 एमएम तक की मोटाई (मिस ऐज के लिए +30 एमएम और ट्रिम्ड ऐज के लिए +4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस) के साथ कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रेड्यूस्ड) के बजाए आगे काम न किए गए सभी सीरीज के 600 एमएम से 1250 एमएम तक के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद:

- (i) 1250 एमएम (प्लस टोलरेंस) से अधिक की चौड़ाई के संबद्ध सामान;
- (ii) ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 तथा ईएन 1.4509
- (iii) क्रोमियम-निकिल मैंगनीज-कॉपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से युक्त लौह निकिल वाले सामानों के संबंध में भारतीय पेटेंट संख्या 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद तथा चीनी तैपई

(ताइवान) के मैसर्स यीह युनाइटेड स्टील कारपो. (युस्को) द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए वाईयू 1 और वाईयू 4 ग्रेड का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पाद।

17. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रवचना जांच की। परिणामस्वरूप, अधिकृत प्रयोग को छोड़कर 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ल्ड फ्लेट उत्पादों के लिए पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया गया था और उत्पाद क्षेत्र निम्नलिखित को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था:

क. निम्नलिखित को छोड़कर, संबद्ध सामानों 4 एमएम तक की मोटाई (मिस ऐज के लिए +30 एमएम और ट्रिम्ड ऐज के लिए +4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस) के साथ कोल्ड रोल्ल्ड (कोल्ड रेड्यूस्ड) के बजाए आगे काम न किए गए सभी सीरीज के 1250 एमएम से अधिक चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ल्ड फ्लेट उत्पाद शामिल हैं:

(i) ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, ईएन 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 तथा ईएन 1.4509

(ii) क्रोमियम-निकिल मैंगनीज-कॉपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से युक्त लौह निकिल वाले सामानों के संबंध में भारतीय पेटेंट संख्या 223848 के तहत आपूर्ति किए गए उत्पाद तथा चीनी तैपई (ताइवान) के मैसर्स यीह युनाइटेड स्टील कारपो. (युस्को) द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए वाईयू 1 और वाईयू 4 ग्रेड का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पाद।

ख. विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) वह आयातक जो बिना स्लिटिंग के उसी रूप में अंतिम प्रयोग के लिए संबद्ध सामानों का आयात करता है; अथवा

(ii) दो या अधिक संबद्ध सामानों में स्लिट किया गया हो अर्थात् 1250 एमएम से अधिक के आकारों में।

बशर्ते कि आयातक सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर सामानों का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाता हो।

18. उत्पाद क्षेत्र मूल जांच से संशोधित किया गया है। इस प्रकार, वर्तमान जांच के लिए उत्पाद क्षेत्र निम्नलिखित है:

"600 एमएम से 1250 एमएम (मिस ऐज के लिए +30 एमएम और ट्रिम्ड ऐज के लिए +4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस तथा निम्नलिखित को छोड़कर 4 एमएम तक की चौड़ाई के साथ कोल्ड रोल्ल्ड (कोल्ड रेड्यूस्ड) के बजाए आगे न की गई सभी सीरीज के गैर-अधिकृत प्रयोगों के लिए 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ल्ड फ्लेट उत्पाद"

क. ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509;

ख. चीनी तैपई (ताइवान) के मैसर्स यीह युनाइटेड स्टील कारपो. (युस्को) द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए क्रोमियम-निकिल मैंगनीज-कॉपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से युक्त और ग्रेड वाईयू 1 और वाईयू 4 ग्रेड का प्रतिनिधित्व करने वाले लो निकिल को शामिल करने वाली वस्तुओं के संबंध में भारतीय पेटेंट सं. 223848 के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उत्पाद।

ग. इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) वह आयातक जो बिना स्लिटिंग के उसी रूप में अंतिम प्रयोग के लिए संबद्ध सामानों का आयात करता है; अथवा

- (ii) दो या अधिक संबद्ध सामानों में उसे स्लिट किया हो अर्थात् 1250 एमएम से अधिक के आकार में (उदाहरण के लिए 2600 एमएम के पीस को 1300 एमएम आकार के दो पीसों में स्लिट किया गया।

बशर्ते कि आयातक ने सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर सामानों का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई हो।

19. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 में "बेस मेटल एंड आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल्स" श्रेणी के तहत और इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है।

उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रणाली

20. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के स्तर पर पीसीएन प्रणाली का प्रस्ताव किया और पक्षकारों से टिप्पणियां मांगीं। जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निम्नलिखित उल्लेख है:

उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

9. आवेदकों ने उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। दिनांक 03.07.2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई स्टेनलेस स्टील के फ्लेट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में समांतर पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने उत्पाद किस्म, उत्पाद के ग्रेड, उत्पाद के स्वरूप, उत्पाद की चौड़ाई, उत्पाद की मोटाई और परिष्करण जैसे कतिपय कारकों के आधार पर पीसीएन सिद्धांत अपनाया है। प्राधिकारी द्वारा यही संबद्ध सामानों के संबंध में की जा रही सब्सिडीरोधी जांच में माना गया है। दिनांक 14.08.2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित पीसीएन सिद्धांत उस सीमा तक इस जांच में अपनाए जाने का प्रस्ताव है जहां तक वह वर्तमान विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में कोई भी टिप्पणियां इस जांच की शुरुआत की तारीख से 14 दिन के भीतर दायर की जा सकती हैं।

21. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्रस्तावित पीसीएन सिद्धांत के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विचारों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने निम्नलिखित पीसीएन सिद्धांत अपनाया और 11 नवंबर, 2020 के पत्र संख्या 7/18/2020-डीजीटीआर के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया:

क्रम सं.	विवरण	पीसीएन	कोड
1	उत्पाद का प्रकार	कोल्ड रोल्ड	2
		कोल्ड रोल्ड अनील्ड एंड पिकल्ड	4
2	उत्पाद की श्रेणी	201	201
		202	202
		216	216
		301	301
		304	304
		304एल	304एल
		309	309
		310/एस	310एस

		316	316
		316/एल	316एल
		405	405
		409	409
		410	410
		410/एस	410एस
		415	415
		420	420
		430	430
		432	432
		436	436
		439	439
		444	444
		446	446
		डुपलेक्स	डीयूपी
		कोई अन्य	ओआरएस
		विशेष – कृपया उल्लेख करें	एसपीसी
3	उत्पाद का रूप	कॉइल	1
		प्लेट/शीट	2
		स्ट्रिप्स	3
		पंच्ड कॉइल	4
		सर्किल्स	7
		अन्य – कृपया उल्लेख करें	8
4	उत्पाद की चौड़ाई	600 एमएम या अधिक की चौड़ाई के परंतु 1250 एमएम तक	2
		1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के (गैर-अधिकृत प्रयोग)	3
5	मोटाई	0.5 एमएम से कम की मोटाई के	9
		0.5 एमएम और उससे अधिक की मोटाई के परंतु 1.00 एमएम से कम	10
		1.00 एमएम और उससे अधिक की	

		मोटाई के परंतु 3.00 एमएम से कम 3.00 एमएम और उससे अधिक 4.00 एमएम तक की मोटाई के	11 12
6	उत्पाद का परिष्करण	कोई विशेष परिष्करण नहीं विशेष परिष्करण – कृपया अलग कॉलम में परिष्करण दर्शाएं	1 2

टिप्पणी: उपर्युक्त पंक्ति 2 में निर्धारित ग्रेड भारतीय मानक हैं। जब कभी कोई उत्पाद भारतीय मानक को छोड़कर किसी विशिष्टि को अपनाकर निर्यात किया गया है तो भारतीय मानक का संतुलित ग्रेड निर्धारित किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए निम्नलिखित व्याख्या मानें:

1. कोल्ड रोल्ड अनील्ड एंड पिकल्ड, 316एल ग्रेड, 2बी परिष्करण के साथ 0.8 की मोटाई वाले 600 एमएम से कम की स्ट्रिप को 4316एल31102 के रूप में निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, "2बी" को अलग कॉलम में निर्धारित किया जाए।
22. पोस्को के मोटाई संबंधी मानदंड परिवर्तित करने के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। कंपनी ने पूर्व में प्रस्तावित पीसीएन प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता सिद्ध नहीं की है। प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों की जांच करने के बाद दिनांक 11.11.2020 के पत्र द्वारा पीसीएन अधिसूचित किया।
23. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी मानते हैं कि भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पादन विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संबंध में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग करते हैं। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की "समान वस्तु" हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. वर्तमान आवेदन पत्र मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टेनलेस (हिसार) और मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियां न तो भारत में किसी आयातक से और न ही संबद्ध देश के किसी निर्यातक से संबद्ध हैं। आवेदक कंपनियों ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात भी नहीं किया है। आवेदक कंपनियों का भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। अतः आवेदक आधार की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।
- ख. अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े अनुमानों के आधार पर हैं। आवेदकों ने असंगठित क्षेत्र/रि-रोलरों द्वारा उत्पादन निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग के आयातों और बिक्री का विश्लेषण किया है। यहां तक कि यदि सम्पूर्ण आयात कोल्ड रोल्ड उत्पादों में परिवर्तित किए जा रहे हैं, तो भी आवेदकों द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनेगा।

- ग. भारत में विचाराधीन उत्पाद के चार अन्य ज्ञात उत्पादक हैं अर्थात् बीआरजी आयरन एंड स्टील कं. प्रा. लि., सलेम स्टील प्लांट (सेल), शाह अलॉयज़ लि. और रिमज़िम स्टेनलेस लि., जिनका उत्पादन जांच का अवधि के दौरान अनुमानों के आधार पर है।
- घ. जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लि. (जेएसएसएल) अन्य दो अग्रणी कंपनियों अर्थात् जेएसएल और जेएस(एच)एल की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। आधार निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए जेएसएसएल के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है और न ही क्षति संबंधी सूचना में शामिल किया गया है। उसे केवल आयात किए जा रहे उन उत्पाद किस्मों के संबंध में क्षति तथा क्षति मार्जिन सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता के रूप में जोड़ा गया है जिनकी आपूर्ति जेएसएल/जेएसएचएल द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि जिनका प्रसंस्करण जेएसएसएल द्वारा किया जा रहा है (उदाहरण के लिए सर्किल्स, एंटी फिंगर प्रिंट 2, नं. 8 मिरर फिनिश, इम्बॉशिंग, इचिंग)। यह उत्पाद सर्किल्स, एंटी फिंगर, मिरर फिनिश, इम्बॉशिंग, इचिंग जैसे रूपों में काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है और यह इन रूपों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ड. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन रि-रोलरों द्वारा असंगठित क्षेत्र में भी किया जाता है। आवेदकों ने भारतीय उत्पादन के संबंध में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करके आधार सिद्ध किया है। 600 एमएम से अधिक की चौड़ाई और 8 एमएम से कम की मोटाई के हॉट रोल्ड उत्पादों के आयातों का हिस्सा तथा 600 एमएम से अधिक की चौड़ाई और 8 एमएम से कम मोटाई के हॉट रोल्ड उत्पादों की बिक्री का हिस्सा बाजार में अन्य एमएसएमई उत्पादकों द्वारा सीआर उत्पादों के उत्पादन के रूप में माना गया है। तथापि, यहां तक कि यदि इन आयातों पर समग्र रूप से विचार किया जाता है तो तब भी याचिकाकर्ताओं के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
- च. प्राधिकारी ने समांतर पाटनरोधी जांच में इसी मुद्दे के संबंध में माना है कि जेएसएसएल द्वारा उत्पादित उत्पाद, जेएसएल और जेएसएचएल द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पाद से भिन्न नहीं है। अंतर केवल विचाराधीन उत्पाद के रूप का है जो जेएसएसएल द्वारा वृद्धिकारक क्रियाकलाप करने के बाद बेचा जा रहा है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) और जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड (जेएसएचएल) द्वारा कुछ उत्पादों की आपूर्ति नहीं की जाती है, तथापि उन उत्पादों के संबंध में जेएसएसएल द्वारा प्रसंस्करण किया जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि जब उपर्युक्त कंपनी के आंकड़ों पर याचिका में विचार नहीं किया गया है तो जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) द्वारा प्रसंस्कृत संबद्ध उत्पादों के संबंध में क्षति कैसे निर्धारित की जाएगी।
- ख. अनुरोध है कि याचिका में आधार और क्षति के संबंध में जेएसएसएल से कोई आंकड़े न मिलने पर उस पर इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में विचार नहीं किया जा सकता और उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग का भाग बनने के रूप में नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वर्तमान मामले में जेएसएसएल द्वारा दी गई सूचना अथवा अनुरोध की अनदेखी करें।
- ग. यह स्पष्ट नहीं है कि जब क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए खुद याचिकाकर्ताओं द्वारा संगत आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है तो कुछ आयातों के संबंध में क्षति कैसे दर्शाई जा सकती है।
- घ. जेएसएसएल कुछ परिष्करणों और सर्किलों के संबंध में वृद्धिकारक क्रियाकलाप ही कर रहा है जिनकी जेएसएल और जेएसएचएल द्वारा समान रूप में आपूर्ति नहीं की जाती है। अनुरोध है कि याचिका में आधार एवं क्षति के संबंध में जेएसएसएल से किन्हीं आंकड़ों के अभाव में इस मामले में उसे याचिकाकर्ता के रूप में नहीं माना जा सकता और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग का लाभ बनने के रूप में नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे वर्तमान मामले में जेएसएसएल द्वारा दी गई सूचना अथवा किए गए अनुरोध की अनदेखी करें। प्राधिकारी ने 15 देशों से स्टेनलेस स्टील प्लेट उत्पादों के संबंध में जांच में यही समान दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें याचिका उन्हीं तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी।

घ.3 प्राधिकारी की जांच

26. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

27. वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन पत्र मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड और मैसर्स जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदक कंपनियों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध हैं। जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) केवल जेएसएल और जेएसएचएल द्वारा उत्पादित किए जा रहे स्टील के संबंध में ही वृद्धिकारक क्रियाकलाप कर रहा है। आवेदकों ने स्पष्ट किया है कि इस कंपनी को प्राधिकारी को वर्तमान जांच से संगत मानी गई कोई सूचना मंगाने में सहायता देने के लिए ही जोड़ा गया है और उसका उत्पादन न तो भारतीय उत्पादन में शामिल किया गया है और न ही इस कंपनी के आंकड़ों को क्षति संबंधी सूचना में शामिल किया गया है। यह नोट किया जाता है कि केवल जेएसएल और जेएसएचएल द्वारा दी गई सत्यापित क्षति तथा लागत संबंधी सूचना पर ही विचार किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के भाग के रूप में जेएसएसएल पर विचार नहीं किया है और न ही उस पर आवेदक का आधार निर्धारित करने अथवा क्षति निर्धारण के प्रयोजन के लिए विचार किया गया है। नियम 2(ख) के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के क्षेत्र में केवल आवेदक कंपनियां जेएसएल और जेएसएचएल ही शामिल हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

28. गोपनीयता एवं अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. उत्पादन, बिक्री आदि जैसे मात्रात्मक मानदंडों के संदर्भ में सूचना प्रकट नहीं की गई है क्योंकि वह सार्वजनिक पटल पर नहीं है। इतनी अधिक व्यापार संवेदी सूचना का प्रकटन प्रतिस्पर्धियों और उपभोक्ताओं के महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ की होगी और इससे आवेदकों के हित पर गंभीर प्रभाव होगा। तथापि, आवेदकों ने जहां भी संभव हुआ है, सूचीबद्ध सूचना दी है।

ख. आवेदकों ने जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने वाली पर्याप्त सूचना दी है और आवेदन प्रपत्र के तहत अपेक्षित सभी सूचनाएं दी हैं। जहां तक लेख में कतिपय मानदंडों के मूल्यांकन में विफलता का संबंध है, आवेदकों का अनुरोध है कि आवेदकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे आवेदन पत्र में सभी मानदंडों का मूल्यांकन करें। आवेदकों का दायित्व है कि वे सभी संगत सूचनाएं दें जो कर दिया गया है।

ग. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े गोपनीय आंकड़े होते हैं और इसीलिए परिचालित नहीं किए जा सकते। हितबद्ध पक्षकार, यदि वे चाहें तो डीजीसीआईएंडएस से लेन-देन वार आंकड़े प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

घ. आवेदकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने नियमावली के नियम 7 तथा 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर में सूचीबद्ध रूप में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

ड. जहां भी संभव हुआ है, सूचीबद्ध सूचना दी गई है। क्षति विश्लेषण अनिवार्य रूप से एक प्रवृत्ति का विश्लेषण है जिसे आवेदन पत्र में दिए गए विभिन्न मानदंडों की प्रवृत्तियों के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है।

च. गोपनीयता का जारी व्यापार सूचना के अनुसार ही दावा किया गया है। याचिका में सूचना में दो संबद्ध कंपनियों जेएसएल और जेएसएचएल के आंकड़े निहित हैं और इस प्रकार दो याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना प्रकट करते हुए अगोपनीय याचिका दायर की गई है।

वस्तुतः यह माना जाना चाहिए कि यथातथ्यतः एक याचिका कंपनी है, क्योंकि दो याचिकाकर्ता एक ही समूह का भाग हैं।

- छ. उत्तर के अगोपनीय रूपांतर की सावधानीपूर्वक जांच इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की सीमा दर्शाएंगी और उत्तर गोपनीय आधार पर दायर सूचना के सार की तर्कसंगत समझ की अनुमति नहीं देता।
- ज. हुंडई कारपोरेशन, पोस्को इंटरनेशनल, पोस्को, कोरिया गणराज्य, पोस्को-थैनाक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन जैसे निर्यातकों/उत्पादकों ने नियमावली द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और अपेक्षाओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए *निर्णायक समीक्षा से संबंधित निर्यातक प्रश्नावली – भाग-II आगे की सूचना* दायर नहीं की है। वे जान-बूझकर अधिकतर प्रश्नों के उत्तर गोपनीय चिन्हित करते हुए प्रश्नावली के उत्तर के पूरे भाग से बचे हैं। विदेशी उत्पादक संभावना के संबंध में कोई सूचना देने में विफल रहे हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अकेले इस आधार पर उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तर को रद्द करें।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. गोपनीयता के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है और अपूर्ण याचिका दायर की गई है क्योंकि लागत संबंधी सूचना पूरी तरह से गायब है। याचिकाकर्ता इनके लिए उपयुक्त औचित्य दर्शाने में विफल रहे हैं और साथ ही औचित्य तालिका व्यापार सूचना के अनुसार नहीं है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीयता के तर्क की अपेक्षा का अनुपालन न होना दो से अधिक उत्पादकों के लिए अपेक्षित है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

च. विविध मुद्दे

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. 2008 में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव वास्तव में प्रवंचना जांच के निष्कर्ष के बाद 2017 में प्रभावी हुए।
- ख. आयातक क्षेत्रीय मूल्य मात्रा; चुनिंदा रूप से शब्दों का प्रयोग करके सामानों की घोषणा न करने; गैर-लागू अवधियों के दौरान अंतिम प्राधिकार का प्रयोग करके; प्रवेश के बिल में आरएमएस का अनुपालन न करके अग्रिम लाइसेंस स्कीम के तहत आयात करके; और चौड़ाई, लंबाई आदि जैसी विशिष्टियां पूरी तरह से प्रकट न करके सीमा शुल्क से बचे हैं। निर्यातक आदतन अपराधी हैं क्योंकि उनके विरुद्ध अधिसंख्य डीआरआई जांचें प्रभावी की गई हैं।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बिना पर्याप्त सूचना लिए जांच शुरू की है। कानून में अपेक्षा है कि प्रथम दृष्टया जांच का औचित्य बनाने के लिए पाटन एवं संभावना के संबंध में पर्याप्त सूचना होनी चाहिए। जांच बिना पर्याप्त सूचना के शुरू की गई है। प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, पर्याप्त साक्ष्य बनाने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता का होना चाहिए *मैक्सिको – स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स (डीएस-331)*, *यूनाइटेड स्टेट – सॉफ्टवुड लम्बर फ्रॉम कनाडा, ग्वाटेमाला – सीमेंट-II (डीएस-156)*, *मैक्सिको – स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स (डीएस-331)* का संदर्भ दिया जाता है।
- ख. यूएस-डीआरएमएस (डीएस-99) में डब्ल्यूटीओ पैनल में टिप्पणी की कि "पाटनरोधी शुल्क आवश्यक अपेक्षा के अनुसार क्षतिकारक पाटन का प्रतिकार करने के लिए तभी तक और आवश्यक सीमा तक लागू रहेंगे"। घरेलू उद्योग के लिए जांच किए गए आर्थिक मानदंड पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता नहीं बताते।
- ग. जांच की शुरुआत नियम 5(3) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.3 के विरोध में है क्योंकि वे अधिकतर अनुमानों और अवधारणाओं पर आधारित हैं।
- घ. संगत उपाय निरंतर लगाए जाने से बाजार प्रतिस्पर्धा का ह्रास होगा और इस प्रकार वे जनहित के विरुद्ध कार्य करेंगे। इससे उत्पादन प्रौद्योगिकी और दक्षता भी कम होगी तथा उद्योग के दीर्घावधि एवं मौलिक हितों की क्षति हो सकती है।
- ड. प्राधिकारी ने *चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ड्राई सेल बैट्रियों" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में* टिप्पणी की थी कि पाटनरोधी शुल्क विशेष मामलों को छोड़कर 10 वर्षों से अधिक जारी नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त, एक विशेष मामला सिद्ध करते हुए अतिरिक्त परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में घरेलू उद्योग ने विशेष मामला होने की स्थिति सिद्ध नहीं की है।
- च. प्राधिकारी को निर्णय करने में सतत होना चाहिए। डीजीटीआर एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है। इस प्रकार, कानूनी सिद्धांत पूर्वोदाहरण के नियम के माध्यम से बाद के मामलों पर लागू होना चाहिए।
- छ. आर्सलर मित्तल और पोस्को जैसे वैश्विक स्टील उत्पादक प्रमुखों के लिए विगत 5 वर्षों में रिकॉर्ड किया गया उच्चतम आरओआई क्रमशः 9.92 प्रतिशत और 5.36 प्रतिशत था। इस प्रकार, 22 प्रतिशत की दर सभी प्रकार के विचाराधीन उत्पादों के लिए निर्धारित सीमा के रूप में लागू नहीं की जा सकती।
- ज. प्राधिकारी उत्तर दायर करने के लिए पर्याप्त समय देने में विफल रहे। अनुरोध दायर करने के लिए देय तारीख 16 नवंबर, 2020 थी। तथापि, प्राधिकारी ने पीसीएन 11 नवंबर, 2020 को बदल दिया।

- झ. प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा जांच अनिवार्य रूप से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।
- ञ. जेएसएसएल को याचिकाकर्ता के रूप में शामिल करने के संबंध में स्पष्टता नहीं है। यदि जेएसएसएल द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है और उन्हें घरेलू उद्योग नहीं माना गया है तो जेएसएसएल द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पाद के लिए क्षति विक्षेपण कैसे किया जा सकता है।
- ट. प्राधिकारी क्षतिरहित कीमत का सही-सही परिकलन सुनिश्चित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए लागत आबंटन का विस्तृत सत्यापन करें।
- ठ. आयात केवल मांग और आपूर्ति में वृद्धि के बीच अंतराल भरने के लिए ही हो रहे हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि मांग-आपूर्ति अंतराल के मद्देनजर आयात आवश्यक हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अलावा अन्य घरेलू उत्पादक हैं तथा घरेलू उद्योग के लिए विचार किए गए उत्पादन ब्यौरे भारतीय मांग के तुलनीय हैं। किसी भी दशा में मांग-आपूर्ति अंतराल केवल सामानों के आयातों का औचित्य बता सकते हैं न कि पाटन की स्थिति।
35. जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने पिछले 10 वर्षों से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त किया है और शुल्क जारी रखने से बाजार प्रतिस्पर्धा का ह्रास होगा तथा इस प्रकार वह जनहित के विरुद्ध कार्य करेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन केवल व्यापारिक स्तर सृजित करना है और पाटन के क्षतिकारक प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए परिकल्पित नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि संबद्ध देशों से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी रखना कैसे अर्थव्यवस्था अथवा देश के व्यापक हितों के लिए हानिकारक होगा। तथापि, अनुचित संरक्षण का मुद्दा, यदि कोई है, तो उसकी जांच संगत अनुभाग में की गई है ताकि शुल्क उस अवधि से अधिक के लिए अनुचित रूप से न लगाया जाए जिसके लिए वह अपेक्षित है।
36. जहां तक निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदकों के आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना की पर्याप्तता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य की प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत से पूर्व जांच की गई थी और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर संबद्ध जांच शुरू की गई थी। तथापि, वास्तविक निर्धारण उत्तरदाता निर्यातकों और आयातकों के वास्तविक आंकड़ों एवं प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर है।
37. जहां तक विश्व में अन्य स्टील विनिर्माताओं के आरओआई का संबंध है, वह भारतीय विनिर्माताओं के लिए मापदंड नहीं हो सकता। आर्सेलर मिट्तल और पोस्को जैसे कुछ कंपनियों के आरओआई को अलग से नहीं दर्शाया जा सकता तथा कंपनियों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक भी देखे जाने होते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग में आरओआई में गिरावट के कारण क्षति का आरोप नहीं लगाया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 सामान्य मूल्य

38. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

39. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चीन जन. गण. को पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा तथा अन्य देशों में जांच और प्राधिकारियों द्वारा ली गई स्थिति के अनुरूप गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता।
- ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी तभी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का पालन करेंगे, यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागतों और कीमतों संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागतों और कीमत संबंधी सूचना अपनाई जा सकती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।
- ग. आवेदकों ने भारत में वास्तव में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया है जो बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उपयुक्त लाभ के लिए जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है।
- घ. वर्तमान जांच में किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
- ङ. आवेदकों ने एमईपीएस स्टेनलेस स्टील समीक्षा में सूचित कीमतों के अनुसार ताइवान, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया गणराज्य में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर विचार किया है। एमईपीएस द्वारा सूचित कीमतें इन घरेलू बाजारों में संबद्ध सामानों की विद्यमान कीमतों का अच्छा साक्ष्य है और इन देशों में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के अनुमानों से अधिक हैं।
- च. आवेदक एमईपीएस स्टेनलेस स्टील समीक्षा अथवा किसी अन्य माध्यम से थाइलैंड और दक्षिण अफ्रीका के लिए कीमतें प्राप्त नहीं कर पाए और इस प्रकार थाइलैंड और दक्षिण अफ्रीका में सामान्य मूल्य, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों से विधिवत समायोजित करके उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
- छ. हुंडई कारपोरेशन, पोस्को इंटरनेशनल, पोस्को, कोरिया गणराज्य, पोस्को-थैनाक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, सैमसंगत सीएंडटी कारपोरेशन जैसे निर्यातकों/उत्पादकों ने नियमावली द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और अपेक्षाओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए *निर्णायक समीक्षा से संबंधित निर्यातक प्रश्नावली – भाग-II आगे की सूचना* दायर नहीं की है। वे जान-बूझकर अधिकतर प्रश्नों के उत्तर गोपनीय चिन्हित करते हुए प्रश्नावली के उत्तर के पूरे भाग से बचे हैं। विदेशी उत्पादक संभावना के संबंध में कोई सूचना देने में विफल रहे हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अकेले इस आधार पर उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तर को रद्द करें।

छ.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए प्रश्नावली के उत्तर पर विश्वास करें। यदि कोई अपर्याप्तता है तो प्राधिकारी कमी वाला पत्र जारी करें।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग किया है:

- क. हुंडई कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
- ख. पोस्को एशिया कंपनी लिमिटेड, हांग कांग
- ग. पोस्को इंटरनेशनल, कोरिया गणराज्य
- घ. पोस्को, कोरिया गणराज्य
- ङ. पोस्को-थैनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड
- च. सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
- छ. कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

42. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे,

तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सव्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(iii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

43. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, चीन जन. गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

I. चीन जन. गण.

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

44. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकार्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण "किसी अन्य उपयुक्त आधार" पद्धति पर विचार कर किया है।
45. अतः प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ की अभिवृद्धि सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया है। चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित वह निर्मित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

46. चीन जन. गण. से किसी उत्पादक द्वारा सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, गैर-वापसी वैट, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभारों के निमित्त उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेन-देन वार डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर

निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, चीन जन. गण. को निर्यातों के लिए कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत परिकलित की गई है और निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

अन्य देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सामान्य पद्धति

47. सबसे पहले यह निर्धारित किया गया था कि क्या संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा संबद्ध सामानों की कुल घरेलू बिक्री भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों की तुलना करने पर प्रतिनिधि कारक थी। उसके बाद यह जांच की गई कि क्या ये बिक्रियां नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 2 के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के तहत हैं। जहां कहीं उत्पादकों/निर्यातकों ने घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के लेन-देन वार ब्यौरे दिए हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें स्वीकार किया गया है, वहां उस सूचना पर उनके गृह बाजार में बेचे गए संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए विश्वास किया गया है।
48. व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया करने के लिए संबंधित उत्पाद की उत्पादन लागत की लागत उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना के संदर्भ में की गई थी और यह निर्धारित करने के लिए घरेलू बिक्री कीमत के साथ उसकी तुलना की गई थी कि क्या घरेलू बिक्री व्यापार की साधारण प्रक्रिया में थी। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर विचार किया है, जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं। जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, उनमें केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है।
49. जहां कहीं विशेष पीसीएन/ग्रेड की कोई घरेलू बिक्री अथवा कोई लाभप्रद घरेलू बिक्री नहीं थी, वहां सामान्य मूल्य प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागत के लिए और लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि के साथ उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया था।

II. कोरिया गणराज्य

पोस्को, कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

50. जांच की अवधि के दौरान, पोस्को, कोरिया जनवादी गणराज्य ने घरेलू बाजार में संबद्ध तथा असंबद्ध पक्षकारों को *** केआरडब्ल्यू के लिए संबद्ध देशों को *** मी.ट. संबद्ध सामानों की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया को अपनाया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो घरेलू बिक्री में सभी लेन-देनों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं, वहां केवल लाभप्रद बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। जहां कहीं विशेष पीसीएन की कोई घरेलू बिक्री अथवा कोई लाभप्रद घरेलू बिक्री नहीं थी, वहां सामान्य मूल्य उपयुक्त लाभ के साथ उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया है। पोस्को, कोरिया जन. गणराज्य के संबंध में, चूंकि लाभप्रद बिक्रियां ***प्रतिशत से कम हैं, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद बिक्रियों पर विचार किया है। पोस्को, कोरिया गणराज्य ने अंतर्देशीय परिवहन, भंडारण व्यय, वारंटी व्यय, ऋण लागत, शीघ्र भुगतान छूट, देरी से भुगतान, व्याज आय और पैकिंग व्यय के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, पोस्को, कोरिया जन. गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पोस्को, कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

51. मैसर्स पोस्को, कोरिया, जो कोरिया गणराज्य में संबद्ध सामानों का एक प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, पोस्को, कोरिया गणराज्य ने सात व्यापारियों अर्थात् मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन, मैसर्स हुंडई कारपोरेशन, मैसर्स सैमसंग सी एंड टी कारपोरेशन, मैसर्स ह्योसंग टीएनसी कारपोरेशन, मैसर्स एसके नेटवर्क्स कं. लिमिटेड, मैसर्स स्टिन्को कं. लिमिटेड और मैसर्स टोयोटा सुशो के माध्यम से भारत को *** KRW के लिए *** मीट्रिक टन माल का निर्यात किया, जिसमें से चार

व्यापारी, मैसर्स ह्योसंग टीएनसी कारपोरेशन, मैसर्स एसके नेटवर्क्स कं. लिमिटेड, मैसर्स स्टिन्को कं. लिमिटेड और मैसर्स टोयोटा सुशो ने प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। भाग न लेने वाले इन चार निर्यातकों का पोस्को, कोरिया गणराज्य द्वारा भारत को कुल निर्यातों में केवल ***प्रतिशत हिस्सा है। कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए उस पर विचार किया गया है। पोस्को, कोरिया गणराज्य तथा उपर्युक्त नामों वाली प्रतिभागी कंपनियों के उत्तरों का प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन भी किया गया था। पोस्को, कोरिया और प्रतिभागी व्यापारियों का पाटन मार्जिन उनके द्वारा दायर उत्तर के आधार पर निर्धारित किया गया है। कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सहयोगी निर्यातकों द्वारा दायर सूचना और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। पोस्को, कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

कोरिया गणराज्य से सभी अन्य निर्यातक

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी ने असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

III. यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

53. यूरोपीय संघ से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान समीक्षा जांच में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

यूरोपीय संघ के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

54. यूरोपीय संघ से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान समीक्षा भाग में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभारों के निमित्त उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेन-देन वार डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, यूरोपीय संघ से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात परिकलित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

IV. दक्षिण अफ्रीका

कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

55. मैसर्स कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से एक मात्र उत्पादक एवं निर्यातक है जिसने इस समीक्षा जांच में प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया गया था। प्राधिकारी ने उनके पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए इस सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विश्वास किया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि कोलम्बस ने घरेलू बाजार और भारत में सीधे ही असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामानों की बिक्री की है।
56. मैसर्स कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री और बिक्री लागत के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। जांच की अवधि के दौरान कोलम्बस ने *** मी.ट. संबद्ध सामानों की घरेलू बाजार में *** अम.डा. के लिए असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही बिक्री की है। दावा की गई बिक्री लागत के आधार पर, प्राधिकारी ने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया ("ओसीटी") परीक्षण पीसीएन-वार किया है। जिस पीसीएन के लिए ओसीटी परीक्षण संतोषप्रद था, उसके लिए सामान्य मूल्य औसत कारखानागत घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर निर्धारित किया गया है। अन्य पीसीएन में जहां ओसीटी परीक्षण संतोषप्रद नहीं था, वहां *** प्रतिशत के मार्जिन के साथ कारखानागत लागत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। कोलम्बस ने

बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

57. जांच की अवधि के दौरान मैसर्स कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि., दक्षिण अफ्रीका ने भारत में ***अम.डा. का *** मी. टन असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। कोलम्बस ने अपेक्षित प्रपत्र में सभी संगत सूचनाएं दी हैं। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान कोलम्बस ने भारत को *** मी. टन संबद्ध सामान बेचे हैं। कोलम्बस ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों, ऋण लागत, पैकिंग लागत और कमीशन के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत परिकलित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

दक्षिण अफ्रीका से सभी अन्य निर्यातक

58. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

V. ताइवान

ताइवान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

59. ताइवान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

60. ताइवान से किसी भी उत्पादक द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभारों के निमित्त उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेन-देन वार डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, ताइवान से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात परिकलित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

VI. थाइलैंड

61. मैसर्स पोस्को, थैनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, जो कि थाइलैंड में संबद्ध सामानों की एक प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक है, ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

पोस्को-थैनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड

62. जांच की अवधि के दौरान पोस्को, थैनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड ने संबद्ध एवं असंबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में *** टीएचबी के लिए *** मी.ट. संबद्ध सामानों की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किए हैं। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्री में सभी लेन-देनों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है और यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर ही विचार किया जा रहा है। जहां कहीं विशेष पीसीएन की कोई घरेलू बिक्री अथवा कोई लाभप्रद घरेलू बिक्री नहीं थी, वहां सामान्य मूल्य उपयुक्त लाभ के साथ उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित किया गया है। पोस्को, थैनोक्स के संबंध में, चूंकि लाभप्रद बिक्रियां *** प्रतिशत से कम हैं, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद बिक्रियों पर विचार किया है। कुछ पीसीएन में लेन-देन कतई किसी लाभ के बिना हैं और इसीलिए प्राधिकारी ने इन पीसीएन के लिए

लागत एवं उपयुक्त लाभ आधार पर सामान्य मूल्य निकाला है। पोस्को-थैनोक्स ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और पैकिंग व्यय के संबंध में समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, पोस्को-थैनोक्स के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पोस्को-थैनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

63. जांच की अवधि के दौरान पोस्को-थैनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड ने भारत को सीधे ही तथा तीन व्यापारियों अर्थात् मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन, मैसर्स हुंडई कारपोरेशन और मैसर्स पोस्को एशिया कंपनी लिमिटेड के माध्यम से *** अम. डॉलरों के लिए *** मी.ट. संबद्ध सामानों की बिक्री की। पोस्को-थैनोक्स ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, सार-संभाल प्रभार, सीमा शुल्क मंजूरी, समुद्री बीमा, ऋण लागत और पैकिंग व्यय के निमित्त समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, भारत औसत पीसीएन-वार निर्यात कीमत पोस्को-थैनोक्स के लिए निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

थाइलैंड में अन्य सभी निर्यातक

64. थाइलैंड से अन्य सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन थाइलैंड में सहयोगी निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

VII. संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

66. संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी उत्पादक द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभारों के निमित्त उपयुक्त समायोजन करने के बाद लेन-देन वार डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात परिकलित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

पाटन मार्जिन

67. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सभी देशों के लिए पाटन मार्जिन तालिका

क्रम सं.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन)	पाटन मार्जिन कीमत (अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)

1.	कोरिया गणराज्य	पोस्को, कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	10-20
2	कोरिया गणराज्य	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30
3	थाइलैंड	पोस्को-थैनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
4	थाइलैंड	अन्य सभी	***	***	***	***	40-50
5	दक्षिण अफ्रीका	कोलम्बस स्टेनलेस (पीटीवाई) लि.	***	***	***	***	20-30
6	दक्षिण अफ्रीका	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
7	यूरोपीय संघ	सभी उत्पादक	***	1223.03	***	***	30-40
8	चीन जन. गण.	सभी उत्पादक	***	2302.50	***	***	20-30
9	संयुक्त राज्य अमेरिका	सभी उत्पादक	***	1655.52	***	***	0-10
10	ताइवान	सभी उत्पादक	***	1920.05	***	***	40-50

ज. क्षति निर्धारण एवं क्षति की जांच के लिए पद्धति एवं कारणात्मक संपर्क

68. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते हुए, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।
69. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में यथा आवश्यक संशोधन के साथ लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में उन क्षति मानदंडों का मूल्यांकन किया है जो नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II के तहत अपेक्षित हैं और यह भी जांच की है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए आवेदन पत्र जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) और जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक जेएसएचएल और जेएसएसएल को इस जांच

के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग माना गया है। अतः क्षति निर्धारण के प्रयोजन के लिए जेएसएल और जेएसएचएल की लागत एवं क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

71. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. संबद्ध देशों से आयात पूरी क्षति अवधि में बढ़े हैं। उत्पादन एवं खपत के संबंध में आयातों में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध आयातों में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। *एआईए इंजीनियरिंग बनाम भारत संघ* में सेसटेट के आदेश का संदर्भ दिया जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि आयातों की कम मात्रा किसी निर्णायक समीक्षा जांच में संगत मानदंड नहीं होगी।
- ग. हालांकि विभिन्न देशों से वर्तमान उत्पाद क्षेत्र को शामिल करते हुए समांतर पाटनरोधी जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों में यह निष्कर्ष निकला है कि उद्योग को पाटित आयातों के मद्देनजर 2018-19 में वास्तविक क्षति हो रही थी।
- घ. संबद्ध देशों से आयातों की वर्तमान मात्रा बढ़ ही नहीं रही है, बल्कि पाटित कीमतों पर भी की जा रही है।
- ङ. संबद्ध सामानों का विभिन्न देशों से पाटन का इतिहास है। प्राधिकारी ने कई जांचों में देश में अनुचित पाटन का समाधान करने का प्रयास किया है। प्राधिकारी ने सतत पाटन का समाधान करने के लिए प्रवंचनारोधी जांच भी की। वर्तमान में पाटित आयातों की मात्रा अलग जांच में वर्तमान में हल की जा रही है।
- च. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति का दावा किया है। घरेलू उद्योग स्वीकार करता है कि अंतिम रूप से लगभग एक दशक के बाद घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने पर अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम हुआ है।
- छ. प्राधिकारी द्वारा जारी निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणाम 2011-12 से घरेलू उद्योग को जांच की अवधि तक (जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2013 तक) हो रही काफी हानियां और उसके बाद जांच की अवधि के बाद (जनवरी, 2014 – जून, 2014) में गहन हानियां दर्शा रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने केवल 2014-15 के बाद ही लाभ कमाना शुरू किया और पाटनरोधी शुल्कों का प्रवंचनारोधी जांच के बाद भी अपेक्षित प्रभाव शुरू हुआ।
- ज. हितबद्ध पक्षकार नियोजित पूंजी के साथ क्षमता को गलत जोड़ रहे हैं। नियोजित पूंजी को उत्पादन और कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- झ. आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी और इस प्रकार शुल्कों के समाप्ति होने की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती होने की संभावना है।
- ञ. घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही आयात कीमत पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद की कीमत है जो कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास नहीं कर रही है। पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत उस स्तर पर है जिसके घरेलू बाजार में कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास करने की संभावना है।
- ट. दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत क्षति रहित कीमत से कम है। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग की कम कीमतों पर बिक्री जारी है।
- ठ. घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में क्षति की अवधि में सुधार हुआ है। तथापि, यह सुधार 2009 से लगाए जा रहे पाटनरोधी शुल्क के बावजूद बहुत हाल का है और घरेलू उद्योग में अब भी काफी अनुपयुक्त क्षमताओं की समस्या है।
- ड. दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर संबद्ध देशों से वर्तमान आयातों का काफी पाटन और क्षति मार्जिन है।
- ढ. हितबद्ध पक्षकार अपने अनुरोधों पर नहीं टिके हैं। एक स्थान पर उन्होंने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग में भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है और दूसरी ओर वे घरेलू उद्योग में उसकी क्षमता में वृद्धि का

मुद्रा ले रहे हैं। घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण अपनी क्षमता में वृद्धि करने में सक्षम रहा है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि की गई है।

- ण. 60 डेनियर से अधिक विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न मामले पर विश्वास स्पष्ट रूप से गलत रखा गया है। उस मामले और वर्तमान मामले के तथ्यों के बीच भारी अंतर है। उस मामले में, प्राधिकारी ने माना कि अत्यधिक क्षमताओं और व्यापार विभाजन के संबंध में कोई सूचना नहीं थी। कीमत कटौती पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक थी, शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना पाने के लिए अन्य कारणों में मांग में गिरावट आई थी।
- त. अन्य कारकों की मौजूदगी निर्णायक समीक्षा जांच के लिए औचित्यों को कम नहीं करती, जहां पाटन और क्षति के बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना सिद्ध करना वर्तमान क्षति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। क्षति पहुँचाने वाले अन्य कारक घरेलू उद्योग को पाटन के लिए और अधिक सुभेद्य बनाते हैं। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों के साथ पाटन और क्षति की संभावना के बीच कारणात्मक संपर्क स्पष्ट है।
- थ. निष्पादन में वर्तमान सुधार पाटन और क्षति की संभावना न होने का साक्ष्य नहीं देता। ऐसी स्थिति में, यह देखे जाने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क समाप्ति से पाटन और क्षति होने की संभावना है अथवा नहीं। अधिकरण ने थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, सेसेटे ने माना कि मूल जांच के असमान निर्णायक समीक्षाएं प्रकृति में प्रत्याशित हैं क्योंकि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाते हैं तो वे पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना पर जोर देती हैं।
- द. एनआईपी निर्धारित करते समय लागत के आबंटन के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं प्राधिकारी को दी गई हैं और उनका सत्यापन किया गया है।
- ध. संचयी मूल्यांकन की आवश्यकता के लिए उल्लिखित शर्तों को निर्णायक समीक्षा मामलों में सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। न्यूनतम परीक्षण भी निर्णायक समीक्षा में लागू नहीं है, चाहे वो मात्रा के संबंध में हो अथवा पाटन मार्जिन के संबंध में। यह तथ्य कि पाटन मार्जिन नकारात्मक होने पर भी संभावना हो सकती है, स्वयं सिद्ध करता है कि मात्रा अथवा मार्जिन की नगण्यता पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता सिद्ध नहीं करती।
- न. बड़े हुए आयातों के संबंध में लगाए गए आरोप पूरी तरह आधारहीन हैं और उनसे इंकार किया जाता है। आयात डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से लिए गए हैं और प्राधिकारी कृपया उनका सत्यापन करें।
- प. देश में उत्पाद के लिए पर्याप्त क्षमता है और आयात पूरी तरह से अनावश्यक हैं। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। यदि थाइलैंड भारतीय मांग को पूरा करने के लिए इतना उत्सुक है तो वह पाटन का सहारा लिए बिना उचित कीमत पर सामानों का निर्यात कर सकता है।
- फ. यह तर्क कि कोविड-19 के मद्देनजर जांच की अवधि के बाद के निष्पादन को नहीं देखा जाना चाहिए, पूरी तरह गलत रखा गया है। इसका अर्थ होगा कि कोई भी उद्योग इस अवधि में शुल्कों के लिए नया मामला दायर नहीं कर पाएगा। कानून ऐसी स्थितियों का ध्यान रखता है और कोविड-19 के कारण आवश्यक कोई भी समायोजन किया जा सकता है और फिर प्राधिकारी जो भी उपयुक्त समझें, उस स्थिति में क्षति की संभावना की जांच कर सकते हैं।
- ब. आवेदकों का विश्वास है कि संबद्ध सामान थाइलैंड के माध्यम से भारत को चीन से भेजे जाते हैं। चीन भारत में सीवीडी और एडीडी के अध्यधीन है, परंतु थाइलैंड नहीं है। इस प्रकार, चीन भारत को आयात भेजने के लिए थाइलैंड का उपयोग कर रहा है। ऐसे मामले में थाई प्रवचन कानून लागू नहीं है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

72. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. थैनोक्स से आयातों में वृद्धि सामान्य है और भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए है। थाइलैंड से आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की अपेक्षा काफी कम दर पर है।

- ख. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत, बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी, उत्पादकता, मालसूची स्तर, नकद लाभ और लाभप्रदता में क्षति की अवधि में सुधार आया है। कर पूर्व लाभ आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 748 आधार अंक तक बढ़ा। तथापि, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में काफी हास हुआ है।
- ग. घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं है। लाभप्रदता, आयातों की मात्रा, बिक्री लागत, निवल बिक्री कीमत, क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, नकद लाभ, निवेश पर आय, संस्थापित क्षमता जैसे मानदंडों में क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के लिए काफी सुधार हुआ है।
- घ. भारत में घरेलू मांग 2016-17 से 2019-20 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री एवं संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई।
- ङ. आवेदकों को अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये के तेजी से मूल्यहास, कोविड-19, कारपोरेट ऋण पुनर्गठन और गैर-संबद्ध देशों से काफी आयातों जैसे अन्य कारकों के कारण क्षति हो सकती है।
- च. जांच की अवधि के दौरान औसत नियोजित पूंजी में वृद्धि संस्थापित क्षमता में वृद्धि के अनुरूप नहीं है।
- छ. थाइलैंड और कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि अत्यधिक बढ़ी हुई प्रतीत होती है। थैनोक्स और कोरिया गणराज्य द्वारा निर्यातित उत्पादों की वास्तविक रिपोर्टें बताती हैं कि वृद्धि बहुत ही नगण्य है और ऐसे आयात भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, थाइलैंड से आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम दर पर है।
- ज. दक्षिण अफ्रीका से आयात भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयातों का मात्र 0.09 प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त, आयात कीमतें भी बढ़ी हैं।
- झ. नियम 23 के अनुसार, नियम 11 आवश्यक संशोधनों के साथ निर्णायक समीक्षा के मामले में लागू है। अतः निर्णायक समीक्षा के मामले में भी प्राधिकारी के लिए कारणात्मक संपर्क विश्लेषण करना अपेक्षित है।
- ञ. यूरोपीय संघ और दक्षिण अफ्रीका से आयात न्यूनतम स्तर से कम हैं। अनुबंध-2 के अनुसार इन देशों से आयात अन्य देशों से आयातों से संचित नहीं किए जा सकते।
- ट. यूरोपीय संघ से आयातों में काफी गिरावट आई है। यूरोपीय संघ से आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में मात्र 0.95 प्रतिशत था।
- ठ. विद्यमान पाटनरोधी शुल्क (2010 से) अब अपेक्षित नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग में काफी सुधार हुआ है। उसे बढ़ाए जाने से अनुच्छेद 11.1 और नियम 23(1) का उल्लंघन होगा। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से 60 डेनियर से अधिक विस्कोस रेयन फिलामेंट यार्न के मामले में (मामला संख्या 6/26/2020-डीजीटीआर) टिप्पणी की कि यहां तक कि यद्यपि सामान्य मूल्य कम है, तथापि घरेलू उद्योग की वित्तीय वृद्धि और स्थिति काफी अच्छी है तथा इसीलिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की अब आवश्यकता नहीं है।
- ड. कोरिया से आयातों में, आधार वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में गिरावट आई; फिर 2018-19 में और जांच की अवधि में वृद्धि हुई। तथापि, कोरिया गणराज्य से आयातों में वृद्धि अत्यधिक बढ़ाई गई प्रतीत होती है। कोरिया गणराज्य द्वारा निर्यातित उत्पादों की वास्तविक रिपोर्टें यह बताती हैं कि वृद्धि बहुत ही नगण्य है और उनके द्वारा निर्यातों में वृद्धि सामान्य है तथा भारत में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए है।
- ढ. क्षति और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लिए लाभप्रदता आयातों के मात्रात्मक प्रभाव, बिक्री लागत, निवल बिक्री कीमत, क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, नकद लाभ, निवेश पर आय, संस्थापित क्षमता, सभी में काफी सुधार आया है। इस प्रकार, वास्तविक क्षति का दावा करने का कोई औचित्य नहीं है।
- ण. वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक घरेलू मांग में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री और संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। अतिरिक्त रूप से, आयातों की मात्रा में 436 प्रतिशत वृद्धि गैर-संबद्ध देशों से है जो उत्तरदाताओं की अपेक्षा अधिक प्रहारक है। इसी प्रकार, इन देशों के बाजार हिस्से में काफी मात्रा तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार, वास्तविक क्षति की जांच इन गैर-संबद्ध देशों के माध्यम से की जाएगी, न कि संबद्ध देशों के माध्यम से।

- त. याचिकाकर्ता जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी अच्छा निष्पादन करते आ रहे हैं। इस प्रकार, क्षति विश्लेषण की संभावना में अपेक्षित प्रत्याशित विश्लेषण यह बताएगा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को निरंतर क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।
- थ. जेएसएसएल को याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। यदि जेएसएसएल द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है और उन्हें घरेलू उद्योग नहीं माना गया है, तो जेएसएसएल द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पाद के लिए क्षति विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने गोपनीयता देते समय 2 से अधिक उत्पादकों को लिया है। यह पुनः उस बात के विरोध में है जो घरेलू उद्योग ने जेएसएसएल के संबंध में कहा।
- द. मार्च, 2020 के लिए आयात आंकड़े नहीं दिए गए हैं, यद्यपि वे अब उपलब्ध है।
- ध. तथाकथित क्षति घरेलू उद्योग को चीन जन. गण., कोरिया और अन्य गैर-संबद्ध देशों से आयातों के कारण हुई है, न कि दक्षिण अफ्रीका से आयातों के कारण।
- न. यूरोपीय संघ से आयात न्यूनतम स्तर से कम हैं और सभी न्यूनतम आयातों का कुल योग कुल आयातों का 4.82 प्रतिशत है।
- प. ताइवान से संबद्ध सामानों का आयात जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कुल आयातों का मात्र 3.2 प्रतिशत है और यह जांच की अवधि में भारत में कुल आयातों का मात्रा 1.45 प्रतिशत है। इतनी कम मात्रा के आयात घरेलू उद्योग के क्षति नहीं पहुँचा सकते।
- फ. ताइवान से आयातों का बाजार हिस्सा 1.89 प्रतिशत से घटकर 1.45 प्रतिशत हो गया। चीन और कोरिया से आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक है और सीआईएफ आयात कीमत ताइवान से बहुत कम है।
- ब. घरेलू उद्योग को मात्रात्मक क्षति चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और अन्य देशों से आयातों के कारण है, न कि ताइवान से आयातों के कारण। घरेलू उद्योग की क्षमता 2016-17 में 1.6 मिलियन मी. टन थी, जिसे वह जांच की अवधि के दौरान लगभग 1.67 मिलियन मी. टन तक बढ़ाने में सक्षम था।
- भ. विचाराधीन उत्पाद तथा गैर-विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए एक ही संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। डीजीटीआर विचाराधीन उत्पाद को आबंटित लागत का सत्यापन करें और सुनिश्चित करें कि एनआईपी सही-सही निर्धारित की गई है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

73. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है।
74. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत है कि यदि उस शुल्क को बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, वह समय-समय पर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए उसे लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है और वह अगली अवधि उस अवधि के बड़ाए जाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।
75. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को यदि कोई वर्तमान क्षति है, तो उसकी जांच करने की कार्रवाई करते हैं।
76. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं जबकि कुछ नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को

पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

I. मांग का अनुमान लगाना

77. इस प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की मांग और प्रत्यक्ष खपत के भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के कुल बिक्री के रूप में लिया है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भारत में मांग/खपत में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:-

भारत में मांग	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	124	126
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	118	122
कुल भारतीय उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	122	124
संबद्ध देश	मी.टन	30,185	30,441	56,858	66,339
अन्य देश	मी.टन	14,969	26,254	52,378	82,625
कुल भारतीय मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	129	137

78. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई है।

II. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

i. आयात की मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा

79. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन अथवा खपत में पूर्णतः अथवा सापेक्ष रूप में काफी बढ़ोतरी हुई है। तथापि, वर्तमान मामले में, पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया है। क्षति का विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एण्ड एस से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा तथा पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिए गए अनुसार है:-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
चीन जन. गण.	मी.टन	15,577	20,921	30,660	37,279
ई. यू.	मी.टन	2,341	1,737	4,885	1,343
थाईलैंड	मी.टन	2,983	1,607	1,769	4,533

ताइवान	मी.टन	854	2,082	2,050	2,104
कोरिया जन. गण.	मी.टन	6,297	1,657	15,869	17,495
यू एस ए	मी.टन	1,462	1,128	583	3,421
द. अफ्रीका	मी.टन	671	1,308	1,041	166
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी.टन	30,185	30,441	56,858	66,339
भारत के मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति.	सूचीबद्ध	100	82	146	160
भारत के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति.	सूचीबद्ध	100	82	155	175

80. यह देखा गया है कि:-

क. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में बढ़ोतरी हुई है।

ख. भारत में खपत और उत्पादन के संदर्भ में आयातों में वर्ष 2017-18 में कमी हुई और उसके बाद वर्ष 2018-19 तथा पी ओ आई के दौरान बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी आयात पूर्णतः और सापेक्ष रूप से काफी हुए हैं।

III. पाटित आयातों का कीमत पर प्रभाव

81. नियमावली के अनुबंध – II(ii) के अनुसार प्राधिकारी को घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत प्रतिबंध और कीमत संबंधी दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में विचार करना होता है।

i. कीमत कटौती

82. कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पादन को कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत कटौती काफी हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक कीमतों को अन्यथा कम करने के लिए है अथवा कीमत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए है जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी। इस संबंध में, संबद्ध देशों से उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग का औसत बिक्रय मूल्य, व्यापार के समान स्तर पर समस्त छूट एवं करों के निवल के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग को कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थी:-

देश	मात्रा	पहुंच कीमत	निवल बिक्री कीमत	कीमत कटौती		
	मी. टन	रु./मी.टन	रु./मी.टन	रु./मी.टन	%	रेंज %
चीन जन. गण.	37,279	113775	***	***	***	10-20
ई. यू.	1,343	188927	***	(***)	(***)	नकारात्मक

कोरिया जन. गण.	17,495	120032	***	***	***	0-10
द. अफ्रीका	166	124449	***	***	***	0-10
ताइवान	2,104	135623	***	(***)	(***)	नकारात्मक
थाईलैंड	4,533	149474	***	(***)	(***)	नकारात्मक
यू एस ए	3,421	156942	***	(***)	(***)	नकारात्मक
कुल/औसत	66,339	122335	***	***	***	0-10

83. यह देखा गया है कि ई.यू., ताइवान, थाईलैंड और यूएसए के अलावा, चीन जन. गणकोरिया गणराज्य, और दक्षिण अफ्रीका से आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं। पूर्ण रूप से संबद्ध देशों के बारे में जांच अवधि के दौरान औसत कीमत कटौती 0-10% की सीमा में हैं।

ii. कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

84. क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभावा काफी हद तक कीमतों को प्रतिबंधित करना है अथवा कीमत में बढोतरियों को रोकना है, जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी, इसका निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों तथा पहुंच मूल्य में हुए परिवर्तनों के बारे में विचार किया था। स्थिति नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
चीन जन.गण.	रु./मी.टन	1,19,947	1,19,980	1,17,564	1,13,775
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	98	95
ईयू	रु./मी.टन	1,60,744	1,45,176	1,64,652	1,88,927
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	102	118
थाईलैंड	रु./मी.टन	1,09,219	1,39,734	1,57,794	1,49,474
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	144	137
ताइवान	रु./मी.टन	1,15,490	1,33,891	1,46,754	1,35,623
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	127	117
कोरिया गणराज्य	रु./मी.टन	97,802	1,18,163	1,35,511	1,20,032
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	139	123
यू एस ए	रु./मी.टन	1,13,918	1,28,264	1,26,594	1,56,942
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	111	138
दक्षिण अफ्रीका	रु./मी.टन	92,055	88,034	1,02,933	1,24,449

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	112	135
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	119	107
निवल बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	120	110

85. यह देखा गया है कि लागत में बढ़ोतरी होने से घरेलू उद्योग अपने विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी कर सकता था। चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका के पहुँच मूल्य बिक्री कीमत से कम हैं। लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क की वजह से घरेलू कीमतों पर आयातों का कोई दबाव नहीं रहा है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

86. नियमावली के अनुबंध – II में यह अपेक्षा है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभावी की वस्तुपरक जांच करना शामिल होगा। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच ऐसे सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ अथवा क्षमता उपयोग के वास्तविक और संभावित कमी समेत उद्योग की स्थिति पर प्रभाव हो, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों, नकद प्रवाह, सामान सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर संभावित नकारात्मक प्रभाव हो। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों के बारे में नीचे विचार विमर्श किया गया है:-

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

87. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के बारे में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिए अनुसार है:-

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
क्षमता	मी.टन	16,00,000	16,00,000	16,00,000	16,75,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	105
उत्पादन (कुल)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	111	116
उत्पादन (पी यू सी)	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	124	128
उत्पादन (एन पी यू सी)	मी.टन	***	***	***	***

प्रवृत्ति.	सूचीबद्ध	100	111	106	111
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति.	सूचीबद्ध	100	114	113	111
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति.	सूचीबद्ध	100	131	141	144

88. यह देखा गया है कि –

- क. वर्ष 2018-19 तक क्षमता समान रही और पी ओ आई के दौरान इसमें सीमांत रूप से बढ़ोतरी हुई। तथापि, क्षमताएं विचाराधीन उत्पाद के लिए ही समर्पित नहीं होती हैं और इनका उपयोग अन्य फ्लैट रोल्ड उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसलिए प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग के संबंध में निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन सहित सकल उत्पादन के बारे में विचार किया है जो जांच के अधीन नहीं है।
- ख. मांग में बढ़ोतरी होने के साथ ही क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और घरेलू बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, परंतु पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान जांच में शामिल न किए गए अन्य उत्पादों के उत्पादन में गिरावट आई है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान समग्र उत्पादन में बहुत ही सीमांत गिरावट दर्शाई गई है।
- ग. वर्ष 2018-19 तक क्षमता उपयोग में बढ़ोतरी हुई लेकिन वर्ष पी ओ आई के दौरान इसमें गिरावट हुई। चूंकि पी ओ आई के दौरान क्षमता में बढ़ोतरी हुई, परंतु क्षमता उपयोग में गिरावट आई।

ii. लाभ, नियोजित पूंजी पर लाभ और नकद लाभ

89. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, विक्रय मूल्य, लाभ/हानि, नकद लाभ तथा निवेश पर लाभ के बारे में नीचे दिए अनुसार विश्लेषण किया गया है:-

विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	594	269	655
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	780	379	946
पी बी आई टी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	169	137	180
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	224	181	289
आर ओ आई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	178	125	205

90. यह देखा गया है कि लाभ, निवेश पर लाभ और नकद लाभ वर्ष 2017-18 तक पहले बढ़ा फिर वर्ष 2018-19 में इसमें कमी हुई और इसके बाद पी ओ आई के दौरान इसमें बढ़ोतरी हुई।
91. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2014-15 के बाद ही लाभ कमाना शुरू किया था और पाटनरोधी शुल्कों से वर्ष 2017 में प्रवंचनारोधी जांच के बाद ही वांछित प्रभाव होने शुरू हुए थे।

iii. मांग में बाजार हिस्सा

92. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की निम्नानुसार जांच की गई है:-

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
1	संबद्ध देशों से आयात	%	4.16	3.67	6.39	7.2
2	अन्य देशों से आयात	%	2.06	3.16	5.89	8.68
3	कुल आयात	%	100.00	6.83	12.28	15.89
4	घरेलू उद्योग	%	51.76	50.67	49.88	47.75
5	अन्य भारतीय उत्पादक	%	42.02	42.95	38.47	37.28
6	संपूर्ण घरेलू उत्पादक	%	93.78	93.62	88.35	85.03

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2018-19 तक घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में बढ़ोतरी हुई और फिर पी ओ आई के दौरान गिरावट हुई। बाजार हिस्से में गिरावट क्षमताओं में बढ़ोतरी के बावजूद हुई है। संपूर्ण घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iv. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

94. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	106	106
मजदूरी	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	92	109
उत्पादन/कर्मचारी	मी. टन/कर्मचारी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	118	121
उत्पादकता/दिन	प्रति दिन (मी. टन)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	124	171

95. यह देखा गया है कि रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के बारे में घरेलू उद्योग के निष्पादन में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

v. माल सूची

96. संबद्ध वस्तुओं की सामान्य सूची संबंधी आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
प्रारंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	97	92
अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	96	119
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	96	105

97. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2018-19 तक घरेलू उद्योग के सामान सूची स्तर में गिरावट हुई और फिर पी ओ आई के दौरान हुई।

vi. पाटन की मात्रा

98. पाटन की मात्रा उस सीमा का सूचक है जिस सीमा तक भारत में आयातों का पाटन किया जा रहा है और जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है अथवा क्षति होने की संभावना है। यह नोट किया गया है कि भारत में संबद्ध देशों से आयात हो रहे हैं और पाटन मार्जिन न्यूनतम से कम (डी-मिनिमिस) सीमा से अधिक और पर्याप्त है।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे, इसलिए घरेलू उद्योग के लाभों में बढ़ोतरी हुई है। पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर संबद्ध आयातों के प्रतिकूल प्रभाव होने प्रमाण नहीं है।

viii. विकास

100. घरेलू उद्योग के विकास संबंधी आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
उत्पादन	%	-	20%	3%	3%
घरेलू बिक्री	%	-	31%	7%	2%
घरेलू लाभ - प्रति मी. टन	%	-	494%	-55%	144%
घरेलू हानि - प्रति	%	-	680%	-51%	150%

लाख					
नकद लाभ	%	-	124%	-19%	60%
पी बी आई टी	%	-	69%	-19%	32%
आर ओ आई	%	-	78%	-30%	64%

101. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान कुछ आर्थिक मापदंडों में विकास सकारात्मक था। तथापि, क्षमता समुपयोजन, बाजार हिस्सा और सामान सूचियों के बारे में विकास पी ओ आई के दौरान नकारात्मक था।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

102. पी ओ आई के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य प्रभावित नहीं हुए हैं।

x. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

103. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या नियमावली में सूचीबद्ध कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकी है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पी ओ आई
आयातों की मात्रा					
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	30,185	30,441	56,858	66,339
अन्य देश	मी. टन	14,969	26,254	52,378	82,625
कुल	मी. टन	45,154	56,694	1,09,235	1,48,964

104. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों और अन्य देशों दोनों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई है और आधार वर्ष के न्यूनतम हिस्से से यह पी ओ आई के दौरान बड़ा हिस्सा हो गया है। यह नोट किया गया है कि अन्य देशों से आयात मुख्य रूप से इंडोनेशिया, जापान और मलेशिया से है। प्राधिकारी ने चीन, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, ताइवान, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, थाइलैंड, द. अफ्रीका, मलेशिया, मैक्सिको, वियतनाम, सिंगापुर, यू ए ई और हांगकांग से स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में समानांतर जांच की है जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल हैं तथा इन आयातों को पाटित पाया गया है और ये घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे। जांच ने वर्तमान उत्पाद को विशेष रूप से पहले से ही एंटी डंपिंग ड्यूटी आकर्षित करने वाले देशों, यानी चीन पीआर, कोरिया आरपी, यूरोपीय संघ, थाइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान और दक्षिण अफ्रीका के दायरे से बाहर रखा है। प्राधिकारी ने दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 6/12/2019-डी जी टी आर के द्वारा कोरिया, जापान, ई.यू., मलेशिया, चीन, ताइवान और इंडोनेशिया से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

ख) निर्यात निष्पादन

105. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का काफी निर्यात किया है। क्षति अवधि के दौरान निर्यात बिक्री की मात्रा में गिरावट हुई है। तथापि, प्राधिकारी ने लाभों, नकद लाभों, आर ओ आई, बिक्री और बाजार हिस्से जैसे मापदंडों के बारे में घरेलू कार्यों को अलग-अलग कर दिया है और केवल क्षति के बारे में ही जांच की है।

ग) प्रौद्योगिकी में विकास

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई खास विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में संभव विकास ऐसा कारक नहीं है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है अथवा क्षति होने की संभावना है।

घ) विदेशी और घरेलू उत्पादों की व्यापार संबंधी प्रतिबंधक कार्य और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा संभावित प्रतिकूल व्यापार प्रतिबंधक कार्य होने का कोई प्रमाण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो।

ङ) खपत के पैटर्न में बदलाव

108. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में बदलाव होने से घरेलू उद्योग के क्षति होने की संभावना नहीं है।

च) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

109. आवेदकों के द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग की क्षति संभावित कारक नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन संबंधी सूचना विचाराधीन उत्पादों से ही संबंधित है।

झ.1 क्षति संबंधी निष्कर्ष

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि –

- क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्णतः और भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में काफी बढ़ोतरी हुई है।
- ख. जांच न किए गए अन्य देशों से आयातों में भी पूर्णतः और भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में बढ़ोतरी हुई है। प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया है कि चीन, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया और ताइवान से आयात पाटित मूल्य पर किए हैं और इनसे घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति हुई है।
- ग. प्राधिकारी ने चीन, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, ताइवान, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, थाइलैंड, द. अफ्रीका, मलेशिया, मैक्सिको, वियतनाम, सिंगापुर, यू ए ई और हांगकांग से स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों के संबंध में समानांतर जांच की है जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल हैं तथा इन आयातों को पाटित पाया गया है और ये घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे। प्राधिकारी ने दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 6/12/2019 डी जी टी आर के द्वारा कोरिया, जापान, ई.यू., मलेशिया, चीन, ताइवान और इंडोनेशिया से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
- घ. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है।
- ङ. संपूर्ण रूप से संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य सकारात्मक है। आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है।

च. उत्पादन, बिक्री, लाभ, निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह सहित कुछ मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ। क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा और समान-सूचियों के निष्पादन में पी ओ आई के दौरान कुछ कमी को दर्शाया है।

छ. संपूर्ण रूप से घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में पी ओ आई के दौरान गिरावट को दर्शाया है।

111. उपरोक्त के मद्देनजर यह ध्यान दिया जाता है कि पीओआई में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। हालांकि, घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में डंपिंग और और चोट की चपेट में हो।

शुल्क का निर्धारण करने के लिए क्षति मार्जिन की मात्रा

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है तथा प्राधिकारी के द्वारा यह निर्धारण करना होता है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन जारी रखने अथवा पुनरावृत्ति तथा घरेलू उद्योग के लिए परिणामी क्षति होने की संभावना होती है। नियमावली के नियम 17 में, जो निर्णायक समीक्षा के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होता है, प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी शुल्क राशि की सिफारिश करे, जो, यदि लगाई जाए तो नियमावली के अनुबंध - III में निर्धारित सिद्धांतों के बारे में विचार करने के बाद घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करेगा। प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध - III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमतों (एन आई पी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पादन की एन आई पी का निर्धारण जांच अवधि की उत्पादन लागत संबंधी सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य की तुलना करने के लिए एन आई पी पर विचार किया गया है। एन आई पी का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग करने के बारे में विचार किया गया है। यूटीलिटीज के लिए यही कार्रवाई की गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग करने के बारे में विचार किया गया है। सर्वोत्तम क्षमता उपयोग के लिए उत्पादन के बारे में विचार किया गया है और प्रति यूनिट नियत लागत प्राप्त करने के लिए इस पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय नहीं किए जाते हैं। एन आई पी प्राप्त करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल नियत परिसंपत्तियां जमा औसत चल पूंजी) पर उचित लाभ (22% की दर से पूर्व कर) की अनुमति दी गई है। क्षति मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। इसके अलावा, प्रत्येक पी सी एन के लिए एन आई पी और क्षति मार्जिन का अलग-अलग निर्धारण किया गया है। संबद्ध आयात मात्राओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है।

सभी देशों के लिए क्षति मार्जिन सारणी

क्र.सं.	देश	उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (अम.डॉ. प्रति मी.ट.)	पहुंच मूल्य (अम.डॉ. प्रति मी.ट.)	क्षति मार्जिन कीमत (अम.डॉ. प्रति मी.ट.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
1.	कोरिया गणराज्य	पोस्को, कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	0-10

2.	कोरिया गण.	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30
3.	दक्षिण अफ्रीका	कोलम्बस स्टेनलैस (पीटीवाई) लि.	***	***	***	***	0-10
4.	दक्षिण अफ्रीका	अन्य सभी	***	***	***	***	10-20
5.	थाइलैंड	पोस्को-थाइनोक्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
6.	थाइलैंड	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
7.	चीन जन.गण.	समस्त उत्पादक	***	1,550	***	***	0-10
8.	यूरोपीय संघ	समस्त उत्पादक	***	2,627	(***)	(***)	नकारात्मक
9.	ताइवान	समस्त उत्पादक	***	1,909	(***)	(***)	नकारात्मक
10.	यूएसए	समस्त उत्पादक	***	2,204	***	***	10-20

झ. पाटन को जारी रखने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना तथा क्षति

113. समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि क्या संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश जारी रख रही हैं अथवा उनके प्रवेश करने की संभावना है तथा क्या घरेलू उद्योग के लिए क्षति इन पाटित आयातों की वजह से जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना उस स्थिति में रहती है, यदि शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है।

झ.1. घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए निवेदन

114. पाटन अथवा क्षति को जारी रखने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार निवेदन किया है:-

क. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयातों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

- ख. पी ओ आई में सकारात्मक कीमत कटौती से पर्याप्त रूप से यह साबित होता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर हास/न्यूनीकरण संबंधी प्रभाव होंगे।
- ग. संबद्ध देशों में विशाल क्षमताएं उपलब्ध हैं और वे बाजार संबंधी अवसरों की प्रतीक्षा कर रही हैं।
- घ. थाईलैंड के सिवाय सभी संबद्ध देशों के पास उनकी घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताएं हैं।
- ङ. संबद्ध देशों में उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुखी होते हैं। भारतीय इस्पात को खपत 9 से 10 % प्रतिवर्ष के सी ए जी आर पर बढ़ रही है और इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
- च. वैश्विक बाजार के परिदृश्य में वर्ष 2010 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति, मांग से काफी अधिक थी। चीन के द्वारा इसको परिवर्तित किया गया जो एक निवल आयातकर्ता से निवल निर्यातक तक पहुंची है। चीन के इस्पात का विनिर्माण, वैश्विक विनिर्माण का 49.2% है। वैश्विक बाजार में इस अधिशेष स्थिति के होने पर भी चीन के स्टेनलेस स्टील के उत्पादक लिंगगशान होल्डिंग ग्रुप ने प्रति वर्ष 6,00,000 टन की वार्षिक क्षमता से बुशान, दक्षिण कोरिया में एक कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना करने की योजना बनाई है।
- छ. हॉट रोल्ड उत्पादों में इंडोनेशिया के उत्पादों के लिए लागत संबंधी लाभ से कोल्ड रोल्ड उत्पादन में सुविधाओं के लिए अनुचित लागत लाभ मिलता है तथा अनुचित कम कीमतों पर बेचने की उन्हें अनुमति दी जाती है।
- ज. संबद्ध देशों में गिरता हुआ क्षमता उपयोग संबद्ध देशों में उपलब्ध पर्याप्त निष्क्रिय क्षमताओं को दर्शाता है।
- झ. कोविड – 19 महामारी के फैलने से मांग और अधिशेष क्षमताओं में गिरावट हुई है जिससे संबद्ध वस्तुओं की अधिक आपूर्ति हुई। चीन ने लॉकडाउन के दौरान भी उत्पादन कभी बंद नहीं किया था।
- ञ. विश्व में संबद्ध वस्तुओं की कई व्यापार उपचारात्मक जांच की गई।
- ट. उत्पादक और निर्यातक शुल्क की आदतन टाल-मटोल करते हैं और घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश भी की है। डी आर आई रिपोर्टों में यह सुझाव दिया गया है कि इन निर्यातकों ने मूलता का प्रमाणपत्र जारी किया था और आयातकर्ताओं ने रीजनल वैल्यू कंटेंट को गलत ढंग से प्रस्तुत करके रियायती शुल्क दरों का लाभ लेकर सीमा शुल्क की टाल-मटोल की है।
- ठ. भारत एक बड़ा बाजार है और संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए कीमत आकर्षण केंद्र गंतव्य भी है।

झ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

115. पाटन या क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए किए हैं:
- क. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना काल्पनिक है और यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।
- ख. थिनोक्स ने तुलनात्मक लागत रखने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं। यह धारणा कि संबद्ध देशों के निर्यातकों की बहुतायत में निपटान क्षमताएं हैं, गलत हैं।
- ग. पूरी जांच अवधि एवं क्षति की अवधि में पाक्सो थिनोक्स का क्षमता उपयोग *** प्रतिशत से अधिक है तथा जांच अवधि के दौरान उनका निर्यात 2016 में *** प्रतिशत से घटकर *** प्रतिशत हो गया। थाईलैंड के लिए भारत लक्ष्य बाजार नहीं है। थाईलैंड से भारत को हमेशा बहुत कम स्तर पर निर्यात किया जा रहा है थिनोक्स घरेलू बाजारोंन्मुख है फिर भी उसने इस पर असर नहीं डाला है। इसके साथ-साथ भारत और थाईलैंड के बीच एफ टी ए में स्टेनलेस स्टील उत्पाद शामिल नहीं हैं। एशियन – भारत एफ टी ए केवल उन

थाई उत्पादकों को लाभ पहुंचाता है जो केवल सदस्य पक्षकारों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं।

- घ. पोस्को कोरिया और पास्को - थिनोक्स दो अलग-अलग देशों में स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध कम्पनी हैं। इन दोनों कंपनियों का पूरी तरह अलग प्रबंधन और शेयरधारी पद्धति है। इनका पाटन को अंतरित करने का कोई रिकार्ड नहीं है, इस तरह यह संभव नहीं लगता कि पोस्को कोरिया पाटन को तेज करने के लिए थाईलैंड का प्रयोग करेगा। कोरिया से आयात की गई फ्लैट रोल्ड स्टेनलेस स्टील बढोत्तरी का कोई रूझान नहीं है क्योंकि 2016 से यह अनुपात *** से *** प्रतिशत के बीच बदलता रहा है।
- ड. एशियन चीन एफ टी ए चीन से आयात होने वाली कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील पर आयात शुल्क के छूट की मंजूरी नहीं देता है, आयातों पर थाईलैंड में एम एफ एन शुल्क लगता है। चीन से थाईलैंड को किया जाने वाला निर्यात 2017-18 में 15 प्रतिशत था और थाईलैंड ने चीन से होने वाले निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगा दिया था। इसलिए थाईलैंड के माध्यम से अपना सामान भेजने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसके अलावा, थाईलैंड में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए थाईलैंड में प्रवंचनारोधी अधिनियम है।
- च. जांच अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का आर्थिक प्रदर्शन संभावना परीक्षण लागू करने का सही पैमाना नहीं है।
- छ. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग के निष्पादन को देखते हुए आवश्यक नहीं रहा है।
- ज. पोस्को का दावा है कि यह 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग कर रहा है और इसलिए इसके पास मुक्त रूप से निपटान करने योग्य क्षमता नहीं है। कोई क्षमता वृद्धि नहीं की गई थी और 6,00,000 मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि का दावा गलत है। पोस्को की क्षमता उपयोग दर स्थिर है और इस कारण से यह इसे अंतिम रूप से प्रयोग करने वालों को ही बेचता है, जिसे अचानक बढ़ाया नहीं जा सकता।
- झ. सामग्री क्षति की पुनरावृत्ति की गई कोई संभावना नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की मालसूची में आ रही कमी यह सिद्ध करती है कि यह अच्छा कार्य निष्पादन कर रहे हैं और इस तरह सामग्री क्षति की आशंका को खत्म कर रहे हैं। याचिकाकर्ता भी पूंजी वृद्धि की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा जिससे इसके बिगड़ते कार्य निष्पादन को नहीं माना जा सकता।
- ञ. अतिरिक्त क्षमता के कारण क्षति की आशंका बन जाना आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी ने ईरान और यू ए ई में बन रहे या उनसे निर्यात किए जा रहे सफेद सीमेंट संबंधी आयात की पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा में यह कहा है कि उत्पादक की ऐसी क्षमता को अतिरिक्त नहीं माना जाएगा जिसे शुल्कों के प्रति संहरण के कारण पाटन मूल्यों पर भारत भेजा जा सकता है।
- ट. साउथ अफ्रीका से होने वाले आयातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
- ठ. किसी विशेष देश में घरेलू मांग से ज्यादा होने वाली किसी भी क्षमता को 'अतिरिक्त क्षमता' नहीं कहा जा सकता। इस तरह की समझ वैश्विक समेकित बाजार में आपवादिक रूप में बनाई गई है। अतिरिक्त का अर्थ है घरेलू मांग और वैश्विक मांग पूरी हो जाने के बाद बची हुई निष्प्रयोजन क्षमता है।
- ड. शुल्क सेल बैट्री मामले में प्राधिकारी की टिप्पणी के अनुसार इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कोई विशेष / आपवादिक परिसम्पत्तियां मौजूद नहीं हैं जिनके कारण पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जा सके।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

116. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के खण्ड 9क (5), नियम 23 तथा अनुबंध-II (vii) के अनुसार सामग्री क्षति की आशंका से संबंधित मापदंडों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर रखे गए अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संभावित क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की परीक्षा की।
117. वर्तमान जांच संबद्ध देशों से आयात किए जाने वाले संबद्ध सामान पर लगाए जाने वाले शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमों के अधीन, यह निर्धारित किया जाना होता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। इसमें

यह भी परीक्षा करनी होती है कि लगाए गए शुल्क से वांछित प्रयोजन पूरा हो रहा है। इसके साथ-साथ प्राधिकारी ने अन्य संगत तथ्यों का परीक्षण किया था जिनका संभावित पाटन जारी रखने या उसकी पुनरावृत्ति का प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों को क्षति उठानी पड़ेगी। संभावित पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योगों पर उसकी परिणामी क्षति की परीक्षा निम्नवत है :-

I. जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि की दर

118. संबद्ध जांच में आयातों का ब्यौरा निम्नवत है :-

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	30,185	30,441	56,858	69,909
चीन पी आर	मी. टन	15,577	20,921	30,660	40,238
यूरोपीय यूनियन	मी. टन	2,341	1,737	4,885	1,460
थाईलैंड	मी. टन	2,983	1,607	1,769	4,763
ताइवान	मी. टन	854	2,082	2,050	2,242
कोरिया गणराज्य	मी. टन	6,297	1,657	15,869	17,474
यू एस ए	मी. टन	1,462	1,128	583	3,597
साउथ अफ्रीका	मी. टन	671	1,308	1,041	136
अन्य देशों से आयात	मी. टन	14,969	26,254	52,378	84,276
कुल आयात	मी. टन	45,154	56,694	1,09,235	1,54,185

119. यह देखा जा सकता है कि क्षति की अवधि में संबद्ध देशों से कुल आयात में वृद्धि हुई है। चीन, थाईलैंड, कोरिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले आयात में काफी वृद्धि हुई है। चीन, थाईलैंड, ताइवान, कोरिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले आयात में काफी वृद्धि हुई है। यूरोपियन यूनियन एवं साउथ अफ्रीका से होने वाले आयातों में कमी आई है। इसके अलावा, खपत के अनुपात में आयातों की मात्रा चीन और कोरिया से होने वाले आयातों के संबंध महत्वपूर्ण हैं। तथापि, जांच के अधीन अन्य देशों से होने वाले आयात की मात्रा कमोबेश ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं।

120. प्राधिकारी ने नोट किया है कि आवेदकों की संबद्ध देशों में क्षमता, उत्पादन और मांग संबंधी सूचना सी आर यू पर आधारित है।

II. संबद्ध देशों की घरेलू मांग से अधिक क्षमताएं होना

121. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार संबद्ध देशों की क्षमताएं बहुत अधिक हैं। साथ ही, घरेलू उद्योगों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह पाया गया है कि संबद्ध उत्पादक देशों की उपलब्ध क्षमताएं उनकी घरेलू मांग से अधिक नहीं हैं।

(केटी)	2016	2017	2018	2019	2020
क्षमता					

चीन पी आर	15,305	16,155	16,990	18,005	19,835
कोरिया गणराज्य	1,986	1,986	1,986	1,986	1,986
यूरोपियन संघ	4,595	4,663	4,663	4,663	4,663
साउथ अफ्रीका	545	545	545	545	545
ताईवान	1,668	1,768	1,768	1,768	1,768
थाईलैंड	300	300	300	300	300
यू एस ए	2,390	2,475	2,755	2,755	2,755
मांग					
चीन पी आर	11,349	12,341	13,119	14,801	15,040
कोरिया गणराज्य	964	991	953	996	1,037
यूरोपियन संघ	3,350	3,492	3,541	3,355	3,322
साउथ अफ्रीका	97	134	136	126	138
ताईवान	631	611	589	546	574
थाईलैंड	287	294	325	314	330
यूएसए	1,554	1,551	1,664	1,520	1,538
अतिरिक्त क्षमता					
चीन पी आर	3,956	3,814	3,871	3,204	4,795
कोरिया गणराज्य	1,022	995	1,033	990	949
यूरोपियन संघ	1,245	1,171	1,122	1,308	1,341
साउथ अफ्रीका	448	411	409	419	407
ताईवान	1,037	1,157	1,179	1,222	1,194
थाईलैंड	13	6	-25	-14	-30
यू एस ए	836	924	1,091	1,235	1,217

III. निर्यातकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता

122. घरेलू उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के संबद्ध देशों में संबद्ध सामान की मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएं दर्शाई गई हैं, जिन्हें खपत घटाने के बाद निर्धारित किया गया है। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सी आर यू सूचना के अनुसार संबद्ध देशों के निर्यातकों के पास और अधिक निपटान योग्य क्षमताएं मौजूद हैं जिसे भारत में माल निर्यात करने के लिए और अधिक उपयोग में लाया जा सकता है।

(केटी)	2016	2017	2018	2019	2020
क्षमता					
चीन पी आर	15,305	16,155	16,990	18,005	19,835
कोरिया गणराज्य	1,986	1,986	1,986	1,986	1,986
यूरोपियन संघ	4,595	4,663	4,663	4,663	4,663
साउथ अफ्रीका	545	545	545	545	545
ताईवान	1,668	1,768	1,768	1,768	1,768
थाईलैंड	300	300	300	300	300
यू एस ए	2,390	2,475	2,755	2,755	2,755
उत्पादन					
चीन पी आर	12,381	13,380	14,281	15,955	16,138
कोरिया गणराज्य	1,219	1,263	1,223	1,174	1,171
यूरोपियन संघ	3,345	3,338	3,305	3,073	3,118
साउथ अफ्रीका	302	314	298	281	246
ताईवान	1,270	1,306	1,252	1,130	1,176
थाईलैंड	221	223	235	241	245
यू एस ए	1,513	1,631	1,686	1,531	1,549
उपयोग क्षमताएं					
चीन पी आर	2,924	2,775	2,709	2,050	3,697
कोरिया गणराज्य	767	723	763	812	815
यूरोपियन संघ	1,250	1,325	1,358	1,590	1,545
साउथ अफ्रीका	243	231	247	264	299
ताईवान	398	462	516	638	592
थाईलैंड	79	77	65	59	55
यू एस ए	877	844	1,069	1,224	1,206

IV. निर्यात अभिमुखीकरण

123. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से स्पष्ट होता है कि संबद्ध देशों के उत्पाद अत्यंत निर्यातोन्मुखी हैं।

संबद्ध देश	2016	2017	2018	2019	2020
------------	------	------	------	------	------

(केटी में)					
चीन जन. गण.	1,334	1,313	1,438	1,483	1,380
कोरिया गणराज्य	587	620	641	598	556
यूरोपियन संघ	4,223	4,341	4,354	4,108	4,126
साउथ अफ्रीका	222	194	179	171	127
ताईवान	769	819	790	689	712
थाईलैंड	86	83	87	85	80
यू एस ए	334	464	337	242	228

V. शुल्क समाप्ति पर कीमत कटौती, ह्रास / न्यूनीकरण का प्रभाव

124. प्राधिकारी को देखना होता है कि क्या आयात उस कीमत पर किए जा रहे हैं जिसके कारण घरेलू कीमतें हतोत्साहित होती हैं या दबाव में आ जाती हैं और ए डी डी समाप्ति की स्थिति में और अधिक आयात से मांग बढ़ने की संभावना होती है। यह देखा गया है कि आयातक घरेलू कीमतों में कटौती करते हैं। कीमत कटौती कितनी होती है यह महत्वपूर्ण ए डी डी समाप्ति के परिणामस्वरूप क्या घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम कर देनी चाहिए, तब घरेलू उद्योग को अपना उत्पाद, उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में आयातों पर महत्वपूर्ण ह्रासकारी / न्यूनीकरणकारी प्रभाव की संभावना है।

VI. मालसूची

125. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों की मालसूचियों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। कोरिया थाईलैंड और साउथ अफ्रीका के निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली प्रति उत्तर के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रति उत्तर देने वाले अनेकों निर्यातकों की मालसूची में वृद्धि हो गई है।

VII. अन्य देशों द्वारा किए गए व्यापार उपचारी उपाय

126. यह नोट किया जाता है कि अनेकों देशों द्वारा विभिन्न फ्लैट रोल्ड उत्पादों पर व्यापार उपचारी उपायों का आह्वान किया गया है, जबकि अनेकों जांच अभी जारी हैं। उत्पादन सुविधाओं को विचाराधीन उत्पादों और अन्य फ्लैट रोल्ड उत्पादों के बीच आपस में प्रयोग किया जाता है। इन उपायों तथा प्रस्तावित उपायों को लागू करने से संभावना है विदेशी उत्पादकों की इन बाजारों में पहले जितनी मात्रा बेचने की क्षमता को नियंत्रित किया जा सकेगा। वर्तमान क्षति की अवधि में भारत में आयातों की मात्रा में पहले ही बढोत्तरी दिखाई दी है। घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध सामान के संबंध में पूरे विश्व में किए जा रहे व्यापार उपचारी उपायों की उपलब्ध कराई गई सूची नीचे दी गई है :-

जांच करने वाला देश	प्रकार	जांच किया जा रहा उत्पाद	जांच के अधीन देश
संयुक्त राज्य अमेरिका	रक्षोपाय	सभी स्टील उत्पाद	सभी
मैक्सिको	ए डी	कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील	चीन, ताईवान
यूरोपियन	सेफगार्ड	सभी स्टील उत्पाद	सभी

यूनियन			
टर्की	रक्षोपाय	स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद	सभी
कनाडा	रक्षोपाय	सभी स्टील उत्पाद	संयुक्त राज्य अमेरिका
चीन	रक्षोपाय	सभी स्टेनलेस स्टील उत्पाद	संयुक्त राज्य अमेरिका
चीन	ए डी	स्लैब, बिल्ट और हॉट रोल्ड काइल	ईयू, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया
संयुक्त राज्य अमेरिका	सी वी डी	स्टेनलेस स्टील प्लेट काइलों में	साउथ अफ्रीका
थाईलैंड	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	ताईवान, चीन, जापान, साउथ कोरिया
भारत	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन, साउथ कोरिया, ईयू, साउथ अफ्रीका, ताईवान, चीन, थाईलैंड, यू एस ए
भारत	ए डी	400 सिरीज के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	ई यू, साउथ कोरिया, यू एस ए
थाईलैंड	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन
यूरोपियन यूनियन	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	ताईवान, चीन, इंडोनेशिया
यूरोपियन यूनियन	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद स्टेनलेस स्टील	भारत, इंडोनेशिया
यूरोपियन यूनियन	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन, ताईवान
मलेशिया	ए डी	कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील	चीन, साउथ कोरिया, ताईवान, चीन, थाईलैंड
मलेशिया	ए डी	कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील	इंडोनेशिया, वियतनाम
वियतनाम	ए डी	कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील काइल और शीट	चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताईवान
टर्की	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन, ताईवान चीन
साउथ कोरिया	ए डी	स्टेनलेस स्टील प्लेट	जापान
ब्राजील	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन, ताईवान
ब्राजील	ए डी	ऑटेनटिक स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स	मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम
इंडोनेशिया	ए डी	कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील	चीन, मलेशिया
ताईवान	ए डी	कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन, साउथ कोरिया

127. रिकॉर्ड पर सूचना और साक्ष्य के आधार पर तथा घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:-

- i. संबद्ध देशों से आयातों में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद स्वतंत्र रूप में और भारत में पाटन तथा खपत की तुलना में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। आयातों में अलग-अलग रूप से चीन, कोरिया, थाईलैंड, ताईवान, यूएसए से वृद्धि हुई है जबकि दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन के मामले में, उसमें गिरावट आई। इसके अलावा, आयातों की मात्रा थाईलैंड, ताईवान और यूएसए के मामले में भारत में सकल आयात और खपत से तुलना किए जाने पर कम थी।
- ii. जबकि जांच के अधीन प्रत्येक देश से संबद्ध आयात पाटित कीमतों पर होना जारी है, क्षति मार्जिन चीन, कोरिया, थाईलैंड, यूएसए के मामले में सकारात्मक है और यूरोपीय यूनियन तथा ताईवान के मामले में नकारात्मक है।
- iii. यूरोपीय यूनियन, ताईवान, थाईलैंड और यूएसए से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हो रही है। हालांकि, चीन, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से मात्रा सतत् रूप से कम रही है और क्षति की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई जबकि चीन और कोरिया से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई। लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में वर्तमान अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

128. उन मानदंडों जिनमें ऊपर में चर्चा की गई है, को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन और कोरिया के मामले में स्वतंत्र रूप में और सापेक्ष रूप में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि, सकारात्मक पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत में कटौती, बहुत अधिक अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताएं, बहुत अधिक निर्यात उन्मुखीकरण, अत्यधिक स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य उत्पादन क्षमताओं जैसे कारक यह सिद्ध करते हैं कि चीन और कोरिया गणराज्य से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों पर पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी किया है और दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 6/12/2019 के संदर्भ में चीन और कोरिया सहित विभिन्न देशों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है। उक्त जांच में वर्तमान उत्पाद का दायरा शामिल नहीं है। यह विचार करते हुए कि उत्पादन क्षमताएं प्रतिमोच्य है, चीन और कोरिया पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क जारी रखना अतिरिक्त रूप से संगत है। अन्य संबद्ध देशों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ताईवान और यूरोपीयन यूनियन के मामले में क्षति मार्जिन नकारात्मक है। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए से आयातों की मात्रा कम है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने समानांतर जांच (दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/12/2019) में इसे उपयुक्त माना है कि कम मात्रा में आयातों के कारण यूएसए, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका से आयातों के संबंध में जांचों को समाप्त किया जाए। चूंकि ये देश बहुत अधिक अतिरिक्त प्रतिमोच्य क्षमताओं के बावजूद अन्य स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के बहुत अधिक निर्यात में शामिल नहीं था और वर्तमान जांच में आयातों की मात्रा भी कम है, यह माना जाता है कि थाईलैंड, यूएसए और दक्षिण अफ्रीका से आयातों के मामले में पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा, यूरोपीय यूनियन और दक्षिण अफ्रीका जिन्हें समानांतर पाटनरोधी जांच (दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना 6/12/2019 में प्रस्तावित उपायों के दायरे में शामिल किया गया है, के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वास्तविक क्षति मार्जिन वर्तमान जांच में नकारात्मक है। इसके अलावा, जबकि यह नोट किया जाता है कि इन देशों के पास उपयोग न की गई बहुत अधिक क्षमताएं हैं, विश्व के शेष देशों को एनआईपी से कम पर निर्यातों की संभावित मात्रा का कोई साक्ष्य नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि उपलब्ध सूचना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में यूरोपीय यूनियन और ताईवान से पाटित और क्षतिकारक कीमतों

पर आयातों में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान, थाईलैंड और यूएसए से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति होने की संभावना नहीं है।

ज. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

ज.1. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

129. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित है:-

- i. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में क्षति की अवधि के दौरान सुधार हुआ है और यह सकारात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। अन्य कारकों के साथ-साथ यह सुधार दर्शाता है कि वर्तमान मामले में वास्तविक क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
- ii. जबकि संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 132 प्रतिशत तक वृद्धि हुई साथ ही गैर-संबद्ध देशों से आयातों में 463 प्रतिशत की वृद्धि देखी।
- iii. निर्यातकों के पास केवल अतिरिक्त क्षमता होने का अपने आप में यह मतलब है कि इस उत्पाद को विशेषकर उसे दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य दिए बिना भारत की ओर परिवर्तित किया जाएगा।
- iv. निर्यात उन्मुख होने का मतलब यह नहीं है कि शुल्कों के समाप्त किए जाने के बाद भारत को निर्यात किए जाएंगे। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस प्रकार के परिवर्तन के लिए किसी स्पष्ट साक्ष्य पर चर्चा नहीं की है।
- v. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण कम कीमत पर बिक्री के आधार होना चाहिए। कीमत में कटौती क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए सही मानदंड नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग उस स्थिति में अपनी क्षति रहित कीमत ("एनआईपी") से अधिक कीमत पर बिक्री कर सकता है यदि पहुंच मूल्य निवल बिक्री कीमत से कमतर है लेकिन एनआईपी से अधिक है, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।
- vi. प्रतिवादी चीन जन.गण. चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए नाइलोन फिलामेंट यार्न के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की एसएसआर जांच में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी पर विश्वास करते हैं जहां माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना है कि घरेलू उद्योग के समग्र स्वास्थ्य में सुधार आया है और पाटनरोधी शुल्क पिछले 11 वर्षों(लगभग) के दौरान लागू है। इस प्रकार से, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं की।
- vii. विभिन्न आयातकों को सीमा शुल्क से संबंधित स्वीकृति के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सही उपयोग बॉड प्रस्तुत करने के लिए अंतिम प्रयोक्ता के लिए आसान है।
- viii. दिनांक 17 दिसंबर, 2020 के हालिया समाचार लेख में, जिसमें माननीय केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्टील निर्माताओं के द्वारा लाभखोरी के विरुद्ध चेतावनी दी थी और यह कहा था कि घरेलू उत्पादकों ने पिछले छह महीनों में स्टील की कीमतों में 55 प्रतिशत तक वृद्धि की है। इस प्रकार से, यदि डीजीटीआर आयात किए गए पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क लगातार लगाए रखने की सिफारिश करता है तब यह प्रयोक्ता उद्योग के लिए हानिकारक होगा।
- ix. निवेश पर अनुचित और अप्रत्याशित 22 प्रतिशत प्रतिफल पूरा करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का आगे समय विस्तार करने के लिए कोई दावा अथवा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जो स्टील क्षेत्र के लिए उद्योग के प्रतिफल के अनुरूप नहीं है और इस कारण से वर्तमान जांच को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

- x. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इसमें 2014-15 के बाद ही लाभ कमाना शुरू किया है और पाटनरोधी शुल्क 2017 में प्रवंचनारोधी जांच के बाद ही लागू किया गया। प्रतिवादी इसे दोहराते हैं कि घरेलू उद्योग का यह दावा बिना आधार का है क्योंकि सभी आयात शुल्कों की प्रवंचना नहीं कर रहे थे और उचित रूप से भुगतान किया गया पाटनरोधी शुल्क, जिसे लगाया गया था, के साथ देश में आयात हो रहा होता।
- xi. प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग की अंतर्निहित कमियां हैं जो कारणात्मक संबंध में विच्छेद के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जैसे दीर्घ अवधि ऋण के कारण जेएसएल के व्याज भुगतान में बहुत अधिक वृद्धि। इसके अलावा, आवेदक ने यूएस डॉलर के संबंध में रुपए के तेजी से अवमूल्यन के कारण क्षति उठाई है। इसके साथ ही, यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो रही है तब ह्रास और ऋणसोधन खर्च जो चरघांतांकी रूप से बढ़ी है, के कारण है।
- xii. प्राधिकारी ने यह कहा है कि ईयू और ताईवान से आयात किए गए पीयूसी का क्षति मार्जिन नकारात्मक है, इसका आशय यह है कि इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। इस कारण से, प्रतिवादी अंतिम जांच परिणामों में उसकी पुष्ट करने का अनुरोध करते हैं और यह अनुरोध करते हैं कि यूरोपीय यूनियन और ताईवान के विरुद्ध पाटनरोधी जांच को पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार की सिफारिश किए बिना समाप्त किया जाना चाहिए।
- xiii. पोस्को यह अनुरोध करता है कि कीमत में कटौती जांच की समग्र अवधि के दौरान नकारात्मक रही है और यह कुल मिलाकर 0-10 प्रतिशत के दायरे में है।
- xiv. मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच बहुत अधिक अंतर है। घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में प्रचलित मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है और इस कारण से, देश में आयात हो रहे हैं।
- xv. घरेलू उद्योग का यह दावा कि संबद्ध देशों से निर्यातकों के पास स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं हैं, पूर्ण रूप से गलत है। पोस्को 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है और इस कारण से इसके पास स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं नहीं हैं।
- xvi. संबद्ध देशों के पास भारी मात्रा में क्षमताएं उपलब्ध हैं जो उनकी घरेलू मांग से बहुत अधिक है। पोस्को एतद्वारा अनुरोध करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्षमताओं का निर्माण नितब्धता का लाभ उठाने के लिए किया जाता है और इसने क्षमताओं का निर्माण किया है जिससे कि यह लागत प्रतिस्पर्धी हो गया है।
- xvii. लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ और संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी शर्त पर इक्विटी पर 41 प्रतिशत लाभ मार्जिन को उचित कहा जा सकता है। पोस्को इसके माध्यम से माननीय महानिदेशक से यह अनुरोध करता है कि वे कृपया इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ को लें जब उचित प्रतिफल की गणना करने के लिए आधार के रूप में पाटन का कोई आरोप नहीं लगाया गया था।
- xviii. कोरिया गणराज्य से आयात की गई संबद्ध वस्तु भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं की तुलना में बेहतर कोटि के हैं। भारत से आयातक कोरिया गणराज्य राज्य से अपेक्षाकृत अधिक कीमत के साथ सीआर स्टेनलेस स्टील खरीदने के इच्छुक हैं।
- xix. इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि स्पष्ट रूप से वर्तमान जांच में गैर-आरोपण और कारणात्मक संबंध में विच्छेद के मुद्दे हैं। समूह कंपनियों के रूप में याचिकाकर्ता घरेलू बाजार पर हावी हो रहे हैं और इस बात की अधिक संभावना है कि इसके कारण बाजार में एकाधिकार वाली स्थितियां उत्पन्न होंगी और प्रवेश के लिए बाधाएं उत्पन्न होंगी जो भारत के उद्योग के प्रतिस्पर्धी वातावरण और स्वस्थ विकास के लिए हानिकारक है।

- xx. इस जांच का उद्देश्य निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को संरक्षित करना है। व्यापार संरक्षण के उपाय के रूप में पाटनरोधी शुल्कों का अनुचित कार्यान्वयन इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की भूमिका नहीं निभा सकता है बल्कि एक अनुचित प्रतिस्पर्धी वातावरण उत्पन्न करेगा और दीर्घ अवधि में उनके अलग अलग उद्योग के मौलिक हितों को नुकासान पहुंचाएगा।
- xxi. जांच की अवधि के दौरान, यूरोपीय यूनियन और दक्षिण अफ्रीका से आयातों में पिछले वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में तेजी से कमी आई।
- xxii. जांच की अवधि के दौरान, दक्षिण अफ्रीका से आयातों की मात्रा केवल 166 मी.टन थी जो भारत में कुल आयातों का 0.11 प्रतिशत था। दक्षिण अफ्रीका से आयात निरंतर रूप से 2010-11 से बहुत अधिक कम रहे हैं। इसके साथ ही, दक्षिण अफ्रीका से आयातों के पहुंच मूल्य में क्षति की अवधि के दौरान निरंतर रूप से वृद्धि हुई है। आयातों की ऐसी न्यूनतम मात्रा और हिस्सा और वह भी बढ़ती हुई कीमत की प्रवृत्ति के साथ घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। अतः दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जांच समाप्त की जानी चाहिए।
- xxiii. संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पूर्व जांचों में शुल्क की सहयोगी दर का लाभ उठाने के बाद भी, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन के उत्पादकों से आयातों की मात्रा न्यूनतम स्तर पर है।
- xxiv. यूरोपीय यूनियन और दक्षिण अफ्रीका में कोई आधिक्य क्षमता उपलब्ध नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि क्षति की अवधि में उक्त देशों में नई क्षमताएं बढ़ाई गई थीं।
- xxv. दक्षिण अफ्रीका में क्षति की अवधि के दौरान कोई नई क्षमताएं नहीं बढ़ाई गई हैं। इसके बजाय दक्षिण अफ्रीका से भारत को निर्यात की मात्रा में कीमत में वृद्धि के साथ गिरावट आई है। यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि भारत को संबद्ध वस्तुओं का पाटित कीमतों पर निर्यात करने के लिए उत्पादक का कोई उद्देश्य नहीं है।

ब.2. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

130. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित है:-

- i. निर्धारित एनआईपी बहुत कम है और इसके फलस्वरूप प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन यूरोपीय यूनियन और ताईवान के लिए है जो नकारात्मक हो गया है। घरेलू उद्योग प्रभावी टिप्पणियां करने के लिए एनआईपी को पूर्ण रूप से प्रकट करने का अनुरोध करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कच्ची सामग्री को मानक के अनुरूप बनाया गया है, हालांकि यह अलग से माना जाना चाहिए कि कच्चे माल का मिश्रण अलग-अलग पीसीएन के लिए अलग अलग है और इस प्रकार से कच्चे माल को मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता है और उस पर वास्तविक आधार पर ही विचार किया जा सकता है।
- ii. इसके बावजूद, वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में सक्षम रहा है और इस प्रकार, एनआईपी और क्षति मार्जिन का निर्धारण अपने आप आवश्यक नहीं है। निरमा लिमिटेड बनाम संघ सरकार के मामले में अहमदाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का संदर्भ लिया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि एनआईपी और क्षति मार्जिन तभी संगत है जब प्राधिकारी क्षति के निष्कर्ष पर पहुंचते हों।
- iii. किसी भी मामले में नकारात्मक क्षति मार्जिन का मतलब यह नहीं है कि पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है। प्राधिकारी को पाटन और क्षति की संभावना की जांच करनी चाहिए। आवेदक द्वारा दी गई सूचना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि (1) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमताएं हैं (2) निर्यातक निर्यात उन्मुख हैं और उनके पास उपयोगिता का कम स्तर है (3) संबद्ध देशों पर अन्य स्रोतों से पाटनरोधी शुल्क लग रहा है और इस प्रकार ऐसे बाजार को प्रतिबंधित किया गया है (4) मांग में वैश्विक रूप से गिरावट आई है (5) लगाए गए शुल्कों से बचने और उसकी प्रवंचना करने के निर्यातकों के निर्यातकों का विगत व्यवहार यह दर्शाता है कि पाटन और क्षति की संभावना है।

- iv. संबद्ध वस्तुओं के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच परिणाम का पैरा 65 यह दर्शाता है कि चीन और कोरिया से उत्पादकों ने शुल्कों को लगाने पर व्यापार पैटर्न में बहुत अधिक सीमा तक परिवर्तन किया ताकि शुल्कों की प्रवंचना की जा सके। इस प्रकार, उनका हमेशा यह उद्देश्य था कि वे भारत में वस्तुओं का पाटन करें और शुल्कों से बचें।
- v. प्राधिकारी ने चीन, यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया और ताईवान से स्टेनलेस स्टील के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क भी लगाया है। इस प्रकार, इन देशों के लिए पाटन के अन्य स्रोतों को बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हुए भविष्य में आयातों के और अधिक होने की संभावना है।
- vi. पूर्व में लगाए गए शुल्कों को अन्य पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है और शुल्क का रूप बदलकर निर्धारित रूप किया जा सकता है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

131. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों और पुनरावृत्तियों जिनकी पहले ही इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में उपयुक्त रूप से जांच की गई है और जिन पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है, की जांच की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दे तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की जाती है:-

- i. इस तर्क के संबंध में कि निर्धारित एनआईपी कम है, यह नोट किया जाता है कि एनआईपी का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-III और डीजीटीआर द्वारा विचार की गई विगत परिपाटी पर विचार करते हुए किया गया है।
- ii. इस तर्क के संबंध में कि अन्य कारक भी हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में जांच की अवधि में सुधार हुआ है और इस प्रकार अन्य कारकों के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- iii. पाटन और क्षति की संभावना के बारे में तर्क के संबंध में, प्राधिकारी ने सभी अनुरोधों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए संगत स्थान पर प्रत्येक देश से पाटन और क्षति की संभावना के बारे में समुचित रूप से निष्कर्ष निकाला है।
- iv. इस तर्क के संबंध में कि मांग और आपूर्ति में अंतर है, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है और संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक हैं, जिनके पास घरेलू उद्योग की मांग को पूरा करने की क्षमता भी है। किसी भी स्थिति में मांग और आपूर्ति में अंतर घरेलू बाजार में वस्तुओं के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

ट. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

132. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार संव्यवहारों से घरेलू उद्योग के पहुंचाई जा रही क्षति का उपषमन करना है, जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनर्स्थापित की जा सके, जिससे देश का हित सुरक्षित किया जा सके। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने का आशय सम्बद्ध देश/क्षेत्र से हो रहे आयातों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाना नहीं है और इस अधिरोपण के कारण उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
133. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से सम्बद्ध वस्तु का प्रयोग करके विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क की वसूली एक ऐसी राशि तक प्रतिबंधित हो जो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निराकरण करने के लिए

जरूरी हो तो, से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा किसी भी रूप में कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आई गिरावट रुकेगी तथा इससे उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तु की व्यापक उपलब्धता का विकल्प बना रहेगा।

ठ. निष्कर्ष

134. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जिसे ऊपर रिकॉर्ड किया गया है के संबंध में और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का सतत पाटन हुआ है।
- ii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि, घरेलू उद्योग शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति का खतरा है।
- iii. चीन कोरिया गणराज्य से विषय वस्तुओं के आयात पर मौजूदा शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होगी।
- iv. यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान, थाईलैंड और यूएसए पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति नहीं होगी।

ड. सिफारिशें

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रयास अवसर दिया गया था ताकि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध करा सकें।
136. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से समाप्त होने दिया जाता है तब पाटन और क्षति की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि शुल्कों को जारी रखना इन देशों से पीयूसी के आयातों पर आवश्यक है। यूरोपीय यूनियन, ताईवान, यूएसए, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका से शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और इस प्रकार इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक नहीं है और तदनुसार, प्राधिकारी ईयू, ताईवान, यूएसए, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार करने की सिफारिश नहीं करते हैं।
137. प्राधिकारी, पाटनरोधी शुल्कों के अस्तित्व के तथ्य, समानांतर जांच में निर्धारित क्षति मार्जिन की मात्रा, घरेलू उद्योग द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न उत्पाद प्रकारों की संख्या और पीओआई में चीन और कोरिया आरपी में उत्पादकों द्वारा निर्यात किए गए सीमित प्रकार के उत्पाद प्रकारों को ध्यान में रखते हुए, पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदा मात्रा को आगे बढ़ाना उचित मानते हैं।
138. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1) (ख) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकारी पाटन का मार्जिन और क्षति का मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क चीन जन.गण. और कोरिया कोरिया आर.पी. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण*	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	ADV पाटनरोधी शुल्क %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7219	स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी	कोई भी	57.39%
2.	-वही-	-वही-	कोरिया आर.पी. के अलावा कोई भी	चीन जन.गण.	कोई भी	57.39%
3.	-वही-	-वही-	कोरिया आर.पी.	कोरिया आर.पी.सहित कोई भी देश	पोस्को, कोरिया आर.पी.	5.39%
4.	-वही-	-वही-	कोरिया आर.पी.	कोरिया आर.पी. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 3 में उल्लिखित को छोड़कर कोई भी	13.44%
5.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई भी देश	कोरिया आर.पी.	कोई भी	13.44%

*"600 एमएम से 1250 एमएम (मिस ऐज के लिए +30 एमएम और ट्रिम्ड ऐज के लिए +4 एमएम की चौड़ाई टोलरेंस तथा निम्नलिखित को छोड़कर 4 एमएम तक की चौड़ाई के साथ कोल्ड रोल्ड (कोल्ड रेड्यूस्ड) के बजाए आगे न की गई सभी सीरीज के गैर-अधिकृत प्रयोगों के लिए 1250 एमएम से अधिक की चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद"

क. ग्रेड एआईएसआई 420 हाई कार्बन, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 और ईएन 1.4509;

ख. इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- वह आयातक जो बिना स्लिटिंग के उसी रूप में अंतिम प्रयोग के लिए संबद्ध सामानों का आयात करता है; अथवा
- दो या अधिक संबद्ध सामानों में उसे स्लिट किया हो अर्थात् 1250 एमएम से अधिक के आकार में (उदाहरण के लिए 2600 एमएम के पीस को 1300 एमएम आकार के दो पीसों में स्लिट किया गया।

बशर्ते कि आयातक ने सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर सामानों का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई हो।

स्पष्टीकरण: पाटनरोधी शुल्क संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर भुगतान योग्य होगा, यदि इसे संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध वस्तुओं के आकार से कम तथा संबद्ध वस्तुओं के आकारों से कम के समुच्च के लिए अलग-अलग किया जाता है (उदाहरण के लिए 1800 मि.मी. प्रत्येक संबद्ध वस्तु को 1400 मि.मी. प्रति संबद्ध वस्तु अथवा 2200 मि.मी.

प्रत्येक संबद्ध वस्तु को 1400 मि.मी. और 800 मि.मी. अथवा 1400 मि.मी. प्रत्येक संबद्ध वस्तु को 600,500 और 300 मि.मी. के आकारों में विभाजित किया जाता है);

विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 और आगे सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 और 7219.90 के अंतर्गत "बेस मेटल्स और आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल्स" श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें दर्शाया गया सीमाशुल्क वर्गीकरण सूचक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से शुल्क के अनुप्रयोज्यता के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है, यदि इन उत्पादों का आयात सीमा शुल्क के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है।

आगे की प्रक्रिया

139. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित, आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क को छोड़कर अन्य सभी शुल्क शामिल होंगे।
140. केन्द्रीय सरकार के इस आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क उत्पाद कर और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार अपील की जा सकती है।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 20th January, 2021

Case No- AD-SSR 08/2020

Subject: Sunset Review investigation concerning imports of Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm and above 1250mm of non bonafide usage originating in or exported from China PR, Korea RP, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA-reg.

F. No. 7/18/2020-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE:

1. M/s Jindal Stainless Limited, M/s Jindal Stainless (Hisar) Limited and M/s Jindal Stainless Steelway Limited (hereinafter also referred to as the Applicants or the Domestic Industry) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules or AD Rules), for initiation of Sunset Review of anti-dumping duty imposed on the imports of Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm and above 1250 mm of non bonafide usage (hereinafter also referred as the subject goods or product under consideration or PUC) originating in or exported from China PR, Korea RP, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and the United States of America (USA) (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry

and have requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

3. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed by the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the Sunset Review Investigation vide Notification No. 7/18/2020-DGTR dated 30th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, to review the need for continued imposition of anti-dumping duty in respect of the subject goods, originating in or exported from subject countries and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

5. Earlier, anti-dumping investigation was initiated by the Authority on the imports of Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm originating in or exported from the subject countries vide Notification No. 14/06/2008-DGAD dated 25th November, 2008. Provisional duties were recommended vide Notification No. 14/6/2008-DGAD dated 27th March, 2009, which were imposed by the Ministry of Finance vide Notification dated 22nd April, 2009. Definitive anti-dumping duties were recommended by the Authority vide Notification No. 14/6/2008-DGAD dated 24th November, 2009 and the Ministry of Finance imposed the duties vide Notifications No. 14/2010-Customs dated 20th February, 2010.

6. A Mid Term Review investigation was conducted by the Authority and pursuant to its Final Findings dated 8th June 2011, a tolerance of +30 mm for mill edge and 4 mm for trim edge was specified for Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm originating in or exported from the subject countries. These clarifications were accepted and notified by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 86/2011 dated 6.9.2011.

7. Later on, pursuant to the Sunset Review investigation conducted by the Authority on the imports of Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm from the subject countries, antidumping duties were extended by the Ministry of Finance vide Custom Notification No. 61/2015 dated 11th December, 2015.

8. An anti-circumvention investigation was also conducted by the Authority on the imports of Cold Rolled Flat Product of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm and the Authority recommended extension of anti-dumping duties on the imports of Cold Rolled Flat Products of width more than 1250 mm vide Notification No 14/1/2014-DGAD dated 18th August, 2017. The duty was levied by the Ministry of Finance vide Notification No. 52/2017-Customs (ADD) dated 24th October, 2017.

9. Further, since the anti-dumping duties were imposed prospectively, the applicants approached the Customs, Excise and Services Tax Appellate Tribunal (CESTAT) and requested for imposition of the duty retrospectively. The CESTAT, vide Order No. 51204- 51205/2019 dated 12th September, 2019 remanded back the matter only for the purpose of deciding whether the duty can be imposed retrospectively. The Authority vide Notification No. 14/01/2014-DGAD dated 28th December 2020, confirmed its final finding dated 18th August 2017 recommending application of AD duty on a prospective basis as stated in Para 111 of its final finding.

B. PROCEDURE FOLLOWED IN THE INVESTIGATION

10. The following procedure has been followed in this investigation:

- a. The Authority notified the Governments of the subject countries through their Embassies in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the present investigation, in accordance with Rule 5(5) of the Rules.

- b. The Authority vide Notification No. 7/18/2020-DGTR dated 30th September 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from the subject countries.
- c. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicants) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rules.
- d. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers/users/users organisations of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing in accordance with the Rules.
- e. The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- f. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and user associations of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed limit.
- g. The Authority sent Questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters of the subject goods in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s. Nantong Jindi Fastener Co. Ltd.
 - ii. M/s. Dk Corporation.
 - iii. M/s. Elite Optels (H.K.) Limited
 - iv. M/s. Evershining International (H.K) Ltd
 - v. M/s. Ningbo Yinzhou Gaudhi Metal Products Co Ltd
 - vi. M/s. Excelvantage Global Ltd
 - vii. M/s. Oak Steel Limited
 - viii. M/s. Five Star Intl Group Ltd
 - ix. M/s. Foshan Chuangshengdian Import and Export Co Ltd
 - x. M/s. Posco Daewoo Corporation
 - xi. M/s. Foshan Shunhengli Import & Export Co Lt
 - xii. M/s. Samsung C And T Corporation
 - xiii. M/s. Foshan Teehoo Stainless Steel Co. Ltd
 - xiv. M/s. Shandong Mengyin Huarun Imp &Exp Co Ltd
 - xv. M/s. Foshan Yingfa Stainless Steel Co.
 - xvi. M/s. Shandong Mengyin Huarun Impand Exp. Co. Ltd
 - xvii. M/s. Global Steel
 - xviii. M/s. Guangzhou Eversunny Trading Co. Ltd
 - xix. M/s. Topbing International Industrial Limited
 - xx. M/s. Hongkong Winner Steel Co Ltd
 - xxi. M/s. Walsin Lihwa Corp.
 - xxii. M/s. Hyundai Corporation
 - xxiii. M/s. Jieyang De Bao Ming Stainlesssteel Co Ltd.
 - xxiv. M/s. Yc Inox Co Ltd
 - xxv. M/s. Jin Metal Korea Co. Ltd.

- xxvi. M/s. Yieh United Steel Corporation
- xxvii. M/s. Jin Yang Metal Co. Ltd
- xxviii. M/s. You Steel Co Ltd
- xxix. M/s. Karl Steel International Company Limited
- xxx. M/s. Yuan Long Stainless-Steel Corp.
- xxxi. M/s. Zhejiang Zhongda Yuantong Industrial Corporation
- xxxii. M/s. Ahmsa - Altos Hornos De Mexico
- xxxiii. M/s. Tata Steel (Thailand) Public Co. Ltd.
- xxxiv. M/s. Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd.
- xxxv. M/s. Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.P.A. V.Le B. Brin
- xxxvi. M/s. Arcelormittal Germany Holding Gmbh
- xxxvii. M/s. Outokumpu Steel Company
- xxxviii. M/s. Germany - Acerinox Deutschland Gmbh
- xxxix. M/s. Acerinox Europa Sau
- xl. M/s. Acerinox Sa, Italy
- xli. M/s. Thyssenkrupp Nirosta Gmbh
- xl. M/s. Outokumpu Stainless Ab,
- xl. M/s. A.K. Steel Corporation,
- xl. M/s. Allegheny Ludlum
- xl. M/s. North American Stainless
- xl. M/s. J & L Specialty Steel, Inc
- xl. M/s. Yieh United Steel Corporation (YUSCO)
- xl. M/s. Posco-Thainox Public Company Limited
- h. In response to the Initiation Notification, the following exporters/producers from subject countries have responded:
- i. Hyundai Corporation, Korea RP
- ii. POSCO Asia Company Limited, Hong Kong
- iii. POSCO International, Korea RP
- iv. POSCO-Thainox Public Company Limited, Thailand
- v. Samsung C&T Corporation, Korea RP
- vi. Columbus Stainless (Pty) Ltd, South Africa
- vii. POSCO, Korea RP
- i. Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

Sl. No.	Company Name	Sl. No.	Company Name
1	Accurate Steel	2	Home Zone Stainless Private Limited
3	Moonlight Tube Industries	4	Shakti Pumps India Limited
5	Amanat Steels Pvt. Ltd	6	Horizon Chutes Pvt

7	Naman Steel	8	Shree Ashapura Steel Centre
9	Aminox International	10	Milan Steel
11	National Peroxide Limited	12	Shree Mahavir Steel
13	Ankur Exports	14	IGP Engineers Private Limited
15	Navgrah Fastners Pvt Ltd	16	Shree Ramdev Metal Mart
17	Anupam impex	18	Inco Steel
19	Vikram Metal [India]	20	Home Zone Metals Private Ltd.
21	Montex Stainless and Alloys LLP	22	Inox Stainless
23	Navpad Steel Centre	24	Shree Swangiya Metal Industries
25	Seth Iron & Steel Pvt. Ltd.	26	J.Y. International
27	Navyug Metal Corporation	28	Shree Tube Mfg.Co.Pvt.Ltd.
29	Ashwin Impex	30	Jagdamba Cutlery Private Limited
31	Metal One Corporation India Private Limited	32	Shree Vallabh Metals
33	B.V.S. Overseas	34	Jaiman Metalloys Llp
35	Neptune Steel Impex	36	Shriram Handles
37	Balaji Impex	38	Jainex Steel & Metal
39	NG Industries	40	Siddhant Steel
41	Balaji Niryaat Private Ltd.	42	Hindustan Syringes And Medical Devices Ltd
43	Nickel Impex LLP	44	Siddhivinayak Steel
45	Bhalaria Metal Craft Pvt Ltd	46	Jayna Steel India
47	Numax Steels	48	Silver Steels
49	Bharat Exports	50	Victoria Auto Pvt. Ltd
51	Ohsung Electronics India Private Limited	52	Stainox Alloys Pvt Ltd
53	Bhavyadeep Impex	54	JFE Shoji Trade India Private Limited
55	Om Gurudev Metals	56	Steel International Mahavir Darshan
57	Chanchal Metal & Tube	58	Kamal Metal Corporation
59	P.P. Impex (India)	60	Steel Line (India)
61	Chirag Udyog	62	Kesho Ram Industries
63	Pacific Metal Trading Co.	64	Steel Yard Overseas
65	Devdeep Steel Alloys	66	Keyur Kitchenware
67	Param Industries	68	Stride Industries LLP
69	Saraswati Steel India	70	Kitchen Essentials
71	Paras Impoexpo Pvt Ltd.	72	Suchi Fasteners Pvt Ltd
73	Dhanera Metal Supply Corporation	74	Kraftwares (India) Private Limited.
75	Mayfair International	76	Suman Metal
77	Minox Metal Private Limited	78	Kunal Housewares Pvt.Ltd.

79	Posco-India Pune Processing Center Pvt. Ltd	80	Suncity Sheets Pvt Ltd
81	Divine Overseas Private Limited	82	Larsen & Toubro Limited
83	Rajesh Steel	84	Suncity Strips & Tubes Private Limited
85	Flange Forge India	86	Lubi Industries Llp
87	Rajguru Enterprises Pvt. Ltd	88	Sunder Impex Pvt Ltd
89	Forte Impex Pvt. Ltd.	90	M. P. Steel Centre
91	Ramani Steel House	92	Super Impex
93	Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.	94	Magppie International Ltd
95	Randen Engineering Pvt.Ltd.	96	Swastik Industries
97	Goodluck Metal Corporation	98	Mahaveer Stainless Steel
99	Riddhi Siddhi Impex	100	Trident Steel
101	Goodluck Steels	102	Mars Housewares
103	Welkin Infotech Private Limited	104	Uttam Steel Alloys Pvt Ltd
105	H. K. Impex Pvt. Ltd.	106	Maruti Suzuki India Limited
107	Hindustan Inox Limited	108	Vishal Steels
109	Veena Steel Industries	110	Maxim Tubes Company Pvt Ltd

- j. In response, the following importers have filed Questionnaire response in the present investigation:
- POSCO India Processing Centre Private Limited
 - POSCO India Pune Processing Centre Pvt. Ltd.
- k. The following exporter has filed only the legal submissions:
- Acerinox Europa S.A., Spain (EU)
- l. The following Embassy/ importers/traders have filed only the legal submissions:
- Taipei Economic and Cultural Centre, Taiwan
 - Shree Ramdev Metalex LLP, India
 - Saraswati Steel (INDIA)
 - Navnidhi Steel & Engineering Co. Pvt. Ltd.
- m. The Authority had requested all the interested parties to make available the non-confidential version of their submissions to other parties as well.
- n. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted, after due examination and such information has been considered confidential by the Authority and not disclosed to other parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the confidential information, which was made available through public file.
- o. Further information was sought from the Applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- p. PCNs in this investigation were approved through a Notification No. 7/18/2020-DGTR dated 11th November, 2020.

- q. Investigation has been conducted for the period from 1st April 2019 to 31st March 2020 (hereinafter referred to as the 'Period of Investigation' or 'POI') with injury analysis covering the period April 2016 – March 2017, April 2017 – March 2018, April 2018 – March 2019 and the POI.
- r. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) was requested to provide details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation, and the said information obtained from the DGCI&S has been adopted for the purpose of the present investigation.
- s. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- t. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views in the oral hearing held on 14th December, 2020 which was attended by various interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions reproducing their views, in order to enable the opposing interested parties to file rejoinders.
- u. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 11.01.2021. The post Disclosure Statement submissions received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- v. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant have been addressed by the Authority in the Final Findings.
- w. '***' in this Final Findings Notification represents the information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by Authority under the Rules.
- x. The exchange rate for the POI taken by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C. 1 Views of the Domestic industry

11. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration in the present petition should be the product as is attracting anti-dumping duties at present. Therefore, the product under consideration in the present application is:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width 600 mm to 1250 mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged) and of width above 1250 mm for non bonafide uses of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm, excluding the following:

 - a. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;
 - b. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).
 - c. Further, the product under consideration excludes the following:
 - i. an importer who imports the subject goods for end use in the same form without slitting; or
 - ii. slitted it into 2 or more subject goods, i.e., sizes above 1250 mm (for example a 2600 mm piece slitted into two 1300 mm size pieces)

Provided that the importer followed the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.

ii. The PUC is classified under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-headings 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90.

iii. The subject goods are used for manufacture of white goods, processed equipment, dairy equipment, automotive components, rail carts, metro coaches, architecture, building and construction, etc.

iv. The Authority, post initiation, had granted 15 days' time to all the interested parties to make comment on the PCNs. PCNs were approved through a Notification No. 7/18/2020-DGTR dated 11th November, 2020. Any comment with regard to PCNs was to be filed within that time frame. The Authority approved the PCN only after considering the comments of the other parties. This is not an appropriate time to comment on the PCNs and asking for modification on PCNs suggested by the Authority.

v. PCNs adopted in the present investigation are after considering the PCNs finalised in the parallel investigation wherein cold rolled products are also included and wherein PCNs were finalised after receiving comments from various interested parties including POSCO. Thus, there is no reason why such PCNs cannot be adopted in the present investigation. Apart from pricing, cost, technical parameters, etc. are taken into consideration while formulating a PCN. Pricing policy followed by on exporter alone cannot be a criterion to modify the PCNs.

C. 2 Views of the other interested parties

12. The following submission have been made by the exporters/other interested parties with regard to the scope of product under consideration and the like article:

i. The Authority shall redefine the PUC as the products sold by JSSL in the domestic market should also be excluded from the definition and scope of PUC in the subject investigation.

ii. List of products excluded from the list of subject goods in the initiation notification due to the reason that those are not being manufactured by the domestic industry shall be excluded from the scope of subject goods in the final findings.

iii. DGTR should reclassify the range of thickness to the one accepted in the original investigation as the circular doesn't reflect POSCO's pricing policy adequately.

iv. The Authority in the initiation notification has excluded JSSL from the scope of the investigation. In such circumstances it would be essential to re-define the PUC as the products sold by JSSL in the domestic market should also be excluded from the definition and scope of PUC in the subject investigation.

v. Exclusion of PUC above 1650mm with given qualification, i.e., of bonafide usage as more than 16500 mm, creates difficulty for the importers, who are traders and not end users of the product, in importing the same.

vi. Range of thickness of the subject goods determines the selling price for export sales and domestic sales. However, the current notice regarding the range of thickness does not reflect POSCO's pricing policy appropriately. Inappropriate PCN structure has been notified.

C. 3 Examination by the Authority

13. The product under consideration in the original investigation was as follows:

- a. Cold-rolled flat products of stainless steel of the width of 600 mm upto 1250 mm of all series further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4 mm.
- b. The subject goods will have the following exclusions from the scope of the product on grounds as explained above:
 - Grade AISI 420 High carbon (0.28%-0.40%), Grade 420, Grade 430 BA supplied by M/s Thyssenkrupp Stainless International, Germany, Grade AISI 441 and Grade AISI 443.

- Duplex Stainless Steel grades 2205 (S31803), 2304 (S32304), EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318 and 1.4833 and Ferritic Grades EN 1.4509 and 1.4512.
 - Product supplied under Indian Patent no. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco of Chinese Taipei (Taiwan))
14. In the mid-term review investigation, the scope of the product under consideration was modified so as to include the following:
- a. Width tolerance of (+) 30mm shall apply to Mill Edged, cold-rolled flat products of stainless steel of specified width range of 1000 mm or more but not exceeding 1250 mm.
 - b. Width tolerance of (+) 4mm shall apply to Trim Edged cold rolled flat products of stainless steel of specified width range exceeding 1000 mm but not exceeding 1250mm.
15. The domestic industry approached the Punjab and Haryana High court requesting inclusion of certain types of products being produced and supplied by the domestic industry to be included within the scope of the product under consideration. The Hon'ble High Court passed an order dated 8th October, 2010 and the Designated Authority, in compliance with the order issued a Notification No. 18/11/2010-DGAD dated 5th December 2011.
16. The product scope, modified in the first sunset review investigation, was as follows:
- a. Cold-rolled Flat products of stainless steel of width of 600 mm upto 1250 mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4 mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4 mm for Trimmed Edged), excluding the following:
 - i. the subject goods of width beyond 1250 mm (plus tolerances);
 - ii. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;
 - iii. product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese- Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).
17. Further, the Authority conducted circumvention investigation. Resultantly, the anti-dumping duty was extended to cold rolled flat products of stainless steel of width above 1250 mm except for bonafide use and the product scope was modified to include as follows:
- a. The subject goods include cold-rolled Flat products of stainless steel of width greater than 1250 mm of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced) with a thickness of up to 4mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged), excluding the following:
 - i. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;
 - ii. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).
 - b. Further, the product under consideration excludes the following:
 - i. an importer who imports the subject goods for end use in the same form without slitting; or
 - ii. slitted it into 2 or more subject goods, i.e., sizes above 1250 mm.

Provided that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.
18. The product scope has been modified since the original investigation. Thus, the product scope for examination in the present investigation is as follows:

“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width 600 mm to 1250 mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged) and of width above 1250 mm for non bonafide uses; of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced); with a thickness of up to 4mm, excluding the following:

- a. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;
- b. Product supplied under Indian Patent No. 223848 in respect of goods comprising Low Nickel containing Chromium-Nickel Manganese-Copper Austenitic Stainless steel and representing Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M/s Yieh United Steel Corp (Yusco) of Chinese Taipei (Taiwan).
- c. Further, the product under consideration excludes the following:
 - i. an importer who imports the subject goods for end use in the same form without slitting; or
 - ii. slitted it into 2 or more subject goods, i.e., of sizes above 1250 mm (for example a 2600 mm piece slitted into two 1300 mm size pieces)

Provided that the importer followed the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017”

19. The product under consideration is classified under the category “Base Metals and Articles of Base Metals” in Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Product Control Number (PCN) system

20. The Authority at the stage of initiation proposed PCN system and sought comments from the parties. The initiation notification stated as follows:

Product control numbers (PCN)

9. Applicants have proposed a product control number (PCN). In parallel anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel initiated vide Notification 6/12/2019-DGTR dated 03.07.2019, the Authority has adopted a PCN Methodology based on certain factors viz. product type, grade of the product, form of the product, width of the product, thickness and finish of the product. The same has been considered by the Authority in the anti-subsidy being undertaken on the subject goods. The PCN methodology as published vide notification 6/12/2019-DGTR dated 14/08/2019 is proposed to be adopted in this investigation to the extent it concerns with the present product under consideration. Further, any comments with regard to the proposed PCN may be filed within 14 days from the date of initiation of this investigation.

21. After taking into consideration the views and comments of interested parties on the PCN methodology proposed in the Initiation Notification, the Authority adopted the following PCN methodology and informed to the interested parties through communication No. 7/18/2020-DGTR dated 11th November, 2020:

S. No.	Description	PCN	Code
1	Product Type	Cold Rolled	2
		Cold Rolled Annealed & Pickled	4
2	Grade of the Product	201	201
		202	202
		216	216
		301	301
		304	304
		304L	304L

		309 310/S 316 316/L 405 409 410 410/S 415 420 430 432 436 439 444 446 Duplex Any Other Special- Pl Specify	309 310S 316 316L 405 409 410 410S 415 420 430 432 436 439 444 446 DUP ORS SPC
3	Form of the Product	Coil Plate/Sheet Strips Punched Coil Circles Other- Pl specify	1 2 3 4 7 8
4	Width of the product	Of a width 600 MM or more but upto 1250 MM Of a width more than 1250 MM (Non-bonafide Uses)	2 3
5	Thickness	Of a thickness of less than 0.5 MM Of a thickness of 0.5 MM and above but less than 1.00 MM Of a thickness of 1.00 MM and above but less than 3.00 MM Of a thickness of 3.00 MM and above upto 4.00 MM	9 10 11 12
6	Finish of the Product	No special finish Special finish- Pl specify finish in separate column	1 2

Note: The grades specified above at Row 2 are Indian Standards. Whenever a product has been exported adopting a specification other than the Indian Standard, the equivalent grade of Indian Standard should be specified.

For example, consider the following illustration:

1. A Cold Rolled Annealed & Pickled, 316L grade, strip of below 600 mm having a thickness of 0.8 with 2B finish shall be specified as 4316L31102. Further "2B" may be specified in a separate column
22. With regard to POSCO's contention to change the thickness parameters, it is noted that sufficient time was given to all the interested parties to file comments on PCN. The company has not established the need for modification to the PCN system earlier proposed. The Authority after examining the comments received by the parties notified the PCNs vide communication dated 11.11.2020.
23. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian domestic industry and those imported from the subject countries. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumer also uses the two interchangeably. The Authority, therefore, holds that product manufactured by the applicants constitutes "like article" to the subject goods being imported into India from the subject countries.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D. 1 Views of the Domestic Industry

24. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope and standing of the domestic industry:
 - a. The present application has been filed by M/s Jindal Stainless Limited, M/s Jindal Stainless (Hisar) Limited and M/s Jindal Stainless Steelway Ltd. The Applicant companies are neither related to an importer in India nor an exporter of the subject country. The Applicant companies have also not imported the product under consideration from the subject countries. The Applicant companies hold a major proportion of the total domestic production of subject goods in India. The Applicants, therefore, satisfy the requirement of standing and constitute domestic industry within the meaning of the Rules.
 - b. The production figures of other Indian producers are based on estimates. The applicants have analyzed imports and sales of the domestic industry to determine production by the unorganized sector/re-rollers. Even if, the entire imports are being converted to Cold Rolled products, even then the production by the Applicants will constitute a major proportion of the total Indian production.
 - c. There are four other known producers of the product under consideration in India, namely, BRG Iron and Steel Co. Pvt. Ltd., Salem Steel Plant (SAIL), Shah Alloys Ltd. and Rimjhim Stainless Ltd. whose production is based on estimates during the POI.
 - d. Jindal Stainless Steelway Ltd. (JSSL) is a 100% subsidiary of the other two petitioner companies, i.e., JSL and JS(H)L. Data of JSSL has not been considered for the purpose of determining standing nor is included in the injury information. It has been added as a petitioner only to establish injury and injury margin on product types being imported, which are not supplied by JSL/JSHL but are being processed by JSSL (for instance, circles, Anti Finger Print 2. No.8 Mirror Finish, Embossing, Etching). The product is being imported in significant volumes in forms such as Circles, Anti Finger, Mirror Finish, Embossing, Etching and it is vital to impose ADD on these forms.
 - e. The product under consideration is also produced in the unorganized sector by re-rollers. Applicants have established standing by considering facts available with regard to Indian production. Share of imports of hot rolled products of width above 600mm and thickness below 8mm and share of the sale of hot rolled products of width above 600mm and thickness below 8mm have been considered as production of CR products by other MSME producers in the market.

However, even if imports are considered entirely, even then production of the petitioners constitutes a major proportion in Indian production.

- f. The Authority in the parallel anti-dumping investigation, with regard to the same issue, held that the product produced by JSSL is not distinct from what is being produced by JSL and JSHL. The only difference is the form of PUC which is being sold by JSSL after doing incremental activities.

D. 2 Views of other interested parties

25. The other interested parties have made the following submissions with regard to scope of domestic industry and standing:

- a. Certain products are not supplied by Jindal Stainless Limited (JSL) and Jindal Stainless Hisar Limited (JSHL) however, in respect of such products, processing is undertaken by JSSL. It is not clear as to how the injury would be determined in respect of the subject products processed by Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL) when the data of the said company has not been considered in the petition.

- b. It is submitted that in the absence of any data from JSSL on standing and injury in the petition, it cannot be considered as a petitioner in this case and cannot be treated as forming part of the domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules. The Authority is requested to disregard any information or submission supplied by JSSL in the present case.

- c. It is not clear as to how the injury can be demonstrated on certain imports when the relevant data has not been considered by the petitioners itself for the purpose of injury analysis.

- d. JSSL is only performing incremental activity on certain finishes and circles, etc. which are not even supplied JSL and JSHL in identical form. It is submitted that in the absence of any data from JSSL on standing and injury in the petition, it cannot be considered as a petitioner in this case and cannot be treated as forming part of the domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules. The Authority is requested to disregard any information or submission supplied by JSSL in the present case. The Authority has followed a similar approach in the investigation on Stainless Steel Flat Products from 15 countries where petition was filed by the same three petitioners.

D. 3 Examination of the Authority

26. Rule 2 (b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

27. The present sunset review application has been jointly filed by M/s Jindal Stainless Limited, M/s Jindal Stainless (Hisar) Limited and M/s Jindal Stainless Steelway Ltd. The applicant companies have not imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or importer of the subject product in India. Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL) is undertaking incremental activity only on the steel being produced by JSL and JSHL. The applicants have clarified that this company has been added only to assist the Authority to seek any information considered relevant to the present investigation and that its production has neither been included in Indian production nor this company’s data has been included in injury information. It is noted that verified injury and costing information provided by JSL and JSHL only has been considered. It is thus clarified that the Authority has not considered JSSL as a part of the domestic industry in the present investigation nor it has been considered for purposes of determining standing of the applicant or injury determination. The scope of domestic industry for the purpose of Rule 2(b) covers the applicant companies JSL and JSHL only.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions of the domestic industry

28. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality and other issues:
- Information in terms of volume parameters such as production, sales, etc. has not been disclosed as the same is not in public domain. Disclosure of such highly business sensitive information would be of significant competitive advantage to competitors and consumers and would seriously impact the interest of the Applicants. The Applicants have, however, provided indexed information wherever possible.
 - Applicants have provided sufficient information justifying initiation of the investigation and have provided all information as required under the application proforma. As regards failure of evaluation of certain parameters in the write up, the Applicants submit that it is not necessary for the Applicants to evaluate all the parameters in the application. The Applicants are obliged to provide all relevant information, which has been done.
 - DGCI&S data is confidential data and, therefore, cannot be circulated. The interested parties are free to collect transaction wise data from DGCI&S if they so desire.
 - The applicants submitted that they have provided the data in indexed form in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018.
 - Indexed information has been provided wherever possible. The injury analysis is essentially an analysis of trend which can be easily seen through trends of various parameters provided in the application.
 - The confidentiality has been claimed strictly as per the trade notice issued. The information in the petition contains data of two related companies, JSL and JSHL, and thus non confidential petition has been filed disclosing information as required to be submitted by a two-petitioner company format. In fact, it should be considered that there is de-facto one petitioner company, as the two petitioners are part of one group only.
 - A careful examination of the non-confidential version of the response would show the extent of confidentiality claimed by these interested parties and the response does not permit a reasonable understanding of the substance of the information filed on confidential basis.
 - Exporters/producers like Hyundai Corporation, POSCO International, POSCO, Korea RP, POSCO-Thainox Public Company Limited, Samsung C&T Corporation, in complete disregard to the procedure and requirements set by the Rules, have not filed *EXPORTERS QUESTIONNAIRE - Part II Further Information concerning the Sunset Review*. They have deliberately skipped an entire portion of the questionnaire response marking the answer to most of the question as confidential. The foreign producers have failed to provide any information regarding likelihood. The Authority is requested to reject the response of the above-mentioned producers/exporters on this ground alone.

E.2. Submissions made by other interested parties

29. The following submissions have been made by the exporters, importers, users or any other interested party with regard to confidentiality:
- Excess confidentiality has been claimed and incomplete petition has been filed as Costing Information is completely missing. Petitioner has failed to show reasonable justification for these and further the justification table is not as per the trade notice.
 - Excessive confidentiality has been claimed by the domestic industry. Non-compliance of the requirement of confidentiality reasoning required for more than two producers.

E.3 Examination by the Authority

30. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:
- “Confidential Information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information*

provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

31. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1 Submissions made by the Domestic Industry

32. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to miscellaneous issues:
 - a. The remedial effects of the anti-dumping duty imposed in 2008 actually became effective in 2017 post conclusion of circumvention investigation.
 - b. Importers evaded customs duties by misrepresenting the Regional Value Content; misdeclaration of goods by selectively using words; usage of advance authorisation during non-applicable periods; non-compliance of RMS in bill of entry; importing under advance license scheme; and not completely revealing specifications such as width, length etc. The exporters are habitual offenders as a large number of DRI investigations have been effected against them.

F.2 Submissions made by the other interested parties

33. The following submissions have been made by the other interesting parties with regard to miscellaneous issues:
 - a. The Designated Authority has initiated the investigation without having sufficient and adequate information. The law requires that *prima facie* there should be sufficient information regarding dumping and likelihood in order to justify initiation. The investigation has been initiated without any adequate and sufficient information. The evidence presented to the Authority must be of adequate quality in order to constitute sufficient evidence-reference made to *Mexico – Steel Pipes and Tubes* (DS-331), *United States- Softwood Lumber from Canada*, *Guatemala – Cement II* (DS-156), *Mexico – Steel Pipes and Tubes* (DS-331)
 - b. The WTO Panel in *US-DRAMS* (DS99) observed that “Anti-Dumping duties shall remain in force only as long as and to the extent necessary, to counteract injurious dumping as a necessity requirement”. The economic parameters examined for domestic industry does not suggest necessity for the continued imposition of anti-dumping duty.
 - c. The initiation of the investigation is in contravention to the Rule 5(3) and Article 5.3 of the anti-dumping agreement as they are largely based on estimates and assumptions.
 - d. The continued imposition of the relevant measures would lead to deterioration of market competition and thus act against public interest. This will result in a downgrade of production technology and efficiency and may damage the industry’s long-term and fundamental interests.
 - e. The Authority in *sunset review investigation concerning imports of ‘Dry Cell Batteries’ originating in or exported from China* PR observed that anti-dumping duty shall not continue for more than 10 years except in special cases. Further while establishing a special case, additional circumstances

must be looked at. In the present situation the domestic industry has not established the situation to be a special case.

- f. The Authority should be consistent in the decision making. DGTR is a quasi-judicial authority. Thus, a legal principle should be applicable on subsequent cases through rule of precedent.
- g. The highest ROI recorded in the past 5 years for global steel producing majors like ArcelorMittal and POSCO was 9.92% and 5.36%, respectively. Thus, a rate of 22% cannot be applied as a set yardstick for all kinds of PUC.
- h. The Authority failed to give adequate time for filing of responses. The due date for filing submissions was 16th November, 2020. However, the Authority changed the PCN on 11th November, 2020.
- i. The Authority need not initiate sunset review investigation compulsorily.
- j. There is no clarity on inclusion of JSSL as petitioner. If no information has been provided by JSSL and they are not considered as domestic industry, how can injury analysis be done for the product being produced by JSSL.
- k. The Authority may conduct a detailed verification of the cost allocation done by the domestic industry to PUC in order to ensure correct calculation of the non-injurious price.
- l. Imports are happening only to fill gap between increase in demand and supply.

F.3 Examination by the Authority

34. As regards the contention of the interested parties that imports are necessary in view of demand supply gap, the Authority notes that there are other domestic producers apart from the domestic industry and the production details considered for the Indian industry is comparable to the Indian demand. In any case, demand supply gap can only justify imports of goods, not the phenomenon of dumping.
35. As regards the issue that the domestic industry has received adequate protection for last 10 years and continuation of the duty will lead to deterioration of market competition and thus act against public interest, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is only to create a level playing field and to provide relief to domestic industry due to injurious effect of dumping. Further, it is also noted that the anti-dumping duty is not envisaged to provide undue protection to the domestic industry. Moreover, none of the interested parties has provided any evidence whatsoever as to how the continuation of duties against imports from the subject countries would be detrimental to the larger interests of the economy or the country. However, the issues of undue protection, if any, has been examined in the relevant section so that the duty is not unduly imposed for a period beyond which it is required.
36. As far as adequacy of information submitted by the applicants in its application for sunset review is concerned, the Authority notes that the prima facie evidence submitted by the applicants was examined by the Authority before initiation of the investigation and being satisfied with the prima facie evidences the subject investigation was initiated. However, the actual determination is based on actual data of the responding exporters and importers and other facts available with the Authority.
37. As far as ROI of other steel manufactures in the world is concerned, the same cannot be a yardstick for the Indian manufacturers. The ROI of certain companies such as ArcelorMittal and POSCO cannot be seen in isolation and a lot of other factors impacting the performance of the companies are also to be seen. Apart from that the domestic industry has not alleged injury on account of drop of ROI.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G. 1 Normal Value

38. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G. 2 **Submissions made by the Domestic Industry**

39. The following are the submissions made by the domestic industry in respect of normal value:
 - a. China PR should be considered a non-market economy in line with the position taken by the Authority in previous cases and by investigating authorities in other countries. Chinese Producer's cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
 - b. The Designated Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
 - c. The Applicants have determined normal value on the basis of the price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.
 - d. In the present investigation none of the responding producers/exporters has filed response to the Market Economy Treatment questionnaire.
 - e. The Applicants have considered prices of product under consideration in Taiwan, EU, USA and Korea RP as per prices reported in MEPS Stainless Steel Review. The prices reported by MEPS is a good evidence of prevailing prices of the subject goods in these domestic markets and are above the estimates of cost of production of the subject goods in these countries.
 - f. The Applicants could not get prices for Thailand and South Africa in the MEPS Stainless Steel Review or by any other means and thus the normal value in Thailand and South Africa has been determined on the basis of estimates of cost of production, duly adjusted with selling, general and administrative expenses.
 - g. Exporters/producers like Hyundai Corporation, POSCO International, POSCO, Korea RP, POSCO-Thainox Public Company Limited, Samsung C&T Corporation, in complete disregard to the procedure and requirements set by the Rules, have not filed *EXPORTERS QUESTIONNAIRE - Part II Further Information concerning the Sunset Review*. They have deliberately skipped an entire portion of the questionnaire response leave aside marking the answer to most of the question as confidential. The foreign producers have failed to provide any information regarding likelihood. The Authority is requested to reject the response of the above-mentioned producers/exporters on this ground alone.

G. 3 Submissions made by other interested parties

40. The following submissions have been made by other interested parties with regard to determination of dumping margin.
- a. The Authority may rely on the questionnaire response for determining the injury margin and dumping margin. If there is any insufficiency, the Authority may issue deficiency letter.

G. 4 Examination by the Authority

41. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
- i. Hyundai Corporation, Korea RP
 - ii. POSCO Asia Company Limited, Hong Kong
 - iii. POSCO International, Korea RP
 - iv. POSCO, Korea RP
 - v. POSCO-Thainox Public Company Limited, Thailand
 - vi. Samsung C&T Corporation, Korea RP
 - vii. Columbus Stainless (Pty) Ltd, South Africa

Market Economy status for Chinese producers

42. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- "a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
- i. *If the producers under investigation can clearly show that market conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- ii. *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

43. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers and the exporters from China PR have not submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provision of para 7 of Annexure I of the Rules. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from China PR have been determined as below.

I. China PR

Determination of Normal Value for China PR

44. As none of the producers from China PR has filed the supplementary questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on "any other reasonable basis".
45. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price for China PR

46. In the absence of co-operation by any producer from China PR, the Authority has determined the net export price based on transaction-wise DGCI&S import data after making appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, non-refundable VAT, port expenses and inland freight charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports to China PR has been calculated and is shown in the dumping margin table below.

General Methodology for determination of Normal Value for the other countries

47. It was first determined whether the total domestic sales of the subject goods by the producers/exporters in the subject countries were representative when compared to exports of the subject goods to India. Thereafter, it was examined whether these sales are under ordinary course of trade in terms of Para 2 of the Annexure I to the Rules. Wherever the producers/exporters have provided transaction wise details of sales made in home market and same has been accepted by the Authority, the said information has been relied upon to determine the normal value of the subject goods sold in their home market
48. For conducting ordinary course of trade test, the cost of production of the product concerned was examined with reference to the information provided by the producers/exporters and compared with domestic selling price to determine whether the domestic sales were in the ordinary course of trade. The Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of normal value for the cooperating producers/exporters where profit making transactions are more than 80%. In cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value.

49. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales of particular PCN/ grade, normal value was constructed based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits.

II. Korea RP

Determination of Normal Value for POSCO, Korea RP

50. During the POI, POSCO, Korea RP has sold *** MT of the subject goods for *** KRW in the domestic market to related and unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales of particular PCN, normal value is constructed based on the cost of production along with reasonable profit. With regard to POSCO, Korea RP, since the profit making sales are below **%, the Authority has considered only profit making sales to determine the normal value. POSCO, Korea RP has claimed adjustment on account of inland transportation, warehousing expenses, warranty expenses, credit cost, early payment discount, late payment interest income and packing expenses and the same have been allowed by the authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for POSCO, Korea RP, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Determination of Export Price for POSCO, Korea RP

51. M/s POSCO, Korea, who is a major producer and exporter of the subject goods in Korea RP, has filed questionnaire response. During the POI, POSCO, Korea RP exported *** MT of the subject goods for *** KRW to India through seven traders, namely, M/s Posco International Corporation, M/s Hyundai Corporation, M/s Samsung C&T Corporation, M/s Hyosung TNC Corporation, M/s SK Networks Co., Ltd., M/s Stinko Co., Ltd. and M/s Toyota Tsusho, out of which four traders, namely, M/s Hyosung TNC Corporation, M/s SK Networks Co., Ltd., M/s Stinko Co., Ltd. and M/s Toyota Tsusho have not filed questionnaire responses. These four non-participating exporters constitute only ***% of total exports to India by POSCO, Korea RP. The same has not been considered to work-out ex-factory export price. The responses of POSCO, Korea and the participating trading companies named above were also verified in accordance with the procedure. The dumping margins of POSCO, Korea and participating traders have been determined on the basis of the response filed by them. Dumping margins for non-cooperating producer/exporters from Korea RP have been determined on the basis of information filed by cooperating exporters and other facts available. The export price at ex-factory level for POSCO, Korea RP, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other exporters from Korea RP

52. The Authority notes that no other of the producer/exporter from Korea RP has responded in the present investigation. The Authority, for the noncooperative producers/exporters has determined normal value at ex-factory level on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

III. European Union

Determination of Normal Value for European Union

53. None of the producers/exporters from European Union has submitted Questionnaire Response in the present review investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price for European Union

54. None of the producers/exporters from European Union has submitted Questionnaire Response in the present review investigation. Therefore, the Authority has determined the net export price based

on transaction-wise DGCI&S import data after making appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission. port expenses and inland freight charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from European Union has been calculated and is shown in the dumping margin table below.

IV. South Africa

Determination of Normal Value for Columbus Stainless (Pty) Ltd, South Africa

55. M/s Columbus Stainless (Pty) Ltd., South Africa is the only producer-cum exporter from South Africa which has filed the questionnaire response in this review investigation. The information submitted by this company was verified. The Authority has relied upon the information submitted by this cooperating producer/exporter for determination of their dumping margin. It is noted from the response that Columbus has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and in India.
56. M/s Columbus Stainless (Pty) Ltd., South Africa has submitted details of domestic sales and cost of sales of subject goods during the POI. During the POI, Columbus has sold ***MT of the subject goods for ***USD directly to unrelated customers in the domestic market. On the basis of cost of sales claimed, the Authority has carried out Ordinary course of trade ("OCT") test PCN-wise. In respect of the PCNs for which OCT test was satisfied, normal value has been determined basis the average ex-factory domestic sales prices. In other PCNs where OCT test was not satisfied, ex-factory cost along with margin of ***% has been considered for determination of normal value. Columbus has claimed adjustments on account of insurance, inland transportation, credit cost, packing cost and commission. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of Export Price for Columbus Stainless (Pty) Ltd, South Africa

57. During the POI, M/s Columbus Stainless (Pty) Ltd., South Africa has exported *** MT of the subject goods for ***USD directly to unrelated customers in India. Columbus has provided all the relevant information in the requisite formats. It is noted from the response that during the POI, Columbus has sold ***MT of subject goods to India. Columbus has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, packing cost and commission. Accordingly, the net export price at ex-factory level has been calculated and is shown in the dumping margin table below.

All other exporters from the South Africa

58. For the non-cooperative producers/exporters, the Authority has determined the normal value at ex-factory level on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

V. Taiwan

Determination of Normal Value for Taiwan

59. None of the producers/exporters from Taiwan has participated in the present review investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below

Determination of Export Price for Taiwan

60. In the absence of co-operation by any producer from Taiwan, the Authority has determined the net export price based on transaction-wise DGCI&S import data after making appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission. port expenses and inland freight charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from Taiwan has been calculated and is shown in the dumping margin table below.

VI. Thailand

61. M/s POSCO, Thainox Public Company Ltd, who is a major producer and exporter of the subject goods in Thailand has filed questionnaire response.

POSCO-THAINOX Public Company Limited, Thailand

62. During the POI, POSCO-THAINOX Public Company Limited, Thailand, has sold ***MT of the subject goods for *** THB in the domestic market to related and unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales of particular PCN, normal value was constructed based on the cost of production along with reasonable profit. With regard to POSCO-THAINOX, since the profit making sales are below **%, the Authority has considered only profit making sales to determine the normal value. In some of the PCNs, transactions are without any profit at all and, therefore, the Authority has worked out normal value for these PCNs at cost plus reasonable profit basis. POSCO-THAINOX has claimed adjustment on inland transportation, credit cost, and packing expenses and the same have been allowed by the authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for POSCO-THAINOX has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Determination of Export price for POSCO-Thainox Public Company Limited, Thailand

63. During the POI, POSCO-THAINOX Public Company Limited, Thailand sold ***MT the subject goods for *** USD to India directly as well as through three traders, namely, M/s Posco International Corporation, M/s Hyundai Corporation and M/s POSCO Asia Co., Ltd. POSCO-THAINOX has claimed adjustment on account of ocean freight, inland transportation, handling charges, customs clearance, marine insurance, credit cost and packing expenses and the same have been allowed. The weightage average PCN-wise export price has accordingly been determined for POSCO-THAINOX and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

All other Exporters in Thailand

64. For all other exporters from Thailand dumping margins have been determined on the basis of information available in the questionnaire response filed by the cooperating exporter in Thailand. For noncooperative producers/exporters, the Authority has determined the normal value at ex-factory level on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

VII. USA**Determination of Normal Value for USA**

65. The Authority notes that none of the producers/exporters from USA has responded in the present investigation. For the noncooperative producers/exporters, the Authority has determined normal value at ex-factory level on the basis of facts available and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Determination of Export Price for USA

66. In the absence of co-operation by any producer from USA, the Authority has determined the net export price based on transaction-wise DGCI&S import data after making appropriate adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses and inland freight charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from USA has been calculated and is shown in the dumping margin table below.

Dumping Margin

67. Based on the normal value and the export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from the subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

Dumping Margin Table for all Countries

Sl. No.	Country	Producer	Normal Value (USD per MT)	Export Price (USD per MT)	Dumping Margin Price (USD per MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
1.	Korea RP	POSCO, Korea RP	***	***	***	***	10-20
2.	Korea RP	All others	***	***	***	***	20-30
3.	South Africa	Columbus Stainless (Pty) Ltd	***	***	***	***	30-40
4.	South Africa	All others	***	***	***	***	40-50
5.	Thailand	POSCO- THAINOX Public Company Limited	***	***	***	***	20-30
6.	Thailand	All others	***	***	***	***	30-40
7.	China PR	All Producers	***	1223.03	***	***	30-40
8.	European Union	All Producers	***	2302.50	***	***	20-30
9.	Taiwan	All Producers	***	1655.52	***	***	0-10
10.	USA	All Producers	***	1920.05	***	***	40-50

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

68. Rule 11 of the Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
69. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
70. The Authority notes that the application for continuation of antidumping duty has been jointly filed by Jindal Stainless (Hisar) Limited, Jindal Stainless Limited (JSL) and Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL). In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicants JSHL and JSSL have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of injury determination, the cost and injury information of JSL and JSHL has been examined.

H.1 Submissions made by the Domestic Industry

71. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- a. The imports from subject countries increased throughout the injury period. Imports in relation to production and consumption have also increased over the injury period.
 - b. Subject imports have increased over the injury period despite anti-dumping duty in force. The order the CESTAT in *AIA Engineering vs Union of India* is referred to and relied upon which provides that low volume of imports would not be a relevant criterion in a sunset review investigation.
 - c. The final findings issued in the parallel antidumping investigation, covering the present product scope, albeit from different countries, have concluded that the industry was suffering material injury in 2018-19 in view of dumped imports.
 - d. The present volume of imports from the subject countries is not only increasing but also is being made at dumped price.
 - e. The subject goods have history of dumping from various countries. The Authority in multiple investigation has tried to address the unfair dumping in the country. The Authority also undertook anti-circumvention investigation to address the continued dumping. The volume of dumped imports at present is being addressed at present in a separate investigation.
 - f. The domestic industry has not claimed injury to the domestic industry in the POI. The domestic industry concedes that finally after almost a decade, the domestic industry has been able to improve its performance when the antidumping duties became effective.
 - g. The sunset review final findings issued by the Authorities show significant losses being incurred by the domestic industry during the period 2011-12 to POI (January 2013 to 31st December, 2013) and further intensified losses in post POI (January 2014 - June 2014). Thus, the domestic industry started making profits only after 2014-15 and the antidumping duties started having desired effect only after anti circumvention investigation.
 - h. The interested parties are wrongly linking capacity with capital employed. The capital employed should be linked with production and changes in working capital.
 - i. The landed price of the imports was below the selling price of the domestic industry and thus likely to undercut the prices of the domestic industry in event duties were to expire.
 - j. The import price that is competing with the domestic industry is the price after adding ADD which is not causing price suppression and depression. The price without ADD is at a level that is likely to cause price suppression and depression in the domestic market.
 - k. The landed price of the imports from subject countries barring South Africa are below the non-injurious price. Thus, imports are continuing to undersell the prices of the domestic industry.
 - l. The overall performance of the domestic industry has improved over the injury period. However, such improvement is very recent despite anti-dumping duty being imposed since 2009 and the domestic industry is still faced with significant unutilized capacities.
 - m. Current imports from subject countries except South Africa have significant dumping and injury margin.
 - n. The interested parties are not consistent with their submissions. At one place they have contended that domestic industry does have not capacity to cater the Indian demand and at the other hand they have an issue with domestic industry increasing its capacity. The domestic industry has been able to increase its capacity due to imposition of anti-dumping duty. The capacity has been increased to meet the domestic demand.
 - o. Reliance on Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers case is clearly misplaced. There is a stark difference between the facts of that case and the present case. In that case, the Authority considered that there was no information on excess capacities and trade diversion, the price

undercutting was negative throughout the injury period, the demand declined amongst other reasons for finding likelihood of dumping and injury in the event of cessation of duties.

- p. Presence of other factors do not vitiate the merits for a sunset review investigation where proving likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury is more important than current injury. Other factors causing injury make the domestic industry all the more vulnerable to dumping. There is clear causal link between likelihood of dumping and injury with the imports from subject countries in the event of cessation of duties.
- q. Current improvement in performance itself does not evidence no likelihood of dumping and injury. In such situation, it needs to be seen whether cessation of duties is likely to lead to dumping and injury or not. The Tribunal in Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. vs. DA, CESTAT held that unlike original investigations, sunset reviews are prospective in nature as they focus on the likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury in case antidumping duties are removed.
- r. All necessary information with regard to allocation of cost while determining NIP has been provided to the Authority and the same may be verified.
- s. The conditions mentioned for cumulative assessment requirement are not strictly applied in sunset review cases. De-minimis test is also not applicable to sunset review, whether with regard to volume or dumping margin. The very fact that there may be likelihood even if the dumping margin is negative itself establishes that negligibility of either volume or margin in itself does not establish need for cessation of ADD.
- t. The allegation made about inflated imports are completely baseless and is denied. Imports have sourced from the DGCIS data and the Authority may kindly verify the same.
- u. There is sufficient capacity for the product in the country and the imports are entirely unnecessary. Domestic industry has sufficient capacity to cater to the domestic demand. If Thailand is so eager to meet the Indian demand, they can export the goods at fair price without resorting to dumping.
- v. The argument that post POI performance should not be seen in view of COVID-19 is completely misplaced. It would mean that any industry will not be able to file a fresh case for duties in this period. The law takes care of such situations and any adjustments warranted on account of COVID-19 can be made and then the Authority may examine likelihood of injury in a situation it deems fit.
- w. The applicants believe that subject goods are routed from China PR to India through Thailand. China PR is subject to CVD and ADD in India but Thailand is not. Thus, China PR is exploiting Thailand to route the imports to India. Thai Circumvention law is not applicable in such case.

H.2 Submissions made by the other interested party

72. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
 - a. The increase in imports from Thainox is moderate and to meet the increasing demand in India. The increase in imports from Thailand is at much smaller rate than the increase in domestic industry's production and sales.
 - b. The cost of sales, selling price, sale, number of employee, wages, productivity, level of inventory, cash profits and profitability of the domestic industry have shown improvement over the injury period. The profit before tax increased by almost 748 basis points in the POI as compared to the base year. However, the export performance of the domestic industry has significantly deteriorated.
 - c. There is no material injury to the domestic industry. The parameters such as profitability, volume of imports, cost of sales, net selling price, capacity, production, domestic sales, cash profits, return in investments, installed capacity have all improved significantly for the Domestic Industry over the injury period.
 - d. The domestic demand in India increased by 40% from 2016-17 to 2019-20 and it has resulted in an increase in the domestic sales and import from the subject countries.

- e. The applicants may have suffered injury on account of other factors such as sharp depreciation of rupees as against US\$, COVID-19, corporate debt restructuring and significant imports from non-subject countries.
- f. The increase in average capital employed during the period of investigation is disproportionate to increase in installed capacity.
- g. The increase in imports from Thailand and Korea RP appears to be highly inflated. The actual reports of exported products by Thainox and Korea RP suggest that the increase is very negligible and such imports are in order to meet the increasing demand in India. Further, the increase in imports from Thailand is at much smaller rate than the increase in domestic industry's production and sales.
- h. The imports from South Africa constitute merely 0.09% of the total imports of the subject goods in India. Further, import prices have also increased.
- i. As per Rule 23, Rule 11 is mutatis mutandis applicable in the case of a sunset review. Therefore, even in case of sunset review, the Authority is required to undertake causal link analysis.
- j. Imports from EU and South Africa are below de minimis level. In terms of Annexure II, the imports from these countries cannot be cumulated with the imports from other countries.
- k. The imports from EU have declined significantly. The market share of the imports from EU was merely 0.95% in the POI.
- l. The existing Anti-Dumping duty (since 2010) is no more required as Domestic Industry has improved significantly. Extension of the same would violate Article 11.1 and Rule 23(1). The Authority in case of Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers (Para 132) from China PR (Case No.: 6/26/2020-DGTR), observed that even though Normal Value is less, the financial growth and health of the Domestic Industry is sound enough and, therefore, imposition of anti-dumping duty is no more required.
- m. Imports from Korea RP decreased in 2017-18 when compared to base year 2016-17; then increased in 2018-19 and in the POI. However, the increase in imports from Korea RP appears to be highly inflated. The actual reports of exported products by Korea RP suggest that the increase is very negligible and increase in exports by them is moderate and is to meet the increasing demand in India.
- n. Profitability, volume effect of imports, cost of sales, net selling price, capacity, production, domestic sales, cash profits, return in investments, installed capacity have all improved significantly for the Domestic Industry over the period of injury and investigation. Thus, there is no merit to the claim of material injury.
- o. The increase in the domestic demand by 40% from 2016-17 to 2019-20 has resulted in an increase in domestic sales and import from the subject countries. Additionally, a 436% increase in volume of imports is from the non-subject countries which strikingly more than the respondents. Similarly, the market share of these countries has increased by a large amount. Thus, the material injury shall be examined through these non-subject countries and not the subject ones.
- p. Petitioner has been performing well even after the POI period. Thus, the prospective analysis as required in a likelihood of injury analysis would render that there is no likelihood of continuous injury to the petitioner in the present case.
- q. There is no clarity on inclusion of JSSL as petitioner. If no information has been provided by JSSL and they are not considered as domestic industry, how can injury analysis be done for the product being produced by JSSL. The domestic industry, while giving confidentiality, has taken approach of more than two producers. This is again in contradiction to whatever the domestic industry said about JSSL.
- r. The import data for March, 2020 has not been provided even though it is available now.
- s. The alleged injury is caused to the domestic industry due to imports from China PR, Korea RP and other non-subject countries and not due to imports from South Africa.

- t. Imports from EU are below de minimis level and sum total of all de minimis imports is 4.82% of the total imports.
- u. Imports of the subject goods from Taiwan is merely 3.2% of total imports from the subject countries during the POI and it is merely 1.45% of the total imports into India in POI. Such a miniscule import cannot cause injury to the DI.
- v. Market share of imports from Taiwan declined from 1.89% to 1.45%. Market share of imports from China PR and Korea RP are much higher and CIF import price are much lower than Taiwan.
- w. Volume injury to the domestic industry is on account of imports from China PR, Korea RP and other countries and not from Taiwan. The domestic industry was able to increase its capacity from 1.6 million MT in 2016-17 to almost 1.67 million MT during the POI.
- x. Same plant is used for manufacturing PUC as well as Non-PUC. The DGTR may verify the cost allocated to the PUC and ensure that NIP is correctly determined.

H-3 Examination by the Authority

73. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
74. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
75. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.
76. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

I. ASSESMENT OF DEMAND

77. For this purpose, demand or apparent consumption of the product in India is taken as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. Share of imports from the subject countries in demand/consumption in India determined by the Authority is as under:

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	124	126
Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	118	122
Total Indian Producers	MT	***	***	***	***
Subject Countries	MT	30,185	30,441	56,858	66,339
Other Countries	MT	14,969	26,254	52,378	82,625
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	122	129	137
-------	---------	-----	-----	-----	-----

78. It is seen that demand for the subject goods has increased over the injury period.

II. VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS

i. Import Volumes and Share of Subject Countries

79. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In the present case, however, ADD has been in force. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied upon the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods and share of the dumped imports during injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
China PR	MT	15,577	20,921	30,660	37,279
EU	MT	2,341	1,737	4,885	1,343
Thailand	MT	2,983	1,607	1,769	4,533
Taiwan	MT	854	2,082	2,050	2,104
Korea RP	MT	6,297	1,657	15,869	17,495
USA	MT	1,462	1,128	583	3,421
South Africa	MT	671	1,308	1,041	166
Total imports from Subject Countries	MT	30,185	30,441	56,858	66,339
Imports from subject countries relative to demand in India	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	146	160
Imports from subject countries relative to production in India	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	155	175

80. It is seen that:

- Imports from the subject countries have increased over the injury period.
- Imports in relation to consumption and production in India declined in 2017-18 and increased thereafter in 2018-19 and the POI. Further, imports are significant in absolute terms and relative terms even after imposition of anti-dumping duty.

III. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

81. In term of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

82. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

Country	Qty	Landed Price	Net Selling price	Price Undercutting		
	MT	Rs./MT	Rs./MT	Rs/MT	%	Range%
China PR	37,279	113775	***	***	***	10-20
EU	1,343	188927	***	(***)	(***)	Negative
Korea RP	17,495	120032	***	***	***	0-10
South Africa	166	124449	***	***	***	0-10
Taiwan	2,104	135623	***	(***)	(***)	Negative
Thailand	4,533	149474	***	(***)	(***)	Negative
USA	3,421	156942	***	(***)	(***)	Negative
Total	66,339	122334.985	***	***	***	0-10

83. It is seen that except for EU, Taiwan, Thailand and USA. imports from China PR, Korea RP, and South Africa are undercutting the domestic prices. The average price undercutting during the investigation period in respect of subject countries as a whole is in the range of 0-10 percentage.

ii. **Price Suppression/depression**

84. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices and landed value over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
China PR	Rs/MT	1,19,947	1,19,980	1,17,564	1,13,775
Trend		100	100	98	95
EU	Rs/MT	1,60,744	1,45,176	1,64,652	1,88,927
Trend		100	90	102	118
Thailand	Rs/MT	1,09,219	1,39,734	1,57,794	1,49,474
Trend		100	128	144	137
Taiwan	Rs/MT	1,15,490	1,33,891	1,46,754	1,35,623
Trend		100	116	127	117
Korea RP	Rs/MT	97,802	1,18,163	1,35,511	1,20,032
Trend		100	121	139	123
U S A	Rs/MT	1,13,918	1,28,264	1,26,594	1,56,942
Trend		100	113	111	138
South Africa	Rs/MT	92,055	88,034	1,02,933	1,24,449
Trend		100	96	112	135
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	108	119	107

Net Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend		100	112	120	110

85. It is seen that domestic industry was able to increase its selling price with increase in cost. The landed price of China PR, Korea RP and South Africa are below selling price. However there is no depressing effect of imports on domestic prices with ADD in place.

Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

86. Annexure – II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

i. Capacity, production, Capacity Utilization and Sales

87. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilisation is as follows:

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	16,00,000	16,00,000	16,00,000	16,75,000
Trend	Indexed	100	100	100	105
Production (Total)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	111	116
Production (PUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	124	128
Production (NPUC)	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	106	111
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	113	111
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	141	144

88. It is seen that:
- Capacity remained same till 2018-19 and increased marginally in the POI. The capacities are, however, not dedicated only to product under consideration and are utilised for production of other flat rolled products also. The Authority has, therefore, considered gross production, including production of other products not under investigation, for assessing performance with regard to capacity utilisation.
 - Production and domestic sales have increased over the injury period with the increase in demand. While production of product under consideration has increased, the production of other products not under investigation has declined in the POI as compared to preceding year. Overall production has shown very marginal decline in the POI as compared to preceding year.
 - Capacity utilisation increased till 2018-19, but declined in the POI. Whereas capacity increased in the POI, the capacity utilisation declined.

ii. **Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit**

89. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profit and return on investment of the domestic industry has been analysed as follows:

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	594	269	655
Profit/Loss	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	780	379	946
PBIT	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	169	137	180
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	224	181	289
ROI	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	178	125	205

90. It is seen that profits, return on investment and cash profits first increased till 2017-18, then declined in 2018-19 and increased thereafter in the POI.
91. The domestic industry has contended that the domestic industry started making profits only after 2014-15 and the antidumping duties started having desired effect only after anti circumvention investigation in 2017.

iii. **Market Share in Demand**

92. The effects of the dumped imports on the market share in demand of the domestic industry has been examined as below:

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Import from Subject Countries	%	4.16	3.67	6.39	7.2
2	Import from Other Countries	%	2.06	3.16	5.89	8.68
3	Total imports	%	100.00	6.83	12.28	15.89
4	Domestic industry	%	51.76	50.67	49.88	47.75
5	Others Indian Producers	%	42.02	42.95	38.47	37.28
6	Domestic producers as a whole	%	93.78	93.62	88.35	85.03

93. The Authority notes that the market share of domestic industry increased till 2018-19 and then declined in POI. The decline in market share is despite the increase in capacities. Further, the market share of other domestic producers has also declined over the injury period. The market share of domestic producers as a whole has declined over the injury period.

iv. **Employment, Wages and Productivity**

94. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Employee	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	106	106

Wages	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	92	109
Production/Employee	MT/Employee	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	118	121
Productivity/Day	Per Day (MT)	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	124	171

95. It is seen that the performance of the domestic industry has improved over the injury period in respect of employment, wages and productivity.

v. **Inventory**

96. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	97	92
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	96	119
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	96	105

97. It is seen that level of inventories with the domestic industry has declined till 2018-19 and then increased in the POI.

vi. **Magnitude of Dumping**

98. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India and are consequently causing or likely to cause injury to the domestic industry. It is noted that imports from the subject countries are entering into India at dumped prices and the margin of dumping is above *de minimis* limits and significant.

vii. **Ability to raise capital investment**

99. The Authority notes that the profits of the domestic industry have increased as anti-dumping duties were imposed. There is no evidence of adverse effect of subject imports on the ability of the domestic industry to raise capital investment.

viii. **Growth**

100. The data relating to growth of the domestic industry is shown in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	%	-	20%	3%	3%
Domestic Sales	%	-	31%	7%	2%
Domestic Profit-Per MT	%	-	494%	-55%	144%
Domestic profit-Per Lacs	%	-	680%	-51%	150%
Cash Profit	%	-	124%	-19%	60%
PBIT	%	-	69%	-19%	32%
ROI	%	-	78%	-30%	64%

101. It is seen that growth in a number of the economic parameters was positive over the injury period.

ix. **Factors Affecting Domestic Prices**

102. The selling prices of the domestic industry have not been affected by dumped imports from the subject countries during the POI.

x. **Other Known Factors and Causal Link**

103. The Authority examined whether factors listed under the Rules could have contributed to injury to the domestic industry.

a. **Volume of imports from third countries**

Imports Volume	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from Subject Countries	MT	30,185	30,441	56,858	66,339
Other Countries	MT	14,969	26,254	52,378	82,625
Total	MT	45,154	56,694	1,09,235	1,48,964

104. It is seen that volume of imports of subject goods have increased significantly from both subject countries and other countries. The increase in imports from countries not under investigation is higher and in POI constitutes majority share from a situation of minority share in the base year. It is noted that imports from other countries are primarily from Indonesia, Japan and Malaysia. The Authority has conducted a parallel investigation in respect of imports of flat rolled products of stainless steel which includes the PUC in this investigation from China PR, Korea RP, European Union, Taiwan, Indonesia, Japan, USA, Thailand, South Africa, Malaysia, Mexico, Vietnam, Singapore, UAE and Hong Kong and have found these imports as dumped and causing injury to the domestic industry. The investigation specifically excluded present product scope from countries already attracting anti-dumping duty, i.e., China PR, Korea RP, EU, Thailand, USA, Taiwan and South Africa. The Authority has recommended imposition of anti-dumping duty on imports from Korea RP, Japan, EU, Malaysia, China PR, Taiwan and Indonesia vide Notification No. 6/12/2019-DGTR dated 23rd December, 2020.

b. **Export Performance**

105. The domestic industry has made significant exports of the subject goods. The volume of export sales has declined over the injury period. However, the Authority has segregated and examined injury only in respect of domestic operations in respect of parameters such as profits, cash profits, ROI, sales, and market share.

c. **Developments in Technology**

106. The Authority notes that the technology for producing the PUC has not undergone any significant development. Possible development in technology is not a factor causing injury or likely to cause injury to the domestic industry.

d. **Trade restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers**

107. The Authority notes that there is no evidence of possible adverse trade restrictive practice contributing to the injury to the domestic industry.

e. **Change in pattern of consumption**

108. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any changes. Changes in pattern of consumption is unlikely to contribute to the injuries to the domestic industry.

f. **Performance of the domestic industry with respect to other products**

109. Performance of other products being produced and sold by the Applicants is not a possible cause of injury to the domestic industry as the information on performance furnished by the domestic industry relates only to the products under consideration.

g. Conclusion on Injury:

110. The Authority notes that:

- a. There has been a significant increase in volume of dumped imports from subject countries in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
- b. Imports from other countries not under investigation have also increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The Authority has determined that imports from China PR, European Union, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia and Taiwan are at dumped price and have caused material injury to the domestic industry.
- c. The Authority has conducted a parallel investigation in respect of imports of flat rolled products of stainless steel which includes the PUC in this investigation from China PR, Korea RP, European Union, Taiwan, Indonesia, Japan, USA, Thailand, South Africa, Malaysia, Mexico, Vietnam, Singapore, UAE and Hong Kong and have found these imports as dumped and causing injury to the domestic industry. The Authority has recommended imposition of anti-dumping duty on imports from Korea RP, Japan, EU, Malaysia, China PR, Taiwan and Indonesia vide Notification No. 6/12/2019-DGTR dated 23rd December, 2020.
- d. Dumping margin from the subject countries is positive and significant.
- e. Landed price of imports from the subject countries as a whole is positive. Imports are undercutting the domestic prices.
- f. Performance of the domestic industry improved in terms of a number of parameters, including production, sales, profits, return on investment and cash flows. The performance has shown some decline in respect of capacity utilisation, market share and inventories in the POI.
- g. Market share of domestic producers as a whole has shown decline in the POI.

111. In view of the above, it is noted that the performance of the domestic has improved in the POI. However, the domestic industry is vulnerable to dumping and injury in the event of cessation of antidumping duties.

MAGNITUDE OF INJURY MARGIN FOR QUANTIFICATION OF DUTY

112. The Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and the Authority is required to determine whether cessation of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. Rule 17 of the Rules, which is applicable mutatis mutandis to sunset reviews, requires the Authority to recommend the amount of duty which, if levied, would remove the injury, where applicable, to the domestic industry after considering the principles laid down in the Annexure III to the Rules. The Authority has determined non-injurious prices (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production has been considered at the best capacity utilisation and the same has been considered for arriving at per unit fixed cost. No extraordinary or non-recurring expenses have been charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration has been allowed as pre-tax profit to arrive at NIP. The non-injurious price so determined has been compared with the landed price of imports from the subject countries to determine the extent of injury margin. Further, the NIP and injury margin have been determined separately for each PCN. Weighted average injury margin has been determined for the product under consideration as a whole, considering associated import volumes.

Injury Margin Table for all countries

Sl. No.	Country	Producer	Non-Injurious Price (USD per MT)	Landed Value (USD per MT)	Injury Margin Price (USD per MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range)
1.	Korea RP	POSCO, Korea RP	***	***	***	***	0-10
2.	Korea RP	All others	***	***	***	***	20-30
3.	South Africa	Columbus Stainless (Pty) Ltd	***	***	***	***	0-10
4.	South Africa	All others	***	***	***	***	10-20
5.	Thailand	POSCO-THAINOX Public Company Limited	***	***	***	***	10-20
6.	Thailand	All others	***	***	***	***	30-40
7.	China PR	All Producers	***	1,550	***	***	0-10
8.	European Union	All Producers	***	2,627	(***)	(***)	Negative
9.	Taiwan	All Producers	***	1,909	(***)	(***)	Negative
10.	USA	All Producers	***	2,204	***	***	10-20

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

113. In a review investigation, the Authority is required to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is allowed to cease.

I.1 Submissions made by domestic industry

114. The domestic industry submitted as follows with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury –

- The imports have increased significantly despite anti-dumping duties in force.
- The positive price undercutting in the POI sufficiently proves that in the event of expiry of the existing anti-dumping duty, the dumped imports would cause suppressing/depressing effects on the domestic prices.
- There are mammoth capacities available in the subject countries and they are waiting for the market opportunities.
- Barring Thailand, all the subject countries have capacities far exceeding their domestic demand.
- The producers in the subject countries are highly export oriented and have significant disposable production capacities. The Indian steel consumption is growing at CAGR of 9-10% per annum and is expected to increase further.

- f. The global market scenario experienced a major shift in 2010. The supply of the subject goods was far more than the demand. This was triggered by China PR that shifted from being a net importer to a net exporter. China PR accounted for 49.2% of global steel manufacturing. Even in this surplus situation in the global market, the Chinese stainless steel producer Tsingshan Holding Group has planned to set-up in Busan, South Korea a cold-rolling mill with annual capacity of 600,000 tonnes per year.
- g. The cost advantage to the Indonesian producers in hot rolled products provides unfair cost advantages to these facilities in cold rolled production, and allows them to sell at unfairly low prices.
- h. The declining capacity utilisation in the subject countries indicates significant idle capacities available in the subject countries.
- i. The COVID-19 outbreak has led to decline in demand and surplus capacities leading to oversupply of the subject goods. China PR never stopped production even during the lockdown.
- j. The subject goods face numerous trade remedial investigations across the globe.
- k. The producers and exporters are in habitual evasion of duties and have further tried to maintain their presence in the domestic market. DRI reports suggest that these exporters issued certificate of origins and the importers have evaded the customs duty by availing concessional duty rates by misrepresenting the Regional Value Content.
- l. India is a major market and also a price attractive destination for producers in the subject countries.

I.2 Submissions by other interested parties

115. Following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury:
 - a. The allegations of the Domestic Industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are hypothetical and not based on facts.
 - b. Thainox built up capacities to become cost competitive. The notion that exporters from subject countries have freely disposable capacities is incorrect.
 - c. POCSCO-THAINOX's capacity utilization has been above ***% throughout the investigation period and the period of injury, and their exports have decreased from ***% in 2016 to ***% during POI. India is not a target market for Thailand. Imports from Thailand to India have always been at very low levels. Thainox is domestic market oriented but still hasn't penetrated it. Further, the FTA between India and Thailand doesn't include stainless steel products, ASEAN-India FTA benefits only those Thai producers that use raw materials only from the member parties.
 - d. POSCO Korea and POSCO- Thainox are independent listed companies in two different countries. Both these companies have completely different management and shareholding pattern. There is no record of the shifting of dumping, thus it's unlikely that POSCO Korea would use Thailand to intensify the dumping. There is no upward trend of flat cold-rolled stainless steel imported from Korea RP as the proportion has been changing between *** – ***% since 2016.
 - e. The ASEAN-China PR FTA does not grant exemption of import duty for imports of cold rolled stainless steel from China PR; imports are subject to MFN duty in Thailand. The export from China PR to Thailand was 15% in 2017-18 and Thailand imposed anti-dumping duty to Chinese imports. Thus, it does not make sense to circumvent goods through Thailand. Further, Thailand has an Anti-circumvention Act prohibiting such activities.
 - f. Economic performance of the Domestic Industry during post period of investigation is not an appropriate parameter to apply likelihood test.

- g. The existing anti-dumping duty is no more required in light of improvement in the Domestic Industry's performance.
- h. POSCO claims that it has been functioning at more than 80% capacity utilisation and hence it does not have freely disposable capacities. There were no capacity increases and the claim regarding increase of capacity by 600,000 MT is incorrect. POSCO's capacity utilization rate has been stable and because of it mainly selling to its end users it is not able to suddenly increase.
- i. There is no likelihood of recurrence of material injury as a decline in inventories of the petitioner proves that it is performing well thus taking away the threat of material injury. The petitioner's capacity to raise capital was not impacted thus disproving its deteriorating performance
- j. An excessive capacity does not necessarily cause an imminent threat of injury. The Authority in the Sunset Review Anti-dumping investigation concerning imports of White Cement originating in or exported from Iran and UAE observed that there is nothing suggestive of an excessive capacity with the producer which can be shipped at dumped prices to India due to revocation of duties.
- k. There is no significant increase of imports from South Africa.
- l. The 'surplus capacity' cannot refer to just any capacity over and above the domestic demand in a particular country. Such an understanding is exceptionally flawed in a globally integrated market. Surplus refers to idle capacities left over after meeting domestic demand and global demand
- m. As per the Authority's observation in Dry Cell Battery case, there does not exist any special/exceptional circumstances calling for continuance of anti-dumping duty taking into consideration the facts of this case.

I.3 Examination by the Authority

116. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Anti-Dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
117. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from subject countries. Under the Rules, it is required to be determined whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires an examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The allegation of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry based on data made available is as follows:

I. Rate of increase in imports during the period of investigation

118. The import details in the subject investigation are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Import from Subject Counties	MT	30,185	30,441	56,858	69,909
China PR	MT	15,577	20,921	30,660	40,238
EU	MT	2,341	1,737	4,885	1,460
Thailand	MT	2,983	1,607	1,769	4,763
Taiwan	MT	854	2,082	2,050	2,242
Korea RP	MT	6,297	1,657	15,869	17,474

U S A	MT	1,462	1,128	583	3,597
South Africa	MT	671	1,308	1,041	136
Imports from other Countries	MT	14,969	26,254	52,378	84,276
Total Imports	MT	45,154	56,694	1,09,235	1,54,185

119. It is seen that while overall imports from subject countries have increased over the injury period, imports have increased significantly from China PR, Thailand, Taiwan, Korea RP and USA. Imports have declined from EU and South Africa. Further, the volume of imports in relation to consumption is significant in respect of imports from China PR and Korea RP. It is, however, low and insignificant in respect of imports from all other countries under investigation.
120. The Authority notes that the applicants have relied on the CRU Report for information with respect to capacities, production and demand in the subject countries.

II. The capacities with the subject countries exceed domestic demand

121. As per the information provided by the applicants, there is huge capacities available with the subject countries. Further, based on the information supplied by the domestic industry it is noted that the capacities available with the producers of the subject countries are way more than their domestic demand:

(KT)	2016	2017	2018	2019	2020
Capacity					
China PR	15,305	16,155	16,990	18,005	19,835
Korea RP	1,986	1,986	1,986	1,986	1,986
European Union	4,595	4,663	4,663	4,663	4,663
South Africa	545	545	545	545	545
Taiwan	1,668	1,768	1,768	1,768	1,768
Thailand	300	300	300	300	300
USA	2,390	2,475	2,755	2,755	2,755
Demand					
China PR	11,349	12,341	13,119	14,801	15,040
Korea RP	964	991	953	996	1,037
European Union	3,350	3,492	3,541	3,355	3,322
South Africa	97	134	136	126	138
Taiwan	631	611	589	546	574
Thailand	287	294	325	314	330
USA	1,554	1,551	1,664	1,520	1,538
Excess capacity					
China PR	3,956	3,814	3,871	3,204	4,795
Korea RP	1,022	995	1,033	990	949
European Union	1,245	1,171	1,122	1,308	1,341
South Africa	448	411	409	419	407
Taiwan	1,037	1,157	1,179	1,222	1,194

Thailand	13	6	-25	-14	-30
USA	836	924	1,091	1,235	1,217

Surplus capacity with the exporters

122. The domestic industry has provided evidence showing freely disposable capacities of the subject goods in subject countries which have been determined after deducting production. As per CRU information provided by the applicants, exporters in the subject countries have freely disposable capacities that can be further utilised to export goods to India.

(KT)	2016	2017	2018	2019	2020
Capacity					
China PR	15,305	16,155	16,990	18,005	19,835
Korea RP	1,986	1,986	1,986	1,986	1,986
European Union	4,595	4,663	4,663	4,663	4,663
South Africa	545	545	545	545	545
Taiwan	1,668	1,768	1,768	1,768	1,768
Thailand	300	300	300	300	300
USA	2,390	2,475	2,755	2,755	2,755
Production					
China PR	12,381	13,380	14,281	15,955	16,138
Korea RP	1,219	1,263	1,223	1,174	1,171
European Union	3,345	3,338	3,305	3,073	3,118
South Africa	302	314	298	281	246
Taiwan	1,270	1,306	1,252	1,130	1,176
Thailand	221	223	235	241	245
USA	1,513	1,631	1,686	1,531	1,549
Unutilised capacities					
China PR	2,924	2,775	2,709	2,050	3,697
Korea RP	767	723	763	812	815
European Union	1,250	1,325	1,358	1,590	1,545
South Africa	243	231	247	264	299
Taiwan	398	462	516	638	592
Thailand	79	77	65	59	55
USA	877	844	1,069	1,224	1,206

IV. Export orientation

123. Information provided by the applicants show that the producers in the subject countries are highly export oriented:

Subject Countries (in KT)	2016	2017	2018	2019	2020
China PR	1,334	1,313	1,438	1,483	1,380

Korea RP	587	620	641	598	556
European Union	4,223	4,341	4,354	4,108	4,126
South Africa	222	194	179	171	127
Taiwan	769	819	790	689	712
Thailand	86	83	87	85	80
USA	334	464	337	242	228

V. **Price undercutting, suppression/ depression effect on cessation of duty**

124. The Authority is to examine whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports in the event of cessation of ADD. It is seen that the imports are undercutting the domestic prices. The degree of price undercutting is quite significant. Should the domestic industry reduce its prices as a result of cessation of ADD, the domestic industry would be forced to sell the product at a price materially below the cost of production. Therefore, imports are likely to have significant suppressing/ depressing effects in event of expiry of the current anti-dumping duties.

VI. **Inventories**

125. The domestic industry has not provided evidence of inventories in the subject countries. Questionnaire response have been filed by exporters from Korea RP, Thailand and South Africa, analysis of which shows that the inventories with a number of responding exporters have increased.

VII. **Trade remedial measures by other countries**

126. It is noted that trade remedial measures have been invoked on various flat rolled products by a number of countries, while a number of investigations are going on. The production facilities are interchangeably used between the product under consideration and other flat rolled products. Imposition of these measures and proposed measures is likely to restrain ability of the foreign producers to sell similar volumes in these markets. Volume of imports in India has already shown increase over the current injury period. Below is the list of ongoing trade remedial measures with respect to the subject good, across the globe as provided by the Domestic Industry:

Investigating country	Type	Investigated product	Investigated country
USA	Safeguard	All steel products	All
Mexico	AD	Cold Rolled Stainless Steel	China PR, Taiwan
EU	Safeguard	All steel products	All
Turkey	Safeguard	Stainless steel flat products	All
Canada	Safeguard	All steel products	USA
China PR	Safeguard	all stainless-steel products	USA
China PR	AD	Slab, Billet and Hot Rolled Coil	EU, Japan, South Korea, Indonesia
USA	CVD	Stainless steel plate in coils	South Africa
Thailand	AD	Cold-rolled flat products	Taiwan, China PR, Japan, South Korea
India	AD	Cold-rolled flat products	China PR, South Korea, EU, South Africa, Taiwan, China, Thailand, USA
India	AD	Cold rolled flat products of 400 series	EU, South Korea, USA

Thailand	AD	Cold-rolled flat products	China PR
EU	AD	Cold-rolled flat products	Taiwan, China PR, Indonesia
EU	AD	Cold Rolled Flat products stainless steel	India, Indonesia
EU	AD	Cold Rolled Flat products stainless steel	China PR, Taiwan
Malaysia	AD	Cold-rolled stainless steel	China PR, South Korea, Taiwan, China PR, Thailand
Malaysia	AD	Cold-rolled stainless steel	Indonesia, Vietnam
Vietnam	AD	Cold-rolled stainless-steel coil and sheet	China PR, Indonesia, Malaysia, Taiwan
Turkey	AD	Cold-rolled flat products	China PR, Taiwan China PR
South Korea	AD	Stainless Steel Plate	Japan
Brazil	AD	Cold Rolled Flat products	China PR, Taiwan
Brazil	AD	Austenitic Stainless Steel Tubes	Malaysia, Thailand, Vietnam
Indonesia	AD	Cold Rolled stainless steel	China PR, Malaysia
Taiwan	AD	Cold Rolled flat products	China PR, South Korea

127. On the basis of information and evidence on record, and considering the submissions made by the domestic industry and interested parties, the Authority notes the following:
- Imports from the subject countries have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India despite existing anti-dumping duty. Imports increased individually from China PR, Korea RP, Thailand, Taiwan, USA, while the same declined in case of South Africa and EU. Further, the volume of imports was low in case of Thailand, Taiwan and USA when compared with the gross imports and consumption in India.
 - While the subject imports from each of the country under investigation continue to be at dumped prices, the injury margin is positive in respect of imports from China PR, Korea RP, Thailand, USA and negative in case of EU and Taiwan.
 - Subject imports from EU, Taiwan, Thailand and USA are not undercutting the prices of the domestic industry. However, imports from China PR, Korea RP and South Africa are undercutting the prices of the domestic industry. However, the volume of import from South Africa has consistently been low and declined over the injury period, whereas the volume of imports increased from China PR and Korea RP. Performance of the domestic industry with regard to profit, cash profit & ROI has improved during the current period.
128. In view of the parameters discussed above, the Authority considers that in case of China PR and Korea RP, factors such as significant increase in imports in absolute and relative terms, positive dumping margin, positive injury margin, positive price undercutting, significant unutilised production capacities, significant export orientation, significant freely disposable production capacities establish that cessation of existing anti-dumping duty on imports from China PR and Korea RP is likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry. The Authority has issued final finding in antidumping investigation on flat rolled products of stainless steel and has recommended antidumping duties on various countries, including China PR and Korea RP, vide Notification No. 6/12/2019 dated 23rd December, 2020. The said investigation

excludes the present product scope. Considering that the production capacities in China PR and Korea RP are fungible, it is additionally relevant to continue the present ADD on China PR and Korea RP. As regards other subject countries, the Authority notes that injury margin in case of Taiwan and EU are negative. Volume of imports from Thailand, South Africa and USA are low. Further, the Authority, in the parallel investigation (Final finding Notification No. 6/12/2019 dated 23rd December, 2020), has considered it appropriate to terminate investigations in respect of imports from USA, Thailand, South Africa on account of low volume of imports. Since these countries did not engage in significant exports of other stainless steel flat products despite surplus fungible capacities and the volume of imports from these countries in the present investigation is also low, it is considered that there is no likelihood of dumping and injury in case of imports from Thailand, USA and South Africa. Further, as regards EU and South Africa, which are covered in the scope of proposed measures in the parallel antidumping investigation (Final finding Notification No. 6/12/2019 dated 23rd December, 2020), it is noted that actual injury margin is negative in the present investigations. Further, while it is noted that these countries hold unutilised capacities, there is no evidence of potential volume of exports to rest of the world below NIP. The Authority, therefore, holds that available information is not sufficient to establish that there will be significant increase in imports at dumped and injurious prices from EU and Taiwan in the event of cessation of ADD. Thus, cessation of ADD on imports from European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA is not likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.

J. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

J.1 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

129. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the opposing interested parties:
 - i. The DI's performance has improved during the injury period and continues to depict positive trends. The improvement coupled with other factors shows there is no likelihood of recurrence of material injury in the present case.
 - ii. While imports from subject countries increased by 132% in POI as compared to base year; at the same time the imports from non-subject countries have seen an increase of 463%.
 - iii. Merely having surplus capacity with the exporters does not in itself imply that the product is meant to be diverted to India, especially without any evidence to show the same.
 - iv. Being export oriented does not mean that the exports will be diverted to India upon cessation of duties. Further the Authority has not discussed any compelling evidence for such diversion.
 - v. Price suppression/ depression should be based on price underselling. Price undercutting is not the correct yardstick for determining likelihood of injury because a DI can sell much higher than its non-injurious price ('NIP') in which case if the landed value is lower than the net sales realization but higher than the NIP, the DI cannot suffer injury.
 - vi. The respondents rely on the observation made by the Hon'ble DA in the SSR Investigation of the Sunset Review of Anti-dumping duty imposed on the imports of Nylon Filament Yarn originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP where the Hon'ble DA has observed that the overall health of the DI has improved and the ADD in force during last 11 years (approx.) has served its intended purpose. Therefore, the authority did not recommend continuation of the anti-dumping duty."
 - vii. Various importers face difficulty during custom clearance as it is convenient for end-users to furnish a bonafide usage bond to the customs authorities.
 - viii. A recent news article dated 17 December 2020, wherein the Hon'ble Union Minister Nitin Gadkari, cautioned against profiteering by steel makers, and said that the domestic players have hiked the steel prices by 55% in the past six months. Therefore, if the DGTR recommends continued imposition of the ADD on the imported PUC, it will be detrimental for the user industry.

- ix. There cannot be any claim or a conclusion for further extension of the ADD, just to meet the unreasonable and unprecedented returns of 22% on investment, which is not in line with the industry returns for the steel sector and therefore, warrants termination of the present investigation.
- x. Further, the DI has contended that it started making profits only after 2014-15 and the ADD worked after anti-circumvention investigation in 2017. The respondents reiterate that this claim of the DI is without merit as not all imports were circumventing the duties and that there would have been imports entering the country with duly paid ADD as imposed.
- xi. The respondents submit that there are inherent deficiencies of the DI which may be responsible for a break in the causal link, such as, significant increase in the interest payment of JSL on account of the long-term borrowings. Further, the applicant has also suffered injury on account of sharp depreciation of rupee with respect to the US dollar. Also, if the DI is suffering any injury, it is on account of depreciation and amortization expenses that have increased exponentially.
- xii. Authority has provided that the injury margin of the PUC imported from EU and Taiwan is negative, which implies that these imports are not causing any injury to the DI. Therefore, the respondents request to confirm the same in the final findings and that the anti-dumping investigation against EU and Taiwan be terminated with no recommendation for extension of the ADD.
- xiii. POSCO submits that price undercutting is negative during the entire investigation period and as a whole is in the range of 0-10 percentage.
- xiv. There is a wide gap between demand and domestic supply. The Domestic Industry is unable to cater to the prevailing demand in Indian market and hence imports are taking place in the country.
- xv. Claim of the Domestic Industry that exporters from subject countries have freely disposable capacities is totally incorrect. POSCO has been operating at more than 80% capacity utilisation and hence it does not have freely disposable capacities.
- xvi. There are huge capacities available with the subject countries which are way more than their domestic demand. POSCO hereby submits that in a global economy, capacities are built to take advantage of economies of scale and it has built up capacities so that it becomes cost competitive.
- xvii. 22% Return on Capital Employed gives undue advantage and protection to the Domestic Industry. 41% profit margin on equity in no terms can be termed as reasonable. POSCO hereby requests the Hon'ble Director General to kindly adopt the actual profit earned by the Domestic Industry during the period when there was no allegation of dumping as a basis for calculating reasonable return.
- xviii. The subject goods imported from Korea RP are of better quality as compared to the goods produced by the Indian producers. The importers from India are willing to purchase the CR Stainless Steel with higher price from Korea RP.
- xix. It is further submitted that there are clearly issues of non-attribution and breach in causal link in the present investigation. The petitioners, as group companies are dominating the domestic market and there is a high likelihood that it would create monopolistic conditions in the market and would create barriers for entry, which is harmful to the competitive environment and healthy development of the industry of India.
- xx. The purpose of the investigation is to protect the fair international trade order. Improper implementation of anti-dumping measures as means of trade protection cannot play the role of protecting the industry, but will cause an unfair competitive environment and cause damage to the fundamental interests of their respective industries in the long term
- xxi. During the POI, imports from the EU and South Africa decreased steeply as compared to the previous year as well as base year.
- xxii. During POI, the volume of imports from South Africa was merely 166 MT which was 0.11% of the total imports into India. Imports from South Africa have consistently been extremely low since 2010-11. Also, landed value of imports from South Africa has consistently increased over the injury period. Such a miniscule volume and share of imports, that too with increasing price trend,

cannot cause any injury to the domestic industry. Hence, investigation against South Africa should be terminated.

- xxiii. Even after enjoying cooperative rate of duty in the previous investigations concerning the subject goods, the volume of imports from the producers of South Africa and the EU is at miniscule level.
- xxiv. There is no excess capacity available in the EU and South Africa. No evidence has been provided by the domestic industry to show that new capacities were added in the said countries in the injury period.
- xxv. No fresh capacities have been added in South Africa over the injury period. Rather, the export volume from South Africa to India have declined with increase in price. This is sufficient to indicate that there is no intention of the producer to export the subject goods to India at dumped prices.

J.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

130. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:
- i. The NIP determined is very low resultantly the injury margin determined by the Authority has for EU and Taiwan has become negative. The domestic industry requests full disclosure of NIP to make effective comments. It appears that raw materials has been normated, however, it must be appreciated that the raw material mixes changes for different PCN and thus raw material cannot be normated and must be considered on actual basis.
 - ii. Notwithstanding, in the present case, the domestic industry have been able to improve its performance and thus determination of NIP and injury margin itself is not necessary. Reference is made to the Ahmedabad High Court order in the matter of Nirma Limited vs Union of India which provides that NIP and injury margin is relevant only in case the Authority concludes injury.
 - iii. Negative injury margin, in anycase, does not mean no likelihood of dumping and injury. The Authority should examine likelihood of dumping and injury. The information provided by the applicants clearly shows that (1) the producers in the subject countries have excess capacity (2) exporters are export oriented and have low utilisation level. (3) the subject countries are attracting ADD from other sources and thus such market has been restricted (4) there is decline in demand globally (5) past behaviour of exporters to evade and circumvent the duties imposed together indicates likelihood of dumping and injury
 - iv. Para 65 of the anticircumvention finding on the subject goods shows that producers from China PR and Korea RP significantly changed the trade pattern upon imposition of duties so as to circumvent duties. Thus, they always had the intention to dump goods to India and evade duties.
 - v. The Authority has also imposed anti-dumping duty on imports of stainless steel from China PR, European Union, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia and Taiwan. Thus, other sources of dumping for these countries have been blocked, in such situation imports are likely to intensify in future causing injury to the domestic injury.
 - vi. The duties earlier imposed may be extended for another five years and the form of duty be modified to fixed form.

J.3 Examination by the Authority

131. The Authority has examined the post Disclosure Statement comments by the other interested parties and the Domestic Industry including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- i. As regards the argument that the NIP determined is low, it is noted that NIP has been determined considering Annexure III to the Rules and past practise considered by the DGTR.
 - ii. As regards the argument that there are other factors causing injury to the domestic industry, it is noted that the performance of domestic industry has improved in the POI and thus there is no need to segregate the injury caused by other factors, if any.

- iii. As regards the argument on likelihood of dumping and injury, the Authority having regard to all submissions and evidences, has adequately concluded on likelihood of dumping and injury from each country at relevant places.
- iv. As regards the argument that there is demand supply gap, it is seen that the domestic industry's capacities are not fully utilised and there are other producers of subject goods who also have the capacity to cater the domestic demand. In any case, demand supply gap does not justify dumping of the subject good in the domestic market.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:

- 132. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 133. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L. CONCLUSION

- 134. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
 - i. There is continued dumping of subject goods from subject countries.
 - ii. The performance of the domestic industry has improved in the POI. However, the domestic industry is vulnerable to dumping and injury in the event of cessation of duties.
 - iii. Cessation of existing anti-dumping duty on the imports of the subject goods from China PR and Korea RP will lead to dumping and injury to the domestic industry.
 - iv. Cessation of existing anti-dumping duty on the imports of the subject goods from European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA will not lead to dumping and injury to the domestic industry.

M. RECOMMENDATIONS

- 135. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- 136. Having concluded that there is likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Korea RP, the Authority is of the view that continuation of duty is necessary on the imports of the PUC from these countries. There is insufficient evidence to show likelihood of dumping and injury in the event of cessation of existing duties from EU, Taiwan, USA, Thailand and South Africa and thus continuation of antidumping duty is not warranted on these countries and accordingly the Authority does not recommend extension of antidumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from EU, Taiwan, USA, Thailand and South Africa.
- 137. Considering the fact of existence of duties, the quantum of injury margin determined in the parallel investigation, existence of large number of different product types sold by the domestic industry

and limited number of product types exported by the producers in China PR and Korea RP in the POI, the Authority considers it appropriate to extend the existing quantum of anti-dumping duty.

138. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(i) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty as a percentage of the landed value of the goods, as indicated in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the goods described at column 3 of the duty table below, originating in or exported from China PR and Korea RP.

SN	Heading	Description*	Country of origin	Country of export	Producer	Ad-valorem AD duty %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7219	Cold-rolled Flat products of stainless steel*	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any	57.39%
2	-Do-	-Do-	Any country other than Korea RP	People's Republic of China	Any	57.39%
3	-Do-	-Do-	Korea RP	Any country including Korea RP	M/s POSCO, Korea	5.39%
4	-Do-	-Do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than mentioned in Row No. 3	13.44%
5	-Do-	-Do-	Any country other than People's Republic of China	Korea RP	Any	13.44%

*“Cold-rolled Flat products of stainless steel of width 600 mm to 1250 mm (width tolerance of +30 mm for Mill Edged and +4mm for Trimmed Edged) and of width above 1250 mm for non bonafide uses; of all series not further worked than Cold rolled (cold reduced); with a thickness of up to 4mm, excluding the following:

a. Grades AISI 420 high carbon, 443, 441, EN 1.4835, 1.4547, 1.4539, 1.4438, 1.4318, 1.4833 and EN 1.4509;

b. Further, the product under consideration excludes the following:

- an importer who imports the subject goods for end use in the same form without slitting; or
- slitted it into 2 or more subject goods, i.e., of sizes above 1250 mm (for example a 2600 mm piece slitted into two 1300 mm size pieces)

Provided that the importer followed the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017”

Explanation: Anti-dumping duty shall be payable on the imports of the subject goods if it is slitted for a combination of subject goods and below subject goods size or below subject goods sizes, (For example, an 1800 mm piece being slit into a 1400 mm and a 400-mm piece or a 2200 mm piece is slit into 1400 mm and 800 mm or a 1400 mm piece being slit into 600, 500 & 300 mm sizes);

The product under consideration is classified under the category “Base Metals and Articles of Base Metals” in Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90 as per Customs Classification. Customs classification indicated herein is indicative only and is in no way binding on the scope of the application of duty if the products are imported under any other head of customs.”

FURTHER PROCEDURE

139. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
140. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority